लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खंड २७, १९५९/१८८० (शक)

[६ से १९ मार्च १९५९/१५ से २८ फाल्गुन १८८० (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

सातवां सत्र, १९५९/१८८० (शक)

(खण्ड २७ में अंक २१ से ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय मात्रा, खंड २७, अंक २१ से अंक ३०—६ से १६ मार्च, १६५६
१५ से २८ फाल्गुन १८८० (शक)]

पृष्ठ

अंक २१—शुक्रवार, ६ मार्च, १६५६/१५ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ६६४ से ६७०, ६७३ से ६७५ और ६७७ से ६८१ २४३७—६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६७१, ६७२, ६७६ और ६८२ से १०१२ . २४६२—७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४८२ से १५३८ और १५४० से १५४५ . २४७५—२५०१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

अमरीका पाकिस्तान प्रतिरक्षा संधि . . . . २५०१—०३

आयव्ययक पत्रों का समय से पहले प्रकट हो जाने के बारे में . २५०३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २५०४

विशेषाधिकार समिति

नवां प्रतिवेदन २५०४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आसाम में विद्रोही नागाओं का उपद्रव . २५०५-०६

महेश्वरी देवी जूट मिल्स के बंद होने के बारे में वक्तव्य . २५०६-०७

सभा का कार्य २५०७

विनियोग (रेलवे) विधेयक—पुरःस्थापित . . २५०८

कार्य मंत्रणा समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन २५०८

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १६५८-५६ . . . २५०८—२१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन २५२२

विधेयक पुरःस्थापित . . . २५२२,२५२४-२५

(१) तेलों का जमाना (अपराध) विधेयक . . . २५२२

(२) बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक . . . २५२४

(३) बैंक ऑफ पटियाला विलय विधेयक . . २५२५

सहकारी समितियां विधेयक—

पुरःस्थापन की अनुमति नहीं दी गयी . . . . २५२२—२४

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—वापिस लिया गया . . २५२५—३६

भारतीय आग्नेयास्त्र विधेयक . . . . . २५३७—३६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २५४०—४६

पृष्ठ

अंक २२—सोमवार, ९ मार्च, १९५९/१८ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१३ से १०१६, १०१८, १०२०, १०२२ से १०२६, १०२८ और १०२९ . २५४७–७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०१९, १०२१, १०२७, १०३० और १०३२ से १०४६ . . . २५७१–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या १५४६ से १६३८ . . . २५८०—२६१९

स्थगन प्रस्ताव

पंजाब में सुधार शुल्क . . २६१९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २६१९-२०

सभा का कार्य

अनुदानों की मांगों के लिये समय का आवंटन . २६२०-२१

विधेयक पुर:स्थापित किये गये . . २६२१-२२

(१) विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक . २६२१

(२) भारतीय प्रकाश-स्तम्भ (संशोधन) विधेयक २६२२

विनियोग (रेलवे) विधेयक—पारित . . २६२२

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा २६२२–६४

दैनिक संक्षेपिका २६६५–७०

अंक २३—मंगलवार, १० मार्च, १९५९/१९ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४७ से १०५६, १०७५ और १०५७ से १०६० २६७१–९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६१ से १०७४ और १०७७ से १०९६ २६९६–२७१३

अतारांकित प्रश्न संख्या १६३९ से १७०६ . . २७१३–४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ११९ दिनांक १९-११-५८ के उत्तर में शुद्धि २७४१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २७४१-४२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २७४२

राज्य सभा से सन्देश . . २७४२

विशेषाधिकार का प्रश्न

मनीपुर आयव्ययक प्राक्कलनों का समय से पहले पता लग जाना २७४३–४५

सामान्य आयव्ययक के बारे में विशेषाधिकार का कथित उल्लंघन २७४५–४७

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

गिरिडीह कोयला खान में अग्निकांड २७४७--४९

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक--पारित २७४९

सामान्य आयव्ययक--सामान्य चर्चा २७४९--८५

दैनिक संक्षेपिका . . २७८६--९१

अंक २४--बुधवार, ११ मार्च, १९५९/२० फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०९७ से ११०५, ११०७ से ११०९ तथा १११२ से १११५ . २७९३--२८१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११०६, १११०, १११९, १११६ से ११२५, ११२७ से ११३७ तथा ११३९ से ११४५ २८१७--३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १७०७ से १७७८ २८३१--६१

डा० एम० आर० जयकर का निधन . २८६२

सरकारी कर्मचारी आचार नियमों के बारे में २८६२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २८६३

सदस्य की गिरफ्तारी . २८६३

सदस्य को सजा २८६३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

सैंतीसवां प्रतिवेदन . . २८६४

सरकारी समवायों के प्रतिवेदन के बारे में घोषणा . २८६४

आसाम सीमा पर गोली वर्षा के बारे में वक्तव्य २८६४--६५

सामान्य आयव्ययक--सामान्य चर्चा २८६५--९४

दैनिक संक्षेपिका . २८९५--२९००

अंक २५--गुरुवार, १२ मार्च, १९५९/२१ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११४६ से ११५३, ११५५ से ११५८, ११६० से ११६२ और ११६४ २९०१--२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११५४, ११५९, ११६३ और ११६५ से ११९० २९२६--३९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७७९ से १८६५ २९३९--७५

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव

सीमा पर गोली वर्षा . . . . . २९७६—८०

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९८०–८१

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . २९८१—३०२२

लेखानुदानों की मांगें . . . . . ३०२२—२७

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—पुरःस्थापित . . . ३०२८

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—पारित . . . ३०२८

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ३०२९—३२

स्थगन प्रस्ताव—

पूर्वी सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा गोली वर्षा . . ३०३२—४२

दैनिक संक्षेपिका . . . ३०४३—४९

अंक २६—शुक्रवार, १३ मार्च, १९५९/२२ फागुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९२ से ११९४, ११९६, ११९८ से १२०१, १२०३, १२०५, १२०८, १२०९, १२१२, १२१३, १२१६, १२१८, १२२० तथा १२३० . . . . . ३०५१—७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९१, ११९५, ११९७, १२०४, १२०६, १२०७, १२१०, १२११, १२१४, १२१५, १२१७, १२१९, १२२१ से १२२९ तथा १२३१ से १२३५ . ३०७६—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १८६६ से १९३३ . . . ३०८७—३११५

स्थगन प्रस्ताव—

पंजाब में सुधार शुल्क ३११६-१७

अमरीका और टर्की, ईरान और पाकिस्तान के बीच सैनिक सहायता के लिये हुए करार के बारे में वक्तव्य . . . ३११७—२१

सभा पटल पर रखे गये पर ३१२१-२२

सभा का कार्य ३१२२-२३

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक . . . . ३१२३—३७

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३१२३—३५

खण्ड २ से २६, १ और अधिनियमन सूत्र ३१३६-३७

पारित करने का प्रस्ताव ३१३७

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सैंतीसवां प्रतिवेदन ३१३७

नये औद्योगिक एककों को अनुज्ञप्ति देने की नीति के सम्बन्ध में संकल्प ३१३८—५५

सहकारी कृषि के सम्बन्ध में संकल्प . . . ३१५५–५६

दैनिक संक्षेपिका . . . ३१५७—६३

अंक २७—सोमवार, १६ मार्च, १९५९/२५ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३६ से १२४२, १२४४, १२४६, १२४८, १२४९, १२५१ से १२५३ और १२५६ से १२५९ . . ३१६५—९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४३, १२४५, १२४७, १२५०, १२५४, १२५५, १२६० से १२८७ और १२८९ . . . ३१९०—३२०७

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३४ से १९५९, १९६१ से १९९३ और १९९५ से १९९९ . ३२०७—३७

श्री काशीनाथ राव वैद्य का निधन ३२३७

सभा पटल पर रखा गया पत्र . ३२३७

राज्य सभा से सन्देश . ३२३८

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३२३८

सदस्य का निकाला जाना ३२३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पुनर्वास विभाग का बन्द किया जाना . . ३२३८—४२

घरेलू कर्मचारियों की मांगों के बारे में वक्तव्य . . ३२४१

अनुदानों की मांगें . . . ३२४२—९४

अणु शक्ति विभाग . . . ३२४२—५६

वैदेशिक कार्य मंत्रालय . . . ३२५६—९४

दैनिक संक्षेपिका . . . ३२९५—३३००

अंक २८—मंगलवार, १७ मार्च, १९५९/२६ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९१ से १२९८, १३००, १३०१, १३०४, १३०७, १३०९, १३१०, १३१३, १३१४, १३१६, १३१८, १३१९, १३२१ और १३२२ . . . ३३०१—२८

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९०, १२९९, १३०२, १३०३, १३०५, १३०६, १३०८, १३११, १३१२, १३१५, १३१७, १३२०, १३२३ और १३२४ . . . ३३२८–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या २००० से २०६३ ३३३४–५९

स्थगन प्रस्ताव—

मालद्वीप में रायल एअर फोर्स स्टेशन . ३३५९–६०

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . ३३६१

चिनाकुरी खान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . ३३६१

अनुदानों की मांगें . ३३६२–३४२७

वैदेशिक कार्य मंत्रालय ३३६२–७४

शिक्षा मंत्रालय ३३७५–३४२७

दैनिक संक्षेपिका . . ३३२८–३२

अंक २९—बुधवार, १८ मार्च, १९५९/२७ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२६ से १३२८, १३३० से १३३४, १३३६, १३३७, १३३९ से १३४१, १३४५, १३४८ और १३४७ . ३४३३–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२५, १३२९, १३३५, १३३८, १३४२ से १३४४, १३४६ और १३४९ से १३६३ . . ३४५६–६५

अतारांकित प्रश्न संख्या २०६४ से २१३५ ३४६५–९५

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३४९५

राज्य सभा से सन्देश ३४९६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन . ३४९६

लोक लेखा समिति

तेरहवां प्रतिवेदन . ३४९६

प्राक्कलन समिति—

बयालीसवां प्रतिवेदन ३४९६–९७

अनुदानों की मांगें ३४९७–३५३६

वित्त मंत्रालय ३४९७–३५३६

मध्य प्रदेश में धान के मूल्यों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३४३७–४२

दैनिक संक्षेपिका . ३५४३–४८

अंक ३०—गुरुवार, १९ मार्च, १९५९/२८ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३६४ और १३७३, १३६५ से १३६७, १३६९ से १३७२, १३९४, १३७४, १३७५ और १३७७ से १३८१ . ३५४९–७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३६८, १३७६, १३८२ से १३९३ और १३९५ से १४०४ . . . . ३५७९–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या २१३६ से २१७९ . . . ३५९०–३६०८

उत्तर प्रदेश विधान सभा के एक सदस्य के निलम्बन के बारे में . . ३६०९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३६०९

अनुदानों की मांगें ३६१०–६४

गृह-कार्य मंत्रालय . . . ३६१०–६४

दैनिक संक्षेपिका . ३६६५–६८

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

सोमवार, ९ मार्च, १९५९

---

१८ फाल्गुन, १८८० (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

लाख का उत्पादन

+

†१०१३. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५७–५८ में लाख का उत्पादन कम हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्यों ;

(ग) १९५८–५९ में अब तक कुल कितना उत्पादन हुआ है ; और

(घ) विकास तथा विस्तार योजनाओं से इसके उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क): १९५५–५६ और १९५६–५७ की तुलना में १९५७–५८ में लाख का उत्पादन कम हो गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

393 (Ai) LSD—1.

(ख) यह मुख्य रूप से बिहार और पश्चिम बंगाल में सूखा पड़ने के कारण हुआ है ।

(ग) उत्पादन अस्थायी अनुमान के अनुसार ९,०९,००० मन है ।

(घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन जिन ब्रूड लैक फार्मों की स्थापना होनी थी वह अभी तक स्थापित किये जा रहे हैं। उनका प्रभाव लग-भग एक वर्ष बाद मालूम पड़ेगा।

†**श्री सुबोध हंसदा :** इस ब्रूड लैक उद्योग के विकास के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अभी तक कुल कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ;

†**डा० पं० शा० देशमुख :** हमने ४·६० लाख रुपयों की लागत पर ५५ ब्रूड लैक फार्मों की स्थापना की व्यवस्था की है। उनमें से ३४ स्थापित किये जा चुके हैं। मुझे खेद है कि वास्तविक व्यय के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : १९५८–५९ में जो लाख उत्पन्न हुई क्या वह सारी हमारे देश में ही खप गयी या उसका निर्यात किया गया है , और यदि हां, तो कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** मैं प्रश्न का पिछला भाग नहीं समझा पाया।

†**श्री स० चं० सामन्त :** इस की खेती में कितने व्यक्ति लगे हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मेरे ख्याल से इसका हिसाब नहीं लगाया गया है।

†**श्री रा० च० माझी :** क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लाख के उत्पादन का कोई लक्ष्य रखा गया है । और यदि हां, तो कितना और इसमें से कितना अब तक हो चुका है ।

†**डा० पं० शा० देशमुख :** मेरे ख्याल से कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है—कम से कम यहां तो कोई आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

सेठ गोविन्द दास : लाख का जो उत्पादन योजना के अनुसार बढ़ नहीं रहा है , इसका कारण क्या लाख के गिरे हुए भाव हैं और ये जो भाव गिरे हैं उन में जो कृत्रिम लाख बनाई जा रही है उसका भी कोई कारण है कि जिस से भाव गिर रहे हैं ?

डा० पं० शा० देशमुख : यह बात तो सही है कि भावों के गिरने से जो इसकी पैदावार करने वाले हैं उनको इंसेंटिव नहीं है और यह भी एक बहुत भारी कारण है कि १९५८–५९ में शायद पिछले साल से भी कम पैदावार लाख की होने की सम्भावनायें हैं। दूसरी बात के बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूं ।

†**श्री वारियर :** क्या किसी राज्य में लाख का उत्पादन बढ़ा है और क्या सरकार ने इस के लिए कुछ प्रोत्साहन दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० पं० शा० देशमुख :** हम जो गवेषणा कर रहे हैं और जिन ब्रूडलैक फार्मों की स्थापना कर रहे हैं, उनके सिवा मेरे ख्याल से और तो कोई प्रत्यक्ष सहायता हम नहीं देते लेकिन यह बात सच है कि उत्पादन बहुत बढ़ गया है। यह सिर्फ लगभग १० लाख मन हुआ करता था। एक बार तो यह कम होते-होते ६ $^{1}/_{2}$ लाख मन ही रह गया लेकिन फिर इस में वृद्धि होती गयी और यह १० से १२ और तेरह लाख मन तक चला गया। इस प्रकार क्रमशः, विशेष रूप से मध्य प्रदेश में, उत्पादन बढ़ता ही गया है। वहां १९५३–५४ में उत्पादन १,७७,००० मन था, वह अब बढ़ कर ४,८१,००० मन हो गया है।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या लाख के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये उड़ीसा राज्य को कुछ वित्तीय सहायता दी गयी है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** वित्तीय सहायता योजना के अनुसार दी जायगी। इस के आंकड़े उस में दिये हैं।

†**श्री जयपाल सिंह :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस वस्तु का निर्यात व्यापार एक शक्तिशाली व्यापारिक-संगठन[1] के हाथ में है जो इसके भावों पर मन माना नियंत्रण रखता है, क्या सरकार ने इस वस्तु का निर्यात संवर्द्धन कार्य राज्य व्यापार निगम को हस्तांतरित कर देने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** यह प्रश्न राज्य व्यापार निगम के सुपुर्द कर देने में हमें खुशी होगी। मैं यह भी कह दूं कि हाल ही में हम ने जो कृषि संबंधी सहकारी मार्केटिंग फेडरेशन बनाया है उसने भी राज्य व्यापार निगम की सहायता से कुछ लाख का निर्यात किया है।

श्री रघुनाथ सिंह: मैं जानना चाहता हूं कि इस समय वर्ल्ड की मार्किट में सिन्थैटिक लाख के और इंडियन लाख के दामों में क्या अन्तर है ?

डा० पं० शा० देशमुख : इसकी तो कई किस्में हैं। इसलिए दामों का कम्पेरिज़न करना बहुत मुश्किल है।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या यह सच है कि लाख उद्योग के विकास और विस्तार के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ५५ लाख रुपये अलग रखे गये हैं, और कितनी योजनायें किन-किन स्थानों पर आरम्भ की गयी हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** यह प्रश्न तो बहुत ही सामान्य प्रकार का है। मैं माननीय सदस्य से कहूं कि वे योजना आयोग के प्रतिवेदन और योजना के अधीन किये गये उन उपबन्धों को देख लें जिनसे माननीय सदस्य को ५५ लाख के इस उपबन्ध का पता चला है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Cartel.

अनाजों के भाव

†*१०१४. श्री रा० च० माझी :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री परूलकर :
श्री विभूति मिश्र :
श्री हेम राज :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री पांगरकर :
पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री पद्म देव :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री दलजीत सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ दिसम्बर, १९५८ के भावों की तुलना में विभिन्न राज्यों में चावल और गेहूं का वर्तमान बाजार भाव कितना है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में जनवरी, १९५९ के महीने में अनाजों, विशेष रूप से गेहूं के भाव बहुत चढ़ गये थे;

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में, और इसके क्या कारण थे.; और

(घ) भावों में स्थिरता लाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रों के १ दिसम्बर, १९५८ की तुलना में ३ मार्च, १९५९ के गेहूं और सामान्य चावल के थोक-भाव दिखाये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४८]**

(ख) और (ग). प्राय: सभी राज्यों में जनवरी, १९५९ में चावल के भाव तो गिर गये लेकिन अन्य अनाजों विशेष रूप से रबी की फसल वाले अनाजों के भाव १९५७-५८ की रबी की फसल में कमी रह जाने और फसल के सीज़न का बिल्कुल अन्त निटक आ जाने के कारण चढ़ गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) अनाजों के भावों को स्थिर रखने के लिये जो कार्यवाही की गयी है उसमें उचित मूल्य वाली दूकानों की मार्फत सरकारी स्टाक में से बड़े परिमाण में अनाजों का वितरण, बैंकों द्वारा दिये जाने वाले उधार पर नियंत्रण, अनाज के लाने-ले जाने पर क्षेत्रीय प्रतिबंध, कुछ क्षेत्रों में भावों पर नियंत्रण और रोलर चक्कियों द्वारा देशी गेहूं की खरीद पर प्रतिबंध आदि भी शामिल हैं।

†**श्री रा० च० माझी :** मिल में कुटे चावल का ही भाव नियत किया गया है या हाथ कुटे चावल का भी भाव निश्चित किया गया ?

†**श्री अ० म० थामस :** मेरे ख्याल से इस में हाथ का कुटा चावल भी शामिल है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या सरकार को इन वस्तुओं के सरकारी दुकानों और खुले बाजारों के भावों के अन्तर का पता है और यदि हां, तो इस अन्तर को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**श्री अ० म० थामस :** हम उचित मूल्य वाली दुकानों से राज-सहायता प्राप्त दरों पर गेहूं और चावल बिकवा रहे हैं। हमने प्रायः सभी राज्यों में अधिकतम नियंत्रित भाव भी निश्चित कर दिये हैं। यह सच है कि कुछ क्षेत्रों में बाजार भाव और नियंत्रित भाव में कुछ अन्तर है, लेकिन कई स्थानों पर यह अन्तर समाप्त होता जा रहा है और चावल और धान तो हमें स्वेच्छा से अधिकतम नियंत्रित भाव पर ही मिलने लगा है।

श्री पद्म देव : इस विवरण को देखने से मालूम होता है कि जिन स्थानों मे चालीस और साठ रुपया प्रति मन के हिसाब से अनाज बिक रहा है, उनका इसमें कोई ज़िक्र नहीं है जैसे हिमाचल का इलाका, कांगड़ा का इलाका और गढ़वाल का इलाका है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उन स्थानों के सम्बन्ध में भी सरकार कुछ विचार करती है कि वहां की कीमतें कुछ कम होनी चाहियें ?

खाद्य तथा कृषिमंत्री (श्री अ० प्र० जैन): ऐसी तो हमको कोई खबर नहीं है कि साठ रुपये और चालीस रुपये मन वह बिक रहा है। ये जो आंकड़े दिये गये हैं, ये तो राज्यों के हिसाब से दिये गये हैं। रहा यह कि हिमाचल को अभी तक हमने कितना अनाज भेजा है, उसके बारे में आनरेबल मैम्बर मुझसे मिले थे और जितना उन्होंने बताया और जितने अनाज की वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने सिफारिश की, उतना अनाज तो हमने भेज दिया।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार को इस बात का पता है कि भाव नियत हो जाने के बाद भी अक्सर खरीदारों को बाध्य होकर मोटा चावल सब से बढ़िया किस्म के चावल भाव पर खरीदना पड़ता है। और यदि हां, तो अनाज संबंधी यह जुआ रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** मैं घटिया चावल को बढ़िया चावल कह कर बेचने की संभावना से इंकार नहीं कर सकता। यह सही है कि राज्य सरकारें निरीक्षण कराती हैं और ऐसा करने वालों के खिलाफ़ मुकदमा चलाती हैं, लेकिन अनाज का व्यापार-क्षेत्र इतना व्यापक होता है कि इस प्रकार की शरारत को बिल्कुल रोक सकना हमेशा संभव नहीं होता।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** विवरण में मैंने देखा है कि पंजाब में गेहूं के भाव सबसे ऊंचे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, वहां गेहूं के भावों को कम कराने के लिये सरकार क्या विशेष कार्यवाही करने वाली है ?

†**श्री अ० म० थामस :** यह कहना ठीक नहीं है कि पंजाब में गेहूं के भाव सब से ज्यादा हैं। पंजाब में गेहूं २१.२५ रुपये और बढ़िया किस्म के लिये २३.१२ रुपये की दर से बिक रहा है। जहां तक कार्यवाही करने का प्रश्न है, पंजाब को, हालांकि वह गेहूं पैदा करने वाला क्षेत्र है, फिर भी उचित मूल्य वाली दूकानों से वितरण करने के लिये वहां बड़ी मात्रा में गेहूं भेजा गया है।

†**पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी :** काश्तकारों को अपनी पैदावार का उचित मूल्य दिलाने और उपभोक्ताओं को परेशानी से बचाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**श्री अ० म० थामस :** अधिकतम नियंत्रित मूल्य नियत करते समय हमने इन सब बातों पर विचार कर लिया था ।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह बात सही है कि सरकार ने चावल और धान की जो कीमतें मुकर्रर की हैं, छतीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में कीमतें उनसे भी नीचे इसलिये गिर रही हैं और व्यापारी उनसे इसलिये अनुचित लाभ उठा रहे हैं कि जो सरकार को खरीद करनी चाहिये थी उसका अभी तक ठीक प्रबन्ध नहीं हुआ है ? और क्या सरकार इस सम्बन्ध में भी कुछ सोच रही है गेहूं के सम्बन्ध में भी ऐसा न हो जैसा कि धान के सम्बन्ध में छतीसगढ़ में हुआ है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह नीति संबंधी इतना व्यापक प्रश्न है जिस पर अभी चर्चा नहीं हो सकती । इस बात पर चर्चा के लिये बजट पर चर्चा के समय हमें और भी अवसर मिलेंगे । अगर हम बाद के भी ५० मिनट भी इसी पर लगायें तो भी यह बात खत्म नहीं होगी।

सेठ गोविन्द दास : उपाध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे कहा कि वे उत्तर न दें ।

सेठ गोविन्द दास : इसकी कोई वजह नहीं मालूम हुई।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने वजह यह बयान की थी:† यह नीति विषयक इतना व्यापक प्रश्न है जिस पर किसी प्रश्न के उत्तर में चर्चा नहीं की जा सकती ।

†**सेठ गोविन्द दास :** मैंने यह जानना चाहा था कि चूंकि छतीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह गवर्नमेंट ने वहां से धान, चावल और गेहूं सब का बाहर जाना रोका है इसलिये इस सम्बन्ध में क्या प्रबन्ध हो रहा है जिससे कम से कम जो कीमतें सरकार ने मुकर्रर की हैं वह लोगों को मिलती जायें और धान के संबंध में जो गड़बड़ हुई है वह गेहूं के सिलसिले में न हो ?

उपाध्यक्ष महोदय : अगर मैंने गलती की है तो वह तो एक बार कर दी, इसलिये अब आगे बढ़ना चाहिए ।

†**श्री वारियर :** क्या तंजौर जिले से धान ले जाने पर प्रतिबंध लग जाने के बाद से केरल में चावल के भाव चढ़ गये हैं ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस** : अभी से इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। हां कोजिकोड में भाव आठ आने मन बढ़ गये हैं।

रेलवे स्लीपर

+

†*१०१५. **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री सुबिमन घोष :

क्या **रेलवे** मंत्री ६ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७५३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ते के मेसर्स हनुमान फाउन्ड्रीज लिमिटेड, लिलुआ द्वारा संभरण किये गये दोष पूर्ण स्लीपर स्वीकार कर लेने के आरोप की जांच कर ली गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख) विशेष पुलिस संस्थापन अब भी इस मामले में जांच कर रहा है और यह जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या इस कम्पनी को स्लीपरों के लिये नया आर्डर और कुछ अन्य चीजों के आर्डर भी दिये गये हैं ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: मेरे ख्याल से तो इस कम्पनी को स्लीपर बनाने का और कोई आर्डर नहीं दिया गया है। जहां तक इस मामले का संबंध है इसकी जांच हो रही है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या इस कम्पनी द्वारा दोष पूर्ण स्लीपरों के संभरण की वजह से कुछ नुक़सान हुआ है ?

†**श्री जगजीवन राम** : इस पूरे प्रश्न की जांच हो रही है।

†**श्री सुरेन्द्र द्विवेदी** : क्या इस जांच में देर लगने के कारण उन कारखानों के मज़दूर बड़ी संख्या में ठाली बैठे हैं और क्या उन्हें काम दिलाने और इस मामले को शीघ्र से शीघ्र निबटाने की व्यवस्था करने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री जगजीवन राम** : माननीय सदस्य का सुझाव कहीं यह तो नहीं है कि जब तक जांच चल रही है तब तक के लिये उन्हें और भी आर्डर दे दिये जाने चाहियें थे ? जहां तक जांच का संबंध है हमने विशेष पुलिस संस्थापन से इसमें शीघ्रता करने का अनुरोध किया है।

†**श्री जयपाल सिंह** : संभरण होने से पहले एक प्रविधिक अधिकारी संभरण की जाने वाली वस्तुओं की जांच करता है। इस मामले में पटरी संबंधी संभरण अधिकारी के शिकायत करने पर रेलवे बोर्ड और संभरण तथा निबटान निदेशालय ने संयुक्त रूप से जांच कर इसे ठीक ठहरा कर पास कर दिया। पता नहीं यह जांच क्यों की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम :** माननीय सदस्य की बात सिद्धांत रूप में तो सही है। यह जांच इस वजह से की जा रही है क्योंकि यह देखा गया था कि ये स्लीपर दोषपूर्ण थे। यह जांच इस बात का पता लगाने के लिये की जा रही है कि इस में किसका दोष था।

†**श्री जयपाल सिंह :** मेरा कहना है कि इस संयुक्त जांच ने इसे ठीक ठहराया था। यदि उनके अपने कर्मचारियों ने उन्हें ठीक ठहराया और अब दोष दूसरे के सिर मढ़ने का प्रयास किया जाता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है—क्योंकि यह ऐसा मसला है जिसमें आदिम जातियों के मजदूरों को महीनों तक के लिये बेकार कर दिया है।

†**श्री जगजीवन राम :** मैं कह चुका हूं कि इसमें बनाने वाली फर्म का दोष है या स्लीपर पास करने वाले अफसर का, इन सब प्रश्नों की जांच की जा रही है।

†**श्री जयपाल सिंह :** अभी क्योंकि यह जांच चल रही है, मैं यह ठीक-ठीक जानना चाहता हूं कि इस फर्म को पिछले नवम्बर के ठेके से क्यों वंचित रखा गया जब कि इस ने औरों से ११ रुपये टन कम का भाव बताया—क्योंकि अगर मोटे तौर पर हिसाब लगाया जाये तो इस से २,३५,००० रुपयों का घाटा हुआ है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह तो उस फर्म की ओर से अभ्यावेदन हो गया ; यह पृथक रूप से किया जाता है, जानकारी मांगने के रूप में नहीं किया जा सकता।

†**श्री जयपाल सिंह :** मेरी बात कुछ फर्क है। मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा। मैं यह जानना चाहता हूं कि हम फ्रांसीसी प्रथा का पालन कर रहे हैं या आंग्ल-भारतीय प्रथा का। फ्रांसीसी प्रथा यह है कि जब तक कोई मनुष्य अपने आपको निर्दोष नहीं सिद्ध कर लेता तब तक वह दोषी होता है—लेकिन सदियों से हम जिस आंग्ल-भारतीय प्रथा का पालन करते आये हैं वह यह है कि हमें दोष सिद्ध करना होता है। हम दोषी ठहराये बिना ही उस फर्म और उसके श्रमिकों को सजा दे रहे हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह तो और भी व्यापक प्रश्न है।

†**श्री स० चं० सामन्त :** यह दोष किस प्रावस्था में और किसने पाये थे ?

†**श्री जगजीवन राम :** इसकी प्रावस्था यह थी कि जब इन स्लीपरों का प्रयोग होने लगा तो यह देखा गया कि चाभी उस में ठीक से बैठती नहीं है और जरा भी हिलने से यह जगह से हट जाते थे। इनको लगाने पर यह बात देखी गयी।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या यह सच है कि आई० एस० डी० के जिस व्यक्ति को इसकी जांच के लिये भेजा गया था उसने इन्हें ठीक बताया है ? जांच के परिणामों को अंतिम रूप प्रदान करने में और कितना समय लगेगा ?

†**श्री जगजीवन राम :** मैं बता चुका हूं कि हम ने विशेष पुलिस संस्थापन से जांच में शीघ्रता करने का अनुरोध किया है।

†**श्री फीरोज गांधी :** इन स्लीपरों में कोई निर्माण संबंधी दोष था या इनके 'जाँ'[१] विहित आकार से छोटे या बड़े थे ? यह दोष किस प्रकार का था ?

†**श्री शाहनवाज खां :** जहां तक लोहे के स्लीपरों का संबंध है, इनके लोहे में कोई दोष नहीं था लेकिन जिस 'जाँ' में चाभी बैठती है वह कुछ छोटे हैं। चाभी लगाने के बाद जब गाड़ियां चलना आरम्भ करती थीं तो वे निकल जाती थीं।

---

†मल अंग्रेजी में

[१]Jaws.

हुबली-कारवाड़ रेलवे लाइन

†*१०१६. **श्री केशव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हुबली-कारवाड़ –दण्डेली-कारवाड़ में रेलवे लाइन न होने के कारण खनिज पदार्थों का निकाला जाना और बाहर भेजना रुका हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस लाइन के निर्माण के लिये कोई व्यवस्था की गयी है, और यदि हां, तो क्या; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) . प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री केशव** : क्या यह सच है कि मैंगनीज़ अयस्क का आयात करने वाले अनेक विदेशी मित्रों ने खनिज पदार्थों के निकालने में सुविधा देने के ख्याल से इस लाइन के निर्माण का प्रस्ताव किया है , और यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हमें तो इसका पता नहीं है पता नहीं माननीय सदस्य को यह कैसे मालूम हुआ ?

†**श्री बासप्पा** : क्या सरकार को पता है कि इस रेलवे लाइन के न होने के कारण पश्चिमी तट के निकट निकाले जाने वाले खनिज पदार्थों को पूर्वीतट तक ले जाना पड़ता है जिसका फल यह होता है कि मैंगनीज़ अयस्क के भाव बढ़ जाते हैं और हमारे निर्यात को नुक़सान पहुंचता है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : अभी जो स्थिति है उस में हमारे पत्तनों पर मैंगनीज़ अयस्क का विशाल स्टाक पड़ा है ; विदेशों की मांग बहुत कम है ।

†**श्री आचार** : क्या यह सच है कि बड़ी मात्रा में लौह अयस्क-मैंगनीज़ अयस्क नहीं—रुकी हुई है और लारियों में भर-भर कर कारवाड़ और मंगलौर भेजी जा रही है ?

†**श्री जगजीवन राम** : यह हो सकता है कि कुछ अंश लारियों से ले जाया जाता हो । कारवाड़ तक रेलवे लाइन बनाने का प्रश्न तभी उठेगा जब कारवाड़ पत्तन के विकास के प्रश्न पर निर्णय हो लेगा ।

रेलवे दुर्घटनाओं के लिये मुआवजा

†*१०१८. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे दुर्घटनाओं के दुर्घटनाग्रस्त लोगों को भुगतान करने की नयी मुआवज़ा योजना को सरकार ने अंतिम रूप प्रदान कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस नयी योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). यह मसला अब भी विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** दुर्घटना ग्रस्त व्यक्तियों को १९५७ और १९५८ में कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया और एक व्यक्ति को दी गयी अधिकतम राशि कितनी थी ?

†**श्री शाहनवाज खां :** मैं ठीक ठीक यह जानकारी तो नहीं दे सकता । मेरे पास पिछले पांच वर्षों के आंकड़े हैं । पिछले साढ़े पांच वर्षों में हमने करीब तीस लाख रुपये मुआवज़े की शक्ल में दिये हैं ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** पिछले वर्षों की तुलना में रेलवे दुर्घटनाओं का अब क्या हाल है ? उनकी संख्या में यथा संभव कमी कराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** हम हाल में इस पर चर्चा कर चुके हैं ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् :** क्या दावों का अंतिम रूप से निबटारा होने तक के लिये अंतरिम मुआवज़ा देने की कोई योजना है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** माननीय सदस्य को पता है कि मुआवज़े के भुगतान के लिये एक निश्चित प्रक्रिया विहित है । एक दावा-आयुक्त की नियुक्ति की जाती है और वह मुआवज़ा देता है । फिर भी अनुग्रहात् भुगतान करने का भी एक उपबन्ध है । जनरल मैनेजरों को यह अधिकार दे दिया गया है । कि वे घायल होने वालों में से प्रत्येक को २०० रुपये तक और मरने वालों में से प्रत्येक के आश्रितों को ५०० रुपये तक का भुगतान कर सकते हैं ।

†**श्री दासप्पा :** क्या रेलवे के निर्माण कार्य में घायल होने वाले के लिये भी मुआवजे के संबंध में यही सुविधायें उपलब्ध हैं ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** वे श्रमिक प्रतिकर अधिनियम द्वारा शासित होते हैं ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् :** मैं यह पूछ रहा था कि अंतिम रूप से दावे का निबटारा होने तक के लिए किसी अंतरिम भुगतान की व्यवस्था है—मैंने अनुग्रहीत भुगतान की बात नहीं पूछी थी ।

†**श्री जगजीवन राम :** इस मामले में हम अधिनियम द्वारा शासित होते हैं । अधिनियम में जो भी व्यवस्था होती है , उसका पालन किया जाता है । लेकिन जैसा उपमंत्री बता चुके हैं, दावा आयुक्त नियुक्त होने या उनका निर्णय होने तक के लिये जनरल मैनेजरों को यह आदेश दे दिये गये हैं कि वे घायल होने वालों या मरने वालों के बारे में अनुग्रहात् भुगतान कर दें ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि मोहरी रेल दुर्घटना में मारे गये व्यक्तियों के आश्रित परिवारों को मुआविज़ा देने का काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री जगजीवन राम : मोहरी के सम्बन्ध में क्लेम कमिश्नर की बहाली हो चुकी थी । बीच में एक क्लेम कमिशनर बदल गया, दूसरा आया है और आपने जब रेलवे बजट की बहस के ऊपर कहा था तो मैं ने इसकी जानकारी ली तो मुझे मालूम हुआ कि अधिकांश मामलों में तो उसका निर्णय हो चुका है और थोड़े से जो मामले उसके सामने हैं उनका भी निर्णय शीघ्र हो जायेगा । उस में देर होने का कारण यह हुआ कि दूर दूर के जो लोग उसमें पड़े थे उनके वारिसों का कुछ मामलों में तो पता नहीं लगा और कुछ की तरफ से दावा किया ही नहीं गया ।

†**श्री वारियर :** क्या अरियालूर जैसी बड़ी दुर्घटनाओं में पीड़ित व्यक्तियों के दावे अब तक निबटा दिये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री जगजीवन राम** : मुआवजा सभी रेलवे दुर्घटनाओं के लिये दिया जाना है चाहे उस में दोष रेलवे का हो या नहीं ।

†**श्री वारियर** : उप मंत्री ने बताया कि पिछले ५½ वर्षों में ३० लाख रुपये मुआवजे की शक्ल में दिये जा चुके हैं । इसीलिये मैं यह जानना चाहता था कि बड़ी दुर्घटनाओं के दावे निबट गये हैं या नहीं ।

†**श्री शाहनवाज खां** : जी हां । दावा-आयुक्त नियुक्त किये जाते हैं । और वे दावों को यथा शीघ्र निबटा देते हैं । माननीय सदस्य ने अरियालूर की दुर्घटना का जिक्र किया है । उसमें हमने दावा आयुक्त द्वारा निर्णीत राशि ही नहीं दी वरन् ऊपर से २० प्रतिशत अधिक भुगतान भी कर दिया है ।

†**श्री सोनावने** : क्या घायल होने या मरने वालों के दावों के संबंध में निर्णय देने में दावा आयुक्त को शासित अथवा उनका मार्ग दर्शन करने के लिये रेलवे मंत्रालय ने कुछ नियम बना दिये हैं।

†**श्री जगजीवन राम** : यह अधिनियम के अधीन किया जाता है।

†**श्री पु० रा० पटेल** : क्या इस वर्ष हाल ही में फरवरी में मेहसाना स्टेशन पर घायल होने वाले व्यक्तियों को कुछ मुआवजा दिया गया है ? क्या कोई डाक्टर . . . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय को प्रत्येक दुर्घटना के संबंध में उत्तर देने की जरूरत नहीं है ।

केन्द्रीय नक्षत्र वेधशाला

*१०२०. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ फरवरी, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक केन्द्रीय नक्षत्र वेधशाला स्थापित करने के प्रस्ताव के बारे में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) प्रस्तावित वेधशाला कब तक स्थापित होने की आशा है ?

असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) और (ख) . सेन्ट्रल अस्ट्रानामिकल आबज़रवेटरी के कयाम के मुतल्लिक़ कोई ज्यादा कारवाई नहीं हुई । फारेन एक्सचेंज के मुश्कलात की वजह से यह स्कीम तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए मुल्तवी कर दी गई है ।

[इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् जहां तक मुझे ज्ञात है सन् १९४५ से इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है और काफ़ी रुपया इसकी जांच-पड़ताल में खर्च हो चुका है तो क्या मंत्रालय ने प्लानिंग कमीशन पर इस बात के लिए ज़ोर दिया है कि चूंकि यह महत्वपूर्ण है इसलिए इसी योजना में इसे लिया जाये और उन्होंने क्या निर्णय किया ?

श्री मुहीउद्दीन : यह सही है कि यह स्कीम बहुत दिन से ज़ेरग़ौर है । दूसरे पांच साला प्लान में आबज़रवेटरी के क़याम के लिए रक़म भी रख दी गई थी लेकिन फ़ारेन एक्सचेंज की मुश्कलात

†मूल अंग्रेजी में

की वजह से बाहर से जो सामान आना है उसके मुताल्लिक़ कोई आर्डर्स नहीं दिये गये। यह ज़रूर है कि हमने कोशिश की थी कि इसकी मंजूरी दी जाये लेकिन इसके मुताल्लिक मंजूरी नहीं हुई।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् मैं यह जानना चाहता हूं कि इस वेधशाला पर कुल कितना खर्च होने का अनुमान है और उस में से फ़ारेन एक्सचेंज का कितना भाग है ताकि इस बारे में कुछ प्रकाश डाला जा सके ?

श्री मुहीउद्दीन : कुल अखराजात ६, ७ वर्ष पहले जो तैयार किये गये थे वह ६० लाख के लगभग है जिसमें ४०लाख की मशीनरी और दूसरी आबज़रवेटरी के एक्विपमेंट के मुताल्लिक है।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या इस वेधशाला की स्थापना के लिये कुछ प्रारम्भिक व्यय किया गया था ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** इस वेधशाला के लिये केवल उपयुक्त स्थान खोजने के संबंध में की गयी जांच पर ही प्रारम्भिक व्यय हुआ था। यात्रा भत्तों, समितियों आदि पर भी हो सकता है कि कुछ प्रारम्भिक व्यय हुए हों।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि वेदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण इस वेधशाला की स्थापना नहीं हो पा रही है। तो क्या मैं जान सकता हूं कि जिन देशों में जैसे कि सोवियट रूस में जहां कि अस्ट्रानामी (ज्योतिष) की बड़ी उन्नति हो चुकी है उनके साथ कोई बात चीत हो रही है ताकि वहां से कोई मशीनरी सहायता के तौर पर ली जा सके और फारेन एक्सचेंज का सवाल भी खत्म हो जाये।

श्री मुहीउद्दीन : मुझे इस गुफ्तगू का कोई इल्म नहीं है।

अनाजों का लाया-ले जाया जाना

†*१०२२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में रेल और सड़क के रास्ते (१) राजस्थान और (२) पंजाब से कितने कितने अनाज बाहर भेजे गये ;

(ख) इसी अवधि में बम्बई और राजस्थान से कितना-कितना गेहूं और अन्य अनाज राजस्थान और पंजाब में भेजा गया ;

(ग) इस सारे यातायात की लागत कितनी है ; और

(घ) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों द्वारा एक दूसरे को अनाज भेजने के कार्य का विनियमन और इसको यथा संभव कम करने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) और (ग) व्यापारियों द्वारा रेल और सड़क के रास्ते भेजे-मंगाये गये अनाजों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

---

† मूल अंग्रेज़ी में

(ख) १ अप्रैल, १९५८ से २१ फरवरी, १९५९ के बीच आयात किये हुए अनाज निम्नलिखित परिमाण में राजस्थान और पंजाब को भेजे गये थे :—

राज्य	अनाज	परिमाण '०००' टनों में
राजस्थान	गेहूं	८२.७
	कोदो	१.९
	मक्का	०.८
	जोड़	८५.४
पंजाब	गेहूं	७५.६
	मक्का	७.२
	जोड़	८२.८

आयात किया गया गेंहूं राजस्थान को आंशिक रूप से स्थानीय उपभोग के लिये और आंशिक रूप से राजस्थान के केन्द्रीय सुरक्षित डिपुओं में रखने के लिये भेजा गया था।

(घ) विभिन्न राज्यों में अनाजों के आदान प्रदान को रोकने की जरूरत सरकार को भली प्रकार से मालूम है और इसीलिये उपयुक्त मामलों में अनाजों के लाने ले जाने पर क्षेत्रीय प्रतिबन्ध लगा दिये हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच नहीं है कि राजस्थान से अनाजों का बाहर भेजा जाना उस समय रोका गया जब वहां के अनाज व्यापारी स्थिति का पूरा फायदा उठा चुके थे और गेहूं उत्पन्न करने वाले उस इलाके में बिल्कुल भी अनाज न रहने देकर १०० लाख मन से भी अधिक अनाज बाहर भेज दिया गया था ?

†**श्री अ० म० थामस** : सभा को पता है कि बम्बई, मध्यप्रदेश और राजस्थान, तीनों एक ही क्षेत्र में हैं। बम्बई गेहूं के मामले में कमी वाला क्षेत्र है। किसी समय यह सोचा गया था कि इन राज्यों को पृथक् कर बम्बई राज्य के लिये इतनी कठिन स्थिति उत्पन्न कर देना उचित नहीं होगा। लेकिन अब हमने उन्हें पृथक् कर दिया है और बम्बई को बड़े परिमाण में संभरण कर दिया है, और बम्बई की कमी विदेशी गेहूं से पूरी की जा रही है। यह हो सकता है कि कुछ व्यापारियों ने पिछली स्थिति का लाभ उठा लिया हो। लेकिन जब भाव बहुत ऊंचे चढ़ने लगे तो हमने कार्यवाही कर दी।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच नहीं है कि जोधपुर की, जो राजस्थान का दूसरे नम्बर का सबसे बड़ा शहर है, पूरी आबादी को आयात किया गया गेहूं खाने को दिया जा रहा है और पूरी आबादी को, जिसमें बच्चे भी हैं, एक दिन भूखा रहने को कह कर सप्ताह में ६ दिन का राशन दिया जा रहा है ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह बात ठीक नहीं है। माननीय सदस्य की बात से ही प्रगट होता है कि हम जोधपुर को पर्याप्त संभरण कर रहेहैं।

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच नहीं है कि अकेले जोधपुर को ही महीने में कम से कम २००० टन गेहूं भेजा जा रहा है और वहां की पूरी आबादी को ही खाने के लिये यही आयात किया हुआ गेहूं दिया जा रहा है क्योंकि यहां के बाजारों में अनाज का एक दाना तक नहीं है और वहां की आबादी को सिर्फ ६ दिन का अनाज देकर उससे एक दिन उपवास करने के लिये कहा जाता है ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: यह सच नहीं है । हम राज्य सरकारों द्वारा बतायी गयी आवश्यकताओं के अनुसार सम्भरण कर रहे हैं ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : राजस्थान गेहूं के मामले में आत्म-निर्भर है या वहां पर गेहूं फालतू है और फिर राजस्थान में उपभोग के लिये आयात किये गेहूं के भेजने की क्या आवश्यकता थी ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : सामान्यतः राजस्थान में गेहूं फालतू होता है । परन्तु वर्ष १९५७–५८ में उत्पादन सामान्य उत्पादन से कम हुआ । बम्बई सदैव से कमी वाला क्षेत्र रहा है । यह एक जोन था और राजस्थान से बम्बई को गेहूं भेजा गया ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मन्त्री महोदय ने बताया है कि राजस्थान फालतू गेहूं वाला क्षेत्र है । इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कि गेहूं का लाना ले जाना बन्द कर दिया गया है, मैं समझता हूं कि बम्बई को.....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जो भी कुछ मंत्री महोदय ने अभी कहा उन्हें इसका खयाल है । वह प्रश्न पूछें ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : गेहूं की आने वाली रबी फसल में राजस्थान से बम्बई को गेहूं के जाने पर प्रतिबन्ध लगा देने से क्या किसानों द्वारा प्राप्त मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या यह राय की अभिव्यक्ति नहीं है ?

†**श्री तिरुमल राव** : अभी दिये गये उत्तर से पता चलता है कि राजस्थान और बम्बई के जोन से गेहूं को बम्बई जाने दिया जाता है जिससे राजस्थान में गेहूं की कमी हो जाती है और वहां पर हम आयात किया हुआ गेहूं भेजते हैं । क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि आयात किया हुआ गेहूं सीधे बम्बई भेजा जाये और इस प्रकार सब प्रकार के प्रासंगिक खर्च को दूर किया जा सके ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : वास्तव में किसी एक प्रकार के गेहूं का उपभोग नहीं होता है । बम्बई कुछ देशी गेहूं चाहता था और उसको वह देशी गेहूं मध्य प्रदेश और राजस्थान से दिया गया । सम्भवतः इसमें कठिनाइयां आयीं । एक प्रक्रम पर हम इस परिणाम पर पहुंचे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश से बम्बई को गेहूं जाने पर प्रतिबन्ध लगाया जाये । वह कर दिया गया है । इस समय राजस्थान से बम्बई को गेहूं जाने का कोई प्रश्न नहीं है । बम्बई को अधिकांश आयात किया हुआ गेहूं दिया जा रहा है ।

श्री दलजीत सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि एक स्टेट से अनाज दूसरी स्टेट को ले जाया जाता है तो क्या उस स्टेट के खपत के मुताबिक तखमीना लगा कर फालतू ले जाया जाता है, और जहां से कि अनाज जाया गया है क्या वहां जरूरत अनुसार वापस लाने का इन्तिजाम कर दिया गया है ?

श्री अ० प्र० जैन : कुछ अनाज तो ऐसे हैं कि जिनकी तिजारत आजादी से होती है । तो कीमतें जहां कम होती हैं वहां से वे अनाज जहां कीमतें ज्यादा होती हैं वहां चले जाते हैं। कुछ अनाज हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, लेकिन इसमें हम यह पाबन्दी लगा देते हैं कि इस बात का ध्यान रख कर ही अनाज बाहर भेजा जाये कि अन्दर के इलाके में कमी पैदा न हो ।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री दामानी** : क्या बम्बई और अन्य स्थानों से राजस्थान को गेहूं भेजा गया है और क्या उसी महीने में राजस्थान से गेहूं बाहर भेजा गया है; और यदि हां, तो कौन से महीनों में और कितनी मात्रा में यह व्यापार हुआ ?

श्री अ० प्र० जैन : यह तो इतना बड़ा और लम्बा चौड़ा सवाल हो गया कि अगर मुझे दो चार घण्टे भी दिये जायें तब भी मैं आंकड़े इकट्ठा नहीं कर सकता कि किस महीने में किधर से कितना अनाज कहां गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : केवल सिद्धान्त का प्रश्न कि क्या दोनों ओर से वह एक दूसरे को भेजा जा रहा है ।

श्री अ० प्र० जैन : ऐसा होता रहता है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार अभ्यावेदन और प्रतिरोध करती रही है और मैंने भी लोकसभा के पिछले सत्र में एक प्रश्न उठाया था तब फिर राजस्थान सरकार के प्रतिरोध के बावजूद भी इस पर तब तक कोई ध्यान क्यों नहीं दिया गया जब तक कि स्थिति शोचनीय न हो गयी ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : वास्तव में माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न उठाया गया था । मेरे विचार में यह एक शोचनीय मनोवृत्ति है कि राज्य और राज्य का प्रतिनिधान करने वाले व्यक्ति केवल राज्य के विचारों को व्यक्त करते हैं । भारत एक है । देश के केवल एक भाग में ही खाद्यान्नों की आवश्यकता नहीं है, परन्तु देश के अन्य भागों में भी इसकी आवश्यकता है । हमें यह देखना पड़ता है कि संभरण सारे भारत में होता रहे और किसी विशेष राज्य को इस कारण कठिनाई न हो कि अन्य राज्य निर्यात करना नहीं चाहते ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं.....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं अगला प्रश्न लेता हूं । श्री दी० चं० शर्मा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने एक बहुत ही शोचनीय बात कही है, अर्थात्, यह कि मैं राज्य के हित के दृष्टिकोण से कह रहा था । (**अन्तर्बाधा**) ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जब वे अपना स्वतन्त्र मत प्रकट कर रहे हैं तो इस बारे में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि उन्होंने यह कहा कि यह शोचनीय स्थिति है तो माननीय सदस्य ने कहा है कि यह दुःखद वक्तव्य है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने किस आधार पर यह कहा कि मैं राज्य के दृष्टिकोण से बहस कर रहा था ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है । दोनों नें एक दूसरे को गलत समझा है । दोनों ही कथन शोचनीय थे । अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं इस बात पर जोर देता हूं कि जो कुछ मन्त्री महोदय ने कहा है, वे उसे वापस लें। वह ऐसा नहीं कह सकते।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अभी मैंने कहा कि दोनों ही कथन शोचनीय थे। इतना कह देना दोनों के लिये पर्याप्त है।

†**श्री दी० चं शर्मा** : औचित्य प्रश्न के हेतु आपने मेरा नाम कई बार पुकारा। मुझे बोलने नहीं दिया जाता है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हमेशा यह कठिनाई रही है कि माननीय सदस्य बहुत धीमे बोलते हैं और वह सुनाई नहीं पड़ता। अब उनके प्रश्न का उत्तर दिया जाये।

†**श्री जयपाल सिंह** : उस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मेरा एक औचित्य प्रश्न है। इस सभा ने दोनों माननीय सदस्यों द्वारा बोले गये शब्द "शोचनीय"[1] को कार्यवाही में से निकाल दिया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्होंने केवल इन्हीं दो सदस्यों द्वारा बोले गये 'शोचनीय' शब्द को निकाल देने को कहा और मेरे द्वारा बोले गये शब्द को नहीं। इन तीनों को रहने दिया जाये।

डाक तथा तार वर्दी समिति

†*१०२३. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री वाजपेयी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १८ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक तथा तार कर्मचारियों के किन्हीं वर्गों की वर्दियों के लिये खादी का प्रयोग बन्द कर दिये जाने के बारे में डाक तथा तार निदेशालय की वर्दी समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को कार्यान्वित करने में क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : समिति की सिफारिशों पर निर्णय अन्तिम प्रक्रम पर है और प्रस्तावों को शीघ्र ही सरकार के निर्णय के लिये रखा जायेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : डाक तथा तार निदेशालय किस कारण से इस परिणाम पर पहुंचा कि डाक तथा तार कर्मचारियों के किन्हीं वर्गों की वर्दी के लिये आवश्यक किस्म की खादी इस देश में नहीं बनायी जा सकती ?

†**श्री राजबहादुर** : यह उनकी राय है। उन्होंने कुछ अध्ययन किया और सम्भवतः अपने अनुभव के आधार पर समिति के कुछ सदस्यों ने ऐसा महसूस किया। सरकार द्वारा स्वीकृत यह आवश्यक बात नहीं है।

श्री दी० चं० शर्मा : जबकि इस प्रकार की वर्दी के लिये वर्तमान किस्म की खादी उपयुक्त नहीं है तो क्या निदेशालय द्वारा उस किस्म की खादी का उत्पादन करने के लिये कोई कार्यवाही की जायेगी जो वर्दियां बनाने में इस्तैमाल की जा सकें ?

†**श्री राज बहादुर** : वर्दियों के लिये दी जाने वाली खादी कि किस्म और रंग दोनों में एकसम सुधार हो रहा है। इसमें कोई शंका नहीं है कि यथासमय हम देश में ऐसी खादी का उत्पादन कर सकेंगे जो इस प्रयोजन के लिये बिल्कुल उपयुक्त होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Deplorable.

†**श्री पुन्नूस :** क्या इस समय वर्दियां ठेकेदारों द्वारा दी जाती हैं ? यह अखिल भारतीय आधार पर है या रीजनल आधार पर ?

†**श्री राज बहादुर :** यह सर्किलों के आधार पर किया जाता है । उसका तात्पर्य है कि विभिन्न सर्किलों के जनरल पोस्टमास्टर वर्दियों के संभरण के लिये उत्तरदायी हैं । वे या तो इनको किसी जेल विभाग में सिलवाते हैं या किसी विस्थापित व्यक्ति के कारखाने में अथवा किसी सहकारी समिति द्वारा या अन्य प्रकार से सिलवाते हैं ।

सेठ गोविन्द दास : अभी मंत्री जी ने यह बात कही कि जहां तक उन के विभाग का सम्बन्ध है, अभी तक सरकार ने वह नीति स्वीकृत नहीं की है कि वहां पर खादी का उपयोग न किया जाय । क्या मैं जान सकता हूं कि उन के विभाग में कितने क्षेत्रों में खादी का उपयोग हो रहा है और कितनों में नहीं और क्या मैं आशा कर सकता हूं कि जहां तक उन के विभाग का सम्बन्ध है, बहुत जल्दी इस प्रकार की खादी बनाई जायेगी कि वहां खादी का उपयोग किया जा सके ?

श्री राज बहादुर : माननीय सदस्य को शायद सूचना होगी कि भारत सरकार के समस्त विभागों में डाक-तार विभाग ही प्रथम विभाग था, जिस ने कि खादी की यूनिफ़ार्म अपने विभाग में प्रचलित की थीं । लगभग ८८ हज़ार कर्मचारियों को खादी की यूनिफ़ार्म मिलती है और मैं आशा करता हूं कि, जैसा कि इस समिति ने सिफारिश की है, लगभग पांच हज़ार को और मिलेगी ।

गन्ना उत्पादक संघ

†१०२४. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
श्री नागी रेड्डी :
श्री रामम् :
श्री हाल्दर :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ना उत्पादन संघ ने गन्ना उत्पादकों को वर्ष १९५४ से १९५८ तक का विशेषज्ञ समिति के सूत्र फार्मूला अथवा "सिस्मा"[१] फार्मूला के अनुसार भी अतिरिक्त मूल्य देने में मिल-मालिकों की असफलता के बारे में एक ज्ञापन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसको क्रियान्वित कराने में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) और (ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है ;

विवरण

१९५३–५४ से १९५७–५८ के समय के लिये 'सिस्मा' अथवा विशेषज्ञ समिति के फार्मूला के अन्तर्गत गन्ने के अतिरिक्त मूल्य का भुगतान ऐच्छिक रहा है । किसी भी वर्ष के लिये अतिरिक्त गन्ने का मूल्य इस वर्ष के सब उत्पादन के बिक जाने पर और लेखों के पूरा हो जाने पर निकाला जा सकता है । अत : १९५७–५८ के बारे में स्थिति का अभी पता नहीं लगा है । जहां तक १९५३–५४ से १९५६–५७ के वर्षों का सम्बन्ध है, कुछ चीनी मिलों द्वारा अतिरिक्त मूल्य न

†मूल अंग्रेजी में

१Sisma

दिये जाने के बारे में गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधियों से कुछ ज्ञापन प्राप्त हुए थे। इस समय केवल २ कारखाने अर्थात् वर्ष १९५४–५५ के बारे में आन्ध्र प्रदेश में निज़ाम शुगर फैक्टरी और वर्ष १९५४–५५ और १९५६ के बारे में पश्चिमी बंगाल में रामनुगर केन एंड शुगर कम्पनी लिमिटेड, प्लासी के मामले अभी नहीं निबटे हैं। ये दोनों मामले राज्य सरकारों को निर्देशित किये गये हैं और उनसे यह देखने को कहा गया है कि गन्ना उत्पादकों के दावे शीघ्रातिशीघ्र निबटाये जायें।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** दो मिलों के नाम बताये गये हैं जिन्होंने यह अतिरिक्त भुगतान नहीं किया है। इस सम्बन्ध में क्या जान सकता हूं कि क्या रामनुगर केन एंड शुगर कम्पनी लिमिटेड ने अथवा भारतीय चीनी मिल संस्था ने जिससे यह कम्पनी सम्बन्धित है, 'सिस्मा' फार्मूले को स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो अब यह अतिरिक्त भुगतान करने में उनके पीछे हटने के क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** उन्होंने 'सिस्मा' फार्मूला को स्वीकार नहीं किया था, उत्तर भारत में दूसरा फार्मूला लागू होता था और संस्था ने स्वेच्छा से इसको स्वीकार कर लिया था फिर सब मिलों ने इसको स्वीकार कर लिया। उन्होंने भुगतान नहीं किया है। हमने पश्चिमी बंगाल सरकार से कहा है कि वह उनसे भुगतान कराये। हम कानूनी तौर पर उन्हें भुगतान करने को विवश नहीं कर सकते परन्तु हम सब नैतिक प्रभाव का प्रयोग कर रहे हैं।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या भारती चीनी मिल संघ ने यह अतिरिक्त भुगतान करने के लिये वायदा कर लिया था और इस मिल के सम्बन्ध में सरकार को पश्चिमी बंगल सरकार से क्या उन्तर प्राप्त हुआ है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** मैं बता चुका हूं कि कानूनी तौर से वे वचन वद्ध नहीं हैं परन्तु नैतिक रूप से वचनवद्ध हैं और हमने राज्य सरकार को भुगतान कराने के लिये उन पर जोर डालने के लिये लिख दिया है। हम अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

†**श्री वासुदेवन् नायर :** क्या 'सिस्मा' फ़ार्मूला की व्याख्या के सम्बन्ध में कई क्षेत्रों में—विशेषत : दक्षिण में—श्रमिकों और मिल-मालिकों में मतभेद है और क्या यह सच है कि उन्होंने केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये उत्तर को मानने से इन्कार कर दिया है ? तो फिर सरकार ने ऐसे मामलों में क्या निर्णय किया है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** 'सिस्मा' फ़ार्मूला श्रमिकों पर लागू नहीं होता है। यह गन्ना उत्पादकों पर लागू होता है।

†**श्री वासुदेवन् नायर :** मुझे खेद है। मेरा मतलब गन्ना उत्पादकों से था।

†**श्री अ० प्र० जैन :** उन्होंने इसको स्वेच्छा से स्वीकार किया था और दक्षिण में एक मिल को छोड़ कर बाकी सब ने 'सिस्मा' फ़ार्मूला के अनुसार भुगतान कर दिया है।

†**श्री सिंहासन् सिंह :** उनका कहना है वे उन्हें भुगतान करने के लिये कह रहे हैं। यदि वे भुगतान नहीं करते हैं तो क्या सरकार कम्पनी को लाइसेंस देना बन्द कर देगी ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** ऐसा तो हमको अख्तियार नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री च० द० पांडे :** क्या मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में कुछ मिलों में गन्ने के मूल्य में दो आना प्रतिमन की कमी की गयी ? परन्तु बाद में यह पता लगा कि गन्ने से औसत 'रिकवरी' सामान्य थी और इस घटाये हुए मूल्य को पुनः देने का आदेश दिया गया परन्तु भारत सरकार के आदेशों के बावजूद भी इस का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। आदेश को प्रभावी बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** गन्ने का प्रत्येक विक्रेता गन्ने का निर्धारित मूल्य प्राप्त करने का अधिकारी है। निःसन्देह हम उसकी सहायता करेंगे, परन्तु मिल के विरूद्ध तो गन्ना उत्पादक ही दावा दायर कर सकता है ।

†**श्री बासप्पा :** मंत्री महोदय ने बताया कि दक्षिण में एक मिल को छोड़ कर शेष मिलों ने 'सिस्मा' फ़ार्मूला के अनुसार भुगतान कर दिया है । उस मिल का क्या नाम है और उसने 'सिस्मा' फ़ार्मूला के अनुसार भुगतान न करने के क्या कारण बताये हैं ?

†**श्री अ० म० थामस :** यह निज़ाम शुगर मिल्स है। वर्ष १९५४–५५ के लिये इस कारखाने से अतिरिक्त देय सवा तीन आने निकला था । सवा दो आने उन्होंने दे दिये और एक आना प्रति मन देना बाकी है । हमने मुख्य मंत्री को लिखा है क्योंकि इस कारखाने में आन्ध्र प्रदेश सरकार का भी भाग है । हमें कोई उत्तर नहीं मिला है । इस पर अभी मुख्य मंत्री को विचार करना है ।

†**श्री हेम बरुआ :** मंत्री महोदय ने नैतिक रूप से जोर डालने की बात कही है । इस नैतिक जोर से इन अनैतिक व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जिन्होंने गन्ना उत्पादकों को उचित मूल्य प्राप्त करने से भी वंचित कर दिया है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह राय का विषय है और फिर कटाक्ष का ।

†**श्री हेम बरुआ :** पहले मुझे अपना प्रश्न पूरा कर लेने दीजिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** उन्होंने प्रश्न पूछने में इतनी देरी क्यों की ?

†**श्री हेम बरुआ :** क्या पश्चिमी बंगाल और आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकारों ने जिन से इन व्यक्तियों को राजी करने के लिये कहा गया था, अपने नैतिक आन्दोलन में अब तक हुई प्रगति के बारे में केन्द्रीय सरकार को जानकारी दे दी है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** हमने उनसे पूछा है । जहां तक निज़ाम कारखाने का सम्बन्ध है, आन्ध्र प्रदेश सरकार के अपने बहुत से अंश हैं । हमने इस प्रश्न पर उनसे पूछ-ताछ की है । हमें उनका उत्तर नहीं मिला है । जहां तक पश्चिम बंगाल में अन्य मिल, प्लासी मिल, का सम्बन्ध है, हमने पश्चिम बंगाल सरकार से प्रार्थना की है । मेरा विश्वास है कि उसने इस विषय पर मिल से बात चीत की है परन्तु हमें कोई उत्तर नहीं मिला है ।

†**श्री पुन्नूस :** उचित मूल्य देने के बारे में हर वर्ष खड़े होने वाले विवाद को दूर करने के लिये क्या सरकार न्यायिक कार्यवाही करने का अधिकार देने के लिये कोई कार्यवाही करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० प्र० जैन :** चालू वर्ष से हमने इस फ़ार्मूला के अन्तर्गत भुगतान संविहित रूप से अनिवार्य कर दिया है। तब यह विधि के अन्तर्गत मूल्य का एक भाग हो जाता है और अत: भविष्य में झगड़े नहीं होंगे। परन्तु जहां तक भूतकाल का सम्बन्ध है, फार्मूले को स्वेच्छा से स्वीकार किया गया था। हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और हमें आशा है कि हम अपने प्रयत्नों में सफल होंगे।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्लासी मिल ने भुगतान रोक देने के कोई कारण बताये हैं जब कि इसने पहले वर्ष भुगतान किया था ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** उसका एक प्रतिनिधि मुझ से मिला था और उसका यह ख्याल था कि यह फ़ार्मूला स्वेच्छा से एक वर्ष के लिये स्वीकार किया गया था। मैं ने उसको बताया कि यह तब तक के लिये स्वीकार किया गया था जब तक कि यह संविहित फ़ार्मूला न बन जाये। हमने यह विषय पश्चिम बंगाल सरकार से पुन : उठाया है और हमें आशा है कि भुगतान हो जायेगा।

नई दिल्ली की सड़कों का पुनः नामकरण

\+

†*१०२५. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री वाजपेयी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को नई दिल्ली नगरपालिका से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि 'किंग एडवर्ड रोड' का नाम 'आज़ाद रोड' और क्वीन विक्टोरिया रोड' का नाम 'राजेन्द्र प्रसाद रोड' रख दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) और (ख). नई दिल्ली नगरपालिका ने १७ जनवरी, १९५९ को हुई अपनी बैठक में यह संकल्प किया कि "किंग एडवर्ड रोड" का नाम "मौलाना आज़ाद रोड" और "क्वीन विक्टोरिया रोड" का नाम "डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड" रख दिया जाये। जैसे ही दिल्ली के मुख्य आयुक्त से, जिनको समिति ने लिखा है, अनुमोदन प्राप्त हो जायेगा, इस को क्रियान्वित किया जायेगा।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या मैं जान सकता हूं कि चीफ़ कमिश्नर महोदय इस में अपनी स्वीकृति देने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं और इस निर्णय को जल्दी कार्यान्वित क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री करमरकर : अभी हाल ही में हमारे पास इत्तिला आई है कि उन्होंने मन्जूरी दे दी है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी ने अथवा भारत सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि एक-एक, दो-दो कर के सड़कों के नाम बदलने के बजाये एक बार बैठ कर इस विषय पर निर्णय किया जाये कि किस तरह सड़कों का भारतीयकरण हो सकता है, ताकि इस बारे में जल्दी ही कोई फैसला हो सके और उस को जल्दी कार्यान्वित किया जा सके ?

श्री करमरकर : भारतीयकरण के बारे में नोटिस चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं तो यह जानना चाहता हूं कि . . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कहा है कि उस के लिए नोटिस चाहिए । उन के पास अभी सूचना नहीं है ।

सेठ गोविन्द दास : दिल्ली भारतवर्ष की राजधानी है और इस परिस्थिति में क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में अपनी कोई नीति अब तक निर्धारित नहीं की और अगर नहीं की, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति निर्धारित कर के नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली दोनों की म्यूनिसिपैलिटियों को कुछ आदेश या कुछ सुझाव देगी ?

श्री करमरकर : दिल्ली राजधानी तो है लेकिन इस के बारे में कोई मौका भारत सरकार के सामने नहीं आया ।

श्री नवल प्रभाकर : श्रीमन्, ...

श्री करमरकर : श्रीमन्, मैं अभी जवाब दे रहा हूं ।

यह सवाल सरकार के सामने नहीं आया ।

सेठ गोविन्द दास : अब तो आ रहा है न ?

श्री नवल प्रभाकर : दिल्ली नगर निगम ने भी एक सड़क का नाम मौलाना आज़ाद रोड रखा है और वह वह सड़क है जोकि पुरानी जेल के सामने से हो कर जाती है और जहां पर मौलाना आज़ाद मैमोरियल कालेज है । इसी तरह से किंग एडवर्ड रोड का नाम नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी ने मौलाना आज़ाद रोड रखा है । क्या इन दोनों सड़कों के नाम इस तरह से रखने से कोई कनफ्यूशन पैदा नहीं होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो सिर्फ आज़ाद रोड है, यह अबुल कलाम आज़ाद रोड नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ** : एक सड़क के नाम को डा० राजेन्द्र प्रसाद जैसे एक जीवित व्यक्ति के नाम पर रखने का किस कारण से विचार किया गया है ? क्या यह हमारे राष्ट्रीय नेताओं की गरिमा का मानक्षय करना नहीं है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह अपने अपने मत का प्रश्न है ।

†**श्री मा० कृ० गायकवाड़** : क्या केन्द्रीय सरकार को नई दिल्ली नगरपालिका से 'जनपथ' का नाम 'डा० अम्बेडकर रोड' रखने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ?

†**श्री करमरकर** : मुझे इन सब अनुपूरक प्रश्नों के बारे में कुछ पता नहीं है, मुझे इन सब प्रश्नों के लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

हिमाचल प्रदेश में न्याय पंचायतें

*१०२६. **श्री पद्म देव** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में न्याय पंचायतों ने काम आरम्भ कर दिया है;

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) इन पंचायतों के सुचारू रूप से संचालन के लिये सरकार इन्हें किस प्रकार की सहायता देना चाहती है; और

(ग) क्या इन न्याय पंचायतों के पंचों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये कोई व्यवस्था की गई है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्त्ति) : (क) अभी नहीं । सिवाय तहसील चुराह और सब-तहसील पंगी के बाकी सारे इलाके में न्याय पंचायतों के चुनाव पूरे हो चुके हैं । जब यह पंच अपने-अपने सरपंच व नायब सरपंचों को चुन लेंगे तो न्याय पंचायतें काम करना शुरू कर देंगी ।

(ख) निम्नलिखित कदम उठाने का विचार है :—

(१) ग्राम पंचायत मंत्री जिन्हें दस्तावेजों को रखने और कानूनी काम काज की शिक्षा मिल चुकी होगी वह पंचायतों की सहायता करेंगे ।

(२) किताबें लिखने का सामान, फार्म और रजिस्टर वगैरा दिये जायेंगे ।

(ग) जी हां । इन पंचायतों के पंचों और सरपंचों को काम शुरू करने से पहले पांच दिन की शिक्षा देने का विचार है । यह शिक्षा हर एक गिरदावर के हैड क्वाटर पर शिविरों में दी जायेगी । हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पहले ही शिक्षा देने की स्कीम को तय कर लिया है और ज्यों ही सरपंच व नायब सरपंचों का चुनाव पूरा हो जायेगा, शिक्षा चालू कर दी जायेगी ।

(इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया)

श्री पद्म देव : माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया है कि ग्राम पंचायतों के सेक्रेट्री न्याय पंचायतों का कार्य भी करेंगे । उस सूरत में चूंकि उनका काम बहुत बढ़ जायेगा, क्या ग्राम पंचायतों के सेक्रेट्रो को कुछ अधिक एलाउंस मिलेगा अलावा उसके जोकि अभी मिलता है ?

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री पद्म देव : क्या माननीय मंत्री महोदय को यह मालूम है कि पंचायतों के अन्दर जो न्याय पंचायतों के सदस्यों का चुनाव हुआ है, उसमें अधिक संख्या ऐसे लोगों की है जो अनपढ़ हैं और न्याय पंचायतों के नियमों के मुताबिक उनको जो अधिकार दिये गये हैं वे बहुत अधिक हैं । ऐसी सूरत में क्या मंत्री महोदय यह समझते हैं कि पांच दिन के प्रशिक्षण से वे इस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकेंगे ?

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : न्याय पंचायतों का गठन करने वाली विधि के अनुसार, १/५ सदस्य शिक्षित होने चाहियें—वे इतने शिक्षित हों कि कार्यवाही लिख सकें । पांच दिन का प्रशिक्षण तो उनको प्राथमिक बातें बताने के लिये है । सेक्रेट्री कार्यवाही लिखने में और आवश्यक जानकारी देने में उनकी सहायता करेगा ।

श्री पद्म देव : चूंकि न्याय पंचायतों के सदस्यों को दूर-दूर के स्थानों से आना पड़ेगा और उनका काम भी बहुत बढ़ जायेगा और लोगों की आय भी अधिक नहीं, वे गरीब लोग हैं, क्या माननीय मंत्री महोदय यह समझते हैं कि उनके यातायात के लिये या उनके दैनिक भत्ते के लिये कुछ उनको देने की व्यवस्था होनी चाहिये, कुछ उनकी सहायता की जानी चाहिये ?

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** वह जानना चाहते हैं कि उसको कोई यात्रा भत्ता या अन्य प्रतिकर भत्ता भी मिलेगा ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : वे गांव के निवासी हैं ।

रेल गाड़ियों में रेडियो कार्यक्रमों का प्रसारण

+

†*१०२८. { **श्री नवल प्रभाकर :** / **श्री शिवनंजप्पा :** }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्या रेलवे प्राधिकारियों ने रेल गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लाभ के लिये रेडियो कार्यक्रमों को प्रसारित करने की योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कब से अमल किया जायेगा ; और

(ग) किस गाड़ी में यह सुविधा दी जायेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, नहीं । टेक्निकल कठिनाइयों के कारण हम ने रेडियो कार्यक्रम प्रसारित करने की योजना नहीं बनायी है । परन्तु हम कम्पार्टमेन्टों में लगे लाउडस्पीकरों [१] द्वारा पहले से टेप रिकार्ड किये गये संगीत और समाचारों को सुनवाने की सम्भावनाओं की जांच कर रहे हैं ।

(ख) और (ग). अभी यह नहीं कहा जा सकता कि क्या, कब और किन गाड़यों में यह व्यवस्था की जायेगी ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या इस बात का भी अंदाज़ा लगाया गया है कि इसमें खर्चा कितना होगा ?

श्री शाहनवाज खां : इसके बारे में कुछ भी कहना अभी बहुत कबल-अज़-वक्त है ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रारम्भ में किन-किन गाड़ियों में या किन-किन लाइनों पर यह सहूलियत देने का विचार है ?

श्री शाहनवाज खां : उसके बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

†**श्री प्रभात कार :** क्या यह सच है कि यद्यपि गलियारे वाली गाड़ियों में रेडियो सेट लगे हुए हैं तथापि अभी तक उनसे कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया गया है सिवाय इसके कि कभी-कभी ये घोषणाएं की जाती रही हैं कि मुसाफिर स्टेशन के प्लेटफार्मों को किस प्रकार स्वच्छ रखें या कि मुसाफिरों द्वारा जंजीर खींचे जाने में क्या नुकसान हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां :** हमने आकाशवाणी से संगीत और अन्य बातें प्रसारित करने के लिये प्रयोग किये थे परन्तु उस काम में हमें सफलता नहीं मिली । उसमें बहुत कठिनाइयां हुईं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Public Address System

†**श्री सम्पत :** संगीत ग्रामोफ़ोन रिकार्डों का होगा या यह रेलवे के लिये विशेष रूप से तैयार किया जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज खां :** आकाशवाणी अथवा विशेष रूप से तैयार किये गये कार्यक्रमों को टेप रिकार्ड करने का विचार है।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : अभी कुछ दिन हुए जब रेलवे बजट यहां पर प्रस्तुत हुआ था उस समय आप ने यह बताया था कि कोई गाड़ी इस प्रकार की है जिस में रेडियो सेट का प्रयोग किया गया है और जहां तक मेरा अनुमान है वह डि-लक्स ट्रेन के सम्बन्ध में जानकारी आप ने हमें दी थी। मैं जानना चाहता हूं कि बाकी जो डि-लक्स ट्रैन्स हैं क्या शीघ्र ही उन में इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जायेगी ?

श्री शाहनवाज खां : मैं अभी अर्ज़ कर चुका हूं कि हम ने एक तजुर्बा किया था जोकि नाकाम साबित हुआ। बाकी जो दूसरा मामला है वह अभी ज़ेर-ग़ौर है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या ये जनता गाड़ियों में लागू किया जायेगा ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** जब 'डि-लक्स' में यह असफल सिद्ध हुआ है तो क्या वह 'जनता' में सफल सिद्ध होगा ?

श्री नवल प्रभाकर : क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब एक गाड़ी एक भाषी प्रदेश से चलेगी तो वहां पर तो उस भाषा में रेकार्ड चलाये जायेंगे लेकिन जब दूसरी भाषा प्रान्त वाले प्रदेश में से गाड़ी गुजरेगी और उस भाषा वाले मुसाफिर उस में आ जायेंगे तो वहां पर क्या होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : अभी चलायेंगे ही नहीं, तो फिर क्या करें ?

चीनी

†*१०२९ { **पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी :** / **श्री विभूति मिश्र :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में चीनी का लागत मूल्य अन्य चीनी उत्पादक देशों के लागत मूल्य की तुलना में अधिक है ;

(ख) क्या सरकार ने इस के कारण की जांच पड़ताल की है ;

(ग) यदि हां, तो उस की क्या उपपत्तियां हैं ; और

(घ) विदेशों में प्रतियोगिता का सामना करने के लिये उत्पादन लागत को कम करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) विभिन्न देशों में चीनी के लागत मूल्य के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि ये प्रकाशित नहीं किये जाते हैं। अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि इस देश में चीनी के लागत मूल्य की अन्य चीनी उत्पादक देशों से क्या तुलना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी :** क्या यह सच है कि विदेशों को चीनी का निर्यात करने में सरकार को यह पता चला है कि हमारे देश में चीनी की उत्पादन लागत अन्य चीनी निर्यात करने वाले देशों से अधिक है ?

†**श्री अ० म० थामस :** विदेशों में उत्पादन लागत के बारे में जानकारी को गोपनीय रखा जाता है । निर्यात करने वाले देश सहायता देते हैं या अपनी चीनी के निर्यात पर या तो आन्तरिक मूल्य बढ़ा कर या आयात करने वाले देशों के साथ करार कर के सहायता प्राप्त करते हैं । अतः यह जानकारी देना सम्भव नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विमान यातायात परिषद्

†*१०१९. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ४ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान यातायात परिषद् की भविष्य में स्थापना करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) और (ख). विमान यातायात परिषद् को कोई नया काम सौंपने का विचार नहीं है अतः उसका पुनः स्थापन नहीं किया जा रहा है । विमान निगम अधिनियम की धारा ३० में इस प्रकार का संशोधन किया जा रहा है जिस से काम न रहने पर परिषद् को भंग किया जा सके और आवश्यकता होने पर उसे पुनः स्थापित कर लिया जाये ।

नजफगढ़, दिल्ली में नालियों की व्यवस्था

*१०२१. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री राजेन्द्र सिंह :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में नजफगढ़ में पानी की निकासी के लिये नियुक्त उच्चस्तरीय समिति ने क्या अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है,

(ग) इस में होने वाले व्यय का क्या सरकार ने प्रबन्ध कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या ग्रामीणों को यह लाभ आगामी वर्षाकाल से पूर्व ही प्राप्त होने लगेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) से (घ) विवरण सभा की मेज पर रख दिया है —

विवरण

माननीय सदस्यों का अभिप्राय शायद उस कमेटी से है जो निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (मिनिस्टर आफ वर्क्स, हाउसिंग एन्ड सप्लाई) की अध्यक्षता में प्रधान मंत्री ने जुलाई १९५८ में बनाई थी और जिस को दिल्ली में बाढ़ और उसी प्रकार की अन्य मुसीबतों से बचाव के लिये उपाय सुझाने का काम सौंपा गया था। कमेटी की रिपोर्ट प्रधान मंत्री को प्रस्तुत कर दी गई है और मेरे साथी निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (मिनिस्टर आफ वर्क्स, हाउसिंग एन्ड सप्लाई) का उस रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखने का विचार है ।

(ग) इन योजनाओं के लिये सर्वेक्षण (सर्वे) पूरा हो जाने के तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद खर्चे के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

(घ) नजफगढ़ नाले (ड्रेन) के कुछ हिस्सों का दुबारा श्रेणीबन्धन (रिग्रेडिंग) के लिये लगभग १.५ लाख रुपये की लागत की एक अल्पकालीन (शार्ट टर्म) योजना पर फौरन काम चालू करने का प्रस्ताव है और इस योजना को अगली बरसात से पहले पूरा करने की पूरी कोशिश की जायेगी। इस से लगभग २,९०० एकड़ के क्षेत्र को लाभ होगा क्योंकि इस क्षेत्र को रबी फसल के लिये पिछले वर्षों से पहले तैयार किया जा सकेगा ।

केन्द्रीय कुष्ठ संस्था, चिंगलपुट

*१०२७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में चिंगलपुट में स्थित केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षा और गवेषणा संस्था को केन्द्रीय सरकार ने वर्ष १९५७-५८ और १९५८-५९ में कितनी राशि दी ;

(ख) विभिन्न प्रकार के कुष्ठ के निवारण के लिये अब तक खोज निकाली गई औषधियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) ये औषधियां कहां तक सफल सिद्ध हुई हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४९]**

परिवार नियोजन

†*१०३०. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन कार्यों के सम्बन्ध में जन्म निरोध के लिये शल्य-क्रिया की जो सुविधायें उपलब्ध की जाने वाली हैं वे शहरी क्षेत्रों की चिकित्सा संस्थाओं और स्वास्थ्य केन्द्रों तक ही सीमित रहेंगी या साथ ही साथ ग्राम्य क्षेत्रों की चिकित्सा संस्थाओं और स्वास्थ्य केन्द्रों में भी उपलब्ध कर दी जायेंगी ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये कितने शल्य-चिकित्सकों को आवश्यकता पड़ेगी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस सम्बन्ध में वार्षिक व्यय कितना होगा ;

(घ) यह योजना कब से चालू हो जायेगी ;

(ङ) क्या ऑपरेशनों के लिये कोई शुल्क लिया जायेगा ; और

(च) यदि हां, तो कितना ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). ग्राम्य और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में यह सुविधायें उपलब्ध करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। जिन ग्राम्य क्षेत्रों में यह सुविधायें उपलब्ध नहीं होंगी वहां के लोगों को जिला अस्पताों में भेज दिया जायगा।

(ग) और (घ). इस प्रस्ताव को राज्य-सरकारों के परामर्श से अन्तिम रूप प्रदान किया जायगा।

(ङ) और (च). निम्न आय वर्ग वाले लोगों को ये सुविधायें निःशुल्क प्रदान की जा सकती हैं।

दक्षिण दिल्ली में "त्रिलोकी कोलोनी"

†*१०३२. **श्रीमती सुचेता कृपलानी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली सुधार न्यास ने दक्षिण दल्ली में "त्रिलोकी कोलोनी" नामक बस्ती का नकशा मंजूर कर लिया है ;

(ख) क्या बस्ती का यह नकशा दिल्ली विकास प्राधिकार ने नामंजूर कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली सुधार न्यास द्वारा स्वीकृत नक्शे में क्या सुधार किये जायेंगे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) हां, श्रीमान्।

(ग) मुबारकपुर कोटला क्षेत्र में जो अब "बापू पार्क" कहलाता है "त्रिलोकी कोलोनी" की योजना समूचे मुबारकपुर कोटला क्षेत्र के पुनर्विकास से सम्बद्ध है। उस क्षेत्र की पुनर्विकास योजना टाउन प्लानिंग आरगानाइज़ेशन द्वारा तैयार की जा रही है।

अरहर तथा अरहर की दाल

†१०३३. **श्री सिंहासन सिंह :**
श्री ब्रज राज सिंह :
श्री प्र० ना० सिंह :
श्री जगदीश अवस्थी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल-जून १९५८ में अरहर और अरहर-दाल का मूल्य क्या था तथा आजकल क्या मूल्य है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश ने केन्द्रीय सरकार से कई बार अभ्यावेदन किया है कि उत्तर प्रदेश से इन अन्नों का निर्यात निषिद्ध कर दिया जाये परन्तु हरबार प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या अरहर तथा अरहर-दाल के मूल्यों में इस अधिक वृद्धि की दृष्टि से सरकार उत्तर प्रदेश से इनका निर्यात निषिद्ध करेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५०]**

(ख) तथा (ग). उत्तर प्रदेश सरकार से ऐसे कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए जिनमें उत्तर प्रदेश से अरहर तथा अरहर-दाल का निर्यात निषिद्ध करने की प्रार्थना की गई हो।

(घ) उत्तर प्रदेश में अरहर देश भर के उत्पादन का ४० प्रतिशत होती है एवं उत्तर प्रदेश से अरहर के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाना उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि इससे उन लोगों को कठिनाई होगी जो पहिले से ही उत्तर प्रदेश से अरहर लेते हैं।

दालों के मूल्य

†*१०३४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार में पिछले सप्ताहों में दाल के मूल्य, विशेषकर अरहर-दाल का मूल्य ४० रु० प्रति मन से भी अधिक हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) मूल्यों को कम करने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) दालों के मूल्यों पर नियन्त्रण रखने के लिये निम्न कार्यवाही की गई है :—

(१) फरवरी १६५६ से दालों का वाणिज्यिक निर्यात निषिद्ध रहा है।

(२) अरहर-दाल सहित सारी दालों का सट्टा १७ जुलाई १६५८ से निषिद्ध है।

(३) दालों के स्टाक पर बैंकों द्वारा ऋण देने पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं।

गुड़ के वहन के लिये वैगनों का संभरण

†*१०३५. **श्री गोरे** :
श्री जाधव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि कोल्हापुर, संगली, नीरा और करद के उत्पादन-केन्द्रों से गुड़ के वहन के लिये प्रतिदिन ३० से अधिक वैगन देने के लिये मध्य रेलवे प्राधिकारियों का मना करना उप क्षेत्र के किसानों तथा व्यापारियों पर बुरा प्रभाव डाल रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे अपेक्षित संख्या में वैगन देने को तैयार है परन्तु मध्य रेलवे सम्बद्ध व्यक्तियों की बार बार प्रार्थना पर भी ऐसा करने को तैयार नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो कठिनाई दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) यह सच नहीं है कि कोल्हापुर, संगली, नीरा और करद से गुड़ के वहन के लिए मध्य रेलवे ने प्रति दिन ३० से अधिक वैगन देने से मना कर दिया है।

(ख) दिसम्बर १९५८ के अन्तिम सप्ताह तक मध्य रेलवे वह सारा गुड़ स्वीकार तथा वहन कर रही थी जो दक्षिण रेलवे धोरपुरी में दे रही थी। केवल दिसम्बर १९५८ के चौथे सप्ताह से मध्य रेलवे को दक्षिण रेलवे से गुड़ के यातायात लेना तथा वहन करना नियमित करना पड़ा है। इसका कारण यह है कि पश्चिम रेलवे के लिये धोरपुरी में वहन-कोटा तथा दादर होकर जंकशन-कोटा अधिक था, क्योंकि समूचा यातायात उन मंज़िलों के लिये है जो पश्चिम रेलवे पर है।

(ग) धोरपुरी में वहन-क्षमता तथा दादर में जंकशन क्षमता का यथासम्भव पूर्ण प्रयोग किया जाता है।

जबलपुर ढलाई कारखाना परियोजना

†*१०३६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री राम शंकर लाल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर ढलाई कारखाना परियोजना को छोड़ने से सरकार को कोई हानि हुई ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) परियोजना को छोड़ने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या परियोजना का सामान व मशीन उत्सर्जित कर दी गई है और इससे कितनी हानि पूर्ति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (घ). लोक लेखा समिति (द्वितीय लोक-सभा) के ११वें प्रतिवेदन के पैरा २३ के अवलोकनों की दृष्टि से मामले की जांच की जा रही है तथा महालेखापाल, डाक तथा तार, के परामर्श से एक ज्ञापन उनके समक्ष रखा जायेगा। ज्यों ही लोक लेखा समिति मामले की जांच कर लेगी त्यों ही अपेक्षित जानकारी सदस्यों को उपलब्ध हो जायेगी।

पश्चिमी जर्मनी का कृषि प्रतिनिधि मंडल

†*१०३७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ४ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिमी जर्मनी के उस कृषि प्रतिनिधि मंडल का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है जो भारत के कृषि विकास में सहायता देने की दृष्टि से आया था; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी प्रति पटल पर रखी जायेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हिमाचल प्रदेश में लकड़ी के बारे में सर्वेक्षण

१०३८. श्री पद्म देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के चम्बा और मण्डी ज़िलों में लकड़ी और इमारती लकड़ी का सर्वेक्षण करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसका काम कब तक पूरा होगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) टिम्बर डिमाण्ड (लोकल) इन्क्वायरी कमेटी ने मण्डी जिले में सर्वे का कार्य दिसम्बर, १९५८ में पूरा कर लिया है । चम्बा ज़िले में कार्य सर्दी मौसिम के समाप्त होने के बाद आरम्भ किया जायेगा ।

(ख) कार्य जितना मुमकिन होगा, जल्दी से जल्दी पूरा किया जायेगा ।

अमरीकी 'लिबर्टी' पोत

†***१०३९. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ४ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरीकी 'लिबर्टी' पोतों की खरीद के सम्बन्ध में और कितनी प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : अभी तक और कोई प्रगति तो नहीं हुई है । जैसा कि पहले बताया गया था, उन पोतों को प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रयत्न करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि वे प्रतिदिन अब पुराने होते जा रहे हैं और इसलिये हमारे यहां के जहाज मालिकों के लिये कोई आकर्षण नहीं रखते ।

दिल्ली में मिलावटी आटे तथा गेहूं की बिक्री

†**१०४०. श्री वाजपेयी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में मिलावटी आटे तथा गेहूं की बिक्री का कदाचार अब बहुत बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रोकथाम करने के लिये क्या क्या उपाय किये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) सम्भव है कि कुछ एक व्यापारी देसी आटे तथा गेहूं में बाहिर से आयात किया गया आटा या गेहूं मिला देते हों, परन्तु इस बारे में कोई प्रमाण नहीं मिला है कि हाल में इस प्रकार का कदाचार दिल्ली में बढ़ गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) आटे और गेहूं की मिलावट की रोक थाम करने के लिये निम्नलिखित कार्यवाहियां की गयी हैं:—

(१) किसी भी व्यापारी को आयात किये आटे या गेहूं को बेचने की अनुमति नहीं है, जब तक कि उसे सरकार की ओर से उस के लिये प्राधिकार प्राप्त न हो ।

(२) किसी भी एसे व्यापारी को, जिसे आयात किये गये आटे या गेहूं को बेचने की अनुमति है, स्वदेशी आटे अथवा मिला-जुला आटा बेचने की अनुमति नहीं है ।

सामुदायिक विकास आन्दोलनों का पुनर्नवीकरण

†*१०४१. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामुदायिक विकास आन्दोलनों के पुनर्नवीकरण के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) १९५९-६० में इस सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्त्ति)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) 'ग्रीन पैम्फ्लेट' नामक एक पुस्तिका में बताये गये ढंग पर, १-४-५८ से कार्यक्रम में परिवर्तन कर दिया गया है । 'ग्रीन पैम्फ्लेट' की प्रतियां पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अब 'स्थानीय नेतृत्व' का विकास करने के प्रश्न पर अधिक ज़ोर दिया जा रहा है ताकि वे विकास सम्बन्धी ज़िम्मेवारी और अधिक मात्रा में संभाल सकें । उस के लिये ग्रामों में जनता को प्रतिनिधि संस्थाएं स्थापित करनी पड़ेंगी अर्थात् पंचायतों,सह-कारी समितियों आदि का विकास करना होगा और उन का अन्य स्वयंसेवी संगठनों, जैसे युवक-मण्डलों, महिला-मण्डलों, आदि से सहयोग प्राप्त करना होगा । इस के अन्तर्गत खण्ड तथा जिला स्तरों पर भी जनता की प्रतिनिधि ससंस्थायें स्थापित करनी होंगी ।

(ख) निम्नलिखित दिशाओं में कार्यवाही करने का विचार है :—

(१) सामान्य जन कल्याण के लिये सामुदायिक भावना को विकसित करने के लिये पंचायतों को मिले-जुले सामान्य सामाजिक यूनिटों के रूप में धीरे धीरे विकसित करना ।

(३) राज्यों में पंचायत सम्बन्धी परिवर्तित विधान लागू करना ताकि पंचायतों को पर्याप्त शक्ति और जिम्मेदारी दी जा सके और उन के संसाधनों में वृद्धि की जा सके ।

(३) कृत्यकारी उपसमितियों की स्थापना तथा समाज की सेवा करने के इच्छुक उप-युक्त व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त कर के पंचायतों के आधार का विस्तार करना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) सभी स्तरों पर पंचायत कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना ।

(५) पंचायतों के द्वारा खण्ड योजना सम्बन्धी आयव्ययक के स्थानीय निर्माणकार्य भाग की कार्यान्विति करना ।

(६) खण्ड स्तर पर विभिन्न कल्याण विभागों तथा बोर्डों के संसाधनों को संग्रहीत करना और पंचायतों के द्वारा उन का उपयोग करना ।

(७) ग्राम सहायकों को कृषि तथा अन्य विषयों में प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम को गहन बनाना ।

(८) खण्ड विकास समितियों के गैर-सरकारी सदस्यों को नवीकरण सम्बन्धी प्रशिक्षण देना ।

(९) संसद सदस्यों तथा विधान सभा के सदस्यों के अध्ययन केम्प स्थापित करना ।

रूरकेला-बरसुआ रेलवे लाइन

†*१०४२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला से बरसुआ लोह खानों तक रेलवे लाइन बनाने के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) उस पर अभी तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) फरवरी, १९५९ के अन्त तक लगभग ७५ प्रतिशत प्रगति हुई थी ।

(ख) जनवरी, १९५९ के अन्त तक ३·३६ करोड़ रुपये ।

कलकत्ता टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित बनाने की परियोजना

†*१०४३. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कलकत्ता टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित बनाने की परियोजना के लिये कितना पूंजी व्यय निर्धारित किया गया था ;

(ख) उस में से अभी तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ;

(ग) स्वचालित एक्सचेंज के द्वारा कुल कितने नये कनेक्शन दिये गये हैं ;

(घ) क्या टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित बनाने के परिणामस्वरूप उस कार्यकरण व्यय में कमी हो गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो स्वचालित एक्सचेंज परियोजना प्रारम्भ होने से पहले की अपेक्षा अब खर्च में कितनी कमी आई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) शुद्ध २१७ ४२ लाख रुपये ।

(ख) ३१-१२-१९५८ तक लगभग १७२ लाख रुपये ।

(ग) ३१-१-१९५९ तक २२,२८० सीधी एक्सचेंज लाइनें और ३१,००० टेलीफोन ।

(घ) जी नहीं । परन्तु टेलीफोन सिस्टम का साइज़ और इस की क्षमता बढ़ा दी गई है ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में तपेदिक

†*१०४४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में तपेदिक की रोकथाम करने के लिये किस किस प्रकार की कार्यवाहियां की जा रही हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी निहित है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५१**]

'डकोटा'

†*१०४५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २७ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में विभिन्न मार्गों पर पुराने 'डकोटा' विमानों को बदल देने के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : 'डकोटा' विमानों के स्थान पर कोई उपयुक्त जहाज़ चलाने के प्रश्न पर अभी तक विचार किया जा रहा है ।

रेल की पटरी पर खाली गोला

†*१०४६. **श्री ०दी चं० शर्मा :**
श्री जाधव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २६ फरवरी, १९५९ को उत्तर रेलवे के पठानकोट–जलन्धर सेक्शन के कंडटोरी और मीरथल स्टेशनों के बीच रेल की पटरी के निकट एक खाली गोला पाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो अपराधियों की खोज करने के लिये क्या क्या प्रयत्न किया जा रहा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी, हां । २५-२-५९ को (न कि २६-२-५९ को) कंडटोरी और मीरथल स्टेशनों के बीच रेल की पटरी के निकट एक खाली गोला पाया गया था ।

(ख) सेना के युद्धोपकरण विशेषज्ञ के मतानुसार वह ३ इंच का खाली गोला था और उस में बारूद नहीं थी । ऐसा प्रतीत होता है कि सेना के प्रशिक्षण कोर्स में किसी सैनिक कर्मचारी का यह प्रशिक्षण का गोला वहां रह गया था । उस में किसी व्यक्ति की बुरी मनशा नज़र नहीं आती थी । इसलिये सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा कोई भी मामला दायर नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इंजन

†१५४६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ और १९५८-५९ में अभी तक टेलको, जमशेदपुर में कितने और किस किस प्रकार के इंजनों का निर्माण किया गया था ;

(ख) प्रत्येक इंजन पर कितनी लागत आई है ;

(ग) उक्त अवधि में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में कितने और किस किस प्रकार के इंजनों का निर्माण किया गया था ;

(घ) प्रत्येक इंजन पर कितनी लागत आई है ;

(ङ) उक्त अवधि में किस किस देश से कितने कितने और किस किस प्रकार के इंजन मंगवाये गये ;

(च) प्रत्येक इंजन पर कितनी लागत आई ; और

(छ) उन के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (छ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५२]**

जयपुर स्टेशन का नये नमूने का बनाया जाना

†१५४७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री ९ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयपुर स्टेशन को नये नमूने का बनाने के काम पर अभी तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ;

(ख) क्या उस की सम्पूर्ण परियोजना पूरी हो गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो वह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) लगभग १६,५०,००० रुपये ।

(ख) लगभग ९८ प्रतिशत काम पूरा हो गया है ।

(ग) लगभग मई, १९५९ के अन्त तक ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में डाक तथा तार घर

†१५४८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि :

(क) १९५८ में पंजाब में कुल कितने डाक घर, टेलीफोन तथा तार घर और टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की प्रस्थापना थी; और

(ख) उक्त अवधि में जिलावार उक्त प्रकार के कितने कार्यालय वास्तव में स्थापित किये गये ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५३]**

गेहूं का उत्पादन

†१५४९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ में राज्यवार कितने अतिरिक्त क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन किया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : १९५८-५९ के गेहूं के उत्पादन के अन्तिम आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं।

पटसन का उत्पादन

†१५५०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ और १९५८ में राज्यवार कुल कितने क्षेत्र में पटसन का उत्पादन किया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५४]**

मराठवाड़ा के डाक घरों में चैक पद्धति

†१५५१. **श्री पांगरकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई के मराठवाड़ा क्षेत्र में अभी तक किस किस स्थान पर डाकघरों में चैक पद्धति प्रारम्भ की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

हेड आफिसों के नाम	सब आफिसों के नाम
औरंगाबाद	औरंगाबाद नगर औरंगाबाद कैंट
नंदेद . . .	ए० ओ० सी० रिकार्ड पोस्ट आफिस नंदेद नगर
उस्मानाबाद	परभणी स्टेशन
परभणी . . .	सदर अदालत।

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई राज्य में पुलों का निर्माण

†१५५२. **श्री पांगरकर**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १८ सितम्बर, १९५८ के बम्बई राज्य में पुलों के निर्माण सम्बन्धी अतारांकित प्रश्न संख्या २२६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसे सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). जी, हां । उसे शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

हजारीबाग में रेलवे साइडिंग

†१५५३. **काजी मतीन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के प्राधिकारियों ने हजारीबाग ज़िले में बहुत सी गैर-सरकारी कोयला खानों के लिये रेलवे साइडिंग तैयार करने के लिये आवेदन पत्र मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन कोयला खानों में काम करने वाले उप-पट्टेदारों के कहने पर पट्टेदारों ने साइडिंग बनाने पर आपत्ति की है; और

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि इन उप-पट्टेदारों ने किराया तथा अधिकार शुल्क देना बन्द कर दिया है और इस प्रकार से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है जिससे उनका किसी भी समय निष्कासन किया जा सकता है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां । परन्तु निर्माण कार्य गैर-सरकारी कम्पनियों की ओर से कराया जा रहा है और उसका खर्च भी वही वहन करेंगे ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां । पट्टेदारों ने अपने सालिसिटर के द्वारा पूर्व रेलवे प्रशासन को यह सूचित किया है कि उन्होंने कुछ एक उप-पट्टेदारों के विरुद्ध, जिन्होंने किराया तथा अधिकार शुल्क नहीं दिये हैं, निष्कासन सम्बन्धी मामले दायर कर दिये हैं और वे शेष पट्टेदारों के विरुद्ध भी, जिन्होंने किराया और अधिकार शुल्क नहीं दिये हैं, मामले चलाने का विचार रखते हैं ।

यदि उप-पट्टेदारों को उनके स्थानों से हटा दिया गया तो रेलवे उनकी गैर-सरकारी साइडिंग तक माल डिब्बे भेजना बन्द कर देगी और उन से यह कहेगी कि वे सरकारी भूमि से अपना स्थायी मार्ग सामान हटा लें ।

नंगल बांध स्टेशन पर यात्रियों का आवागमन

†१५५४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में उत्तर रेलवे के नंगल बांध स्टेशन पर कितने यात्रियों का आवागमन हुआ था; और

(ख) क्या उस लाइन पर कोई लाभदायक आय हो रही है या नहीं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १९५७-५८ में नंगल बांध स्टेशन पर ८९,५१६ यात्री आये और वहां से १,४०,१७२ यात्री गये।

(ख) रूपड़-नंगल बांध सेक्शन घाटे पर चल रहा है।

केसिंगा स्टेशन पर ऊपरी पुल

†**१५५५. श्री प्र० के० देव** : क्या **रेलवे** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण पूर्व रेलवे के केसिंगा रेलवे स्टेशन पर एक ऊपरी पुल बनाने के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : राज्य सरकार की मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है।

अकबरपुर—टांडा लाइन

†**१५५६. श्री कालिका सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८—५९ के रेलवे बजट में उत्तर रेलवे की अकबरपुर-टांडा लाइन को पुनः बनाने के लिये ३२.७४ लाख रुपये का जो राशि निर्धारित की गयी थी, उसमें १० लाख रुपयों की राशि का पूरा उपयोग कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) वह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). परियोजना को अभी मंजूरी नहीं मिली है। उसके वित्तीय पक्ष पर रेलवे बोर्ड अभी तक विचार कर रहा है।

रेलवे पदाधिकारी

†**१५५७. श्री ओंकार लाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलों में संस्थापन-निरीक्षकों, रोजगार निरीक्षकों, श्रम कल्याण निरीक्षकों, निपटान निरीक्षकों, कर्मचारी निरीक्षकों, सहकार-निरीक्षकों, खेल कूद निरीक्षकों और विधि-निरीक्षकों के स्थान होते हैं;

(ख) पश्चिम रेलवे में इस प्रकार के कितने स्थायी तथा अस्थायी स्थान हैं और उनके वेतन क्रम क्या-क्या ह; और

(ग) उन स्थानों के कर्मचारियों का काम किस-किस प्रकार का होता है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: रेलों में इस प्रकार के स्थान नहीं हैं। केवल संस्थापन निरीक्षक और निपटान निरीक्षकों के स्थान हैं।

(ख) और (ग). सभा-पटल पर दो विवरण रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५२]**

---

†मूल अंग्रेजी में

फीरोजपुर डिवीजन में टेलीफोन सम्बन्धी सुविधायें

†१५५८. **श्री दलजीत सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के फीरोजपुर डिवीज़न में किस-किस स्टेशन पर टेलीफोन सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध हैं; और

(ख) १९५९–६० में किन-किन स्थानों पर इस सम्बन्ध में सुविधायें दी जायेंगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) उन स्टेशनों के नाम जहां पर रेलवे की ओर से टेलीफोन सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध है :—

१. अमृतसर
२. फरीदकोट
३. फाजिल्का
४. फीरोजपुर कैंट
५. गोराथा
६. होशियारपुर
७. जलन्धर कैंट
८. जलन्धर सिटी
९. कोट कपूरा
१०. लेहड़ा गागा
११. लुधियाना
१२. मलेरकोटला
१३. पठानकोट जंकशन
१४. मंगरूर
१५. सुनाम
१६. तलवंडी
१७. उकलाना जंकशन

(ख) उन स्टेशनों के नाम जहां १९५९–६० में रेलवे की ओर से टेलीफोन सम्बन्धी सुविधाएं दी जायेंगी :—

१. अबोहर
२. बटाला
३. भगतांवाला
४. छेहरहा

---

†मूल अंग्रेजी में

५. फीरोजपुर नगर

६. गिद्दड़बाहा

७. गुरदासपुर

८. गजरांव

९. जंडियाला

१०. कपूरथला

११. मलौट

१२. मोगा तहसील

१३. नवांशहर दोआबा

१४. पालमपुर पंजाब

१५. पट्टी

१६. फगवाड़ा

१७. भिलौर जंकशन

१८. कादियां

१९. तरन तारन

२०. वेरका

पंजाब में टेलीफोन के कनेक्शन

†१५५९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ जनवरी, १९५९ को अमृतसर और जालंधर जिले के प्रत्येक एक्सचेंज में टेलीफोन लगाने के लिये आये हुए आवेदन पत्रों में से कितने पत्र अभी भी बकाया हैं ;

(ख) उन्हें कब तक कनैक्शन दे दिये जायेंगे ; और

(ग) १९५७–५८ में कितने नये कनक्शन दिये गये थे ;

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता ह । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५६]**

पंजाब में राष्ट्रीय राज पथों का निर्माण

†१५६०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कितनी राशि निर्धारित की गयी थी ;

(ख) कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ; और

(ग) अभी तक कितने मील सड़क बन चुकी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) उसके लिये कुल ३६६.७२ लाख रुपये निर्धारित किये गये थे। आशा है कि द्वितीय पपंचवर्षीय योजना में ६० प्रतिशत खर्च होगा अर्थात् उस पर २२० लाख रुपये खर्च होंगे। शेष राशि तृतीय योजना में खर्च की जायेगी।

(ख) जनवरी, १९५९ तक ८३.८६ लाख रुपये

(ग)

सड़कों की मरम्मत .	. ८७ मील
नयी सड़कों का निर्माण	. १३ मील
पुल निर्माण .	२ पुल

हिमाचल प्रदेश में छोटी सिंचाई योजनायें

†**१५६१. श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ के लिये हिमाचल प्रदेश की छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये कितनी राशि मंजूर की गयी है ? और

(ख) उसमें से कितनी राशि का इस समय तक इस्तेमाल किया जा चुका है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) २०.०० लाख रुपये।

(ख) हिमाचल प्रदेश प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनवरी, १९५९ तक ४,००,४०० रुपये खर्च किये गये हैं।

खाद्यान्नों के अधिकतम मूल्य

†**१५६२. श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्य स्थिति को नियन्त्रण में रखने की दृष्टि से देश के खाद्यान्नों के अधिकतम भाव निर्धारित करने का कोई विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न खाद्यान्नों के क्या-क्या भाव निर्धारित किये जायेंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख) सरकार ने ११ राज्यों में जिनमें संघ राज्य-क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, कुछ खाद्यान्नों के अधिकतम मूल्य और पहले ही निर्धारित कर दिये हैं। इस सम्बन्ध में जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५७**]

खाद्यान्नों के एक समान मूल्य

†**१५६३. श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सम्पूर्ण देश में खाद्यान्नों के एक समान मूल्य निर्धारित करने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्थापना की इस समय क्या स्थिति है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिण रेलवे पर पोडानूर में वर्कशाप

†१५६४. **श्री नंजप्पा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे पर पोडानूर 'सिगनलिंग एण्ड टेली कम्युनिकेशन वर्कशाप' के सम्बन्ध में इस समय क्या स्थिति है ; और

(ख) इसका विस्तार करके उसमें एक गवेषणा सेक्शन कब तक बढ़ाया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ३१ जनवरी, १९५९ तक पोडानूर में निम्नलिखित प्रगति हो चुकी थी :—

मशीनरी	५२ प्रतिशत
ढांचा निर्माण	८६ प्रतिशत
विद्युत् सम्बन्धी प्रगति	३० प्रतिशत

पोडानूर के वर्कशाप अप्रैल, १९५८ से चल रही है और उसमें १½ लाख रुपये के मूल्य का उत्पादन हो रहा है । आशा है कि १९६७ तक २ लाख रुपये के मूल्य का पूरा उत्पादन होना प्रारम्भ हो जायेगा ।

(ख) इसके विस्तार तथा/अथवा कोई गवेषणा सेक्शन स्थापित करने का कोई विचार नहीं है ।

कृषि योग्य खाली भूमि का उपयोग

†१५६५. **श्री राजेन्द्र सिंह :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार देश में कृषि योग्य खाली भूमि का उचित उपयोग करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक उच्च शक्ति सम्पन्न समिति नियुक्त करने का विचार रखती है ;

(ख) क्या समिति की शर्तों और निबन्धनों के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो वे क्या क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) इस प्रकार की कोई भी प्रस्थापना नहीं है ।

(ख) और (ग) . प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

तपेदिक के रोगी

†१५६६. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल के धुबुलिया के तपेदिक के 'आफ्टरकेयर एण्ड रिहैबिलिटेशन टी० बी० सेंटर' के लिये कितनी राशि मंजूर की गयी थी ।

(ख) वह केन्द्र कब स्थापित किया गया था ;

(ग) १९५७–५८ और १९५८–५९ में इस केन्द्र से तपेदिक के कितने रोगियों को लाभ हुआ था : और

†मूल अंग्रेजी में

(घ) कितने प्रशिक्षित व्यक्तियों को पुनर्वास अनुदान दिये गये हैं कि और क्या इन्होंने अपना जीवन पुनः ठीक प्रकार से चलाना प्रारम्भ कर दिया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) १,१२,५०० रुपये ।

(ख) केन्द्र अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है । उसका निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और आशा है कि दिसम्बर, १९५९ तक पूरा हो जायेगा ।

(ग) और (घ) .प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

हैजा और प्लेग सम्बन्धी गवेषणा कार्य

†**१५६७. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्लेग, हैजा तथा अन्य महामारी रोगों सम्न्धी गवेषणा कार्य का पुनरावलोकन करने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : हैजा प्लेग तथा अन्य महामारी रोगों की गवेषणा में यह प्रगति हुई है :—

प्लेग :

भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् प्लेग का अध्ययन करा रही है और इस बात पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है कि कुछ एक क्षेत्रों में प्लेग जल्दी क्यों फैलती है । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देहरादून में स्थापित किये गये प्लेग गवेषणा केन्द्र में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से यह पता लगाया जा रहा है कि 'रोडेंटों' द्वारा प्लेग कैसे फैलती है । देहरादून के प्लेग सैंटर में यह अध्ययन किया गया है कि प्लेग क्यों फैली रहती है और इसके फैलने में जंगली 'रोडेंटो' का क्या महत्व है ।

हैजा :

भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् ने कावेरी डेल्टा में, जहां हैजा महामारी के रूप में फैलता है, विस्तृत अनुसन्धान किया है । यह अध्ययन ३० गांवों में किया गया जिसकी जनसंख्या ६०,००० है । दो वर्ष तक सारी जनसंख्या की निरन्तर देखभाल की गई । इस अध्ययन से यह पता नहीं चल सका कि बीच-बीच में हैजा कैसे फैलता है ।

यह अध्ययन भी किया गया कि हैज़ा फैलने में मछली, विशेष कर हिल्सा मछली, का क्या महत्व है । न तो इस से और न ही बाद में जो मछली के कालरा विब्रियों को 'म्यूट' करने की संभावना का अनुसन्धान करने से लोक स्वास्थ्य के बारे में कोई संकेत मिला हालांकि यह स्पष्ट हो चुका है कि इस अध्ययन को जारी रखना चाहिये । भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् ने कालरा विब्रियों के बायो कैमिकल और इम्यूनोकैमिकल पहलुओं का और अध्ययन भी किया है और आशा है कि इस अध्ययन के फलस्वरूप हैज़े का वैक्सीन तैयार हो जायेगा जिस की प्रतीकारिता बहुत अधिक होगी ।

हैफ़किन संस्था ने, १९५७ में, हैज़े की औषधियों का अनुसन्धान करते हुए यह पता लगाया कि "नियोकिसिन" से, जो उन ऐंटीबायोटिक्स में से है जिन का हाल ही में पता लगाया गया है, छोटे खरगोशों को मरने से बचाया जा सकता है बशर्ते कि संक्रमण होते ही वह औषधि खिला दी जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कूनूर की पास्चर संस्था ने १९५७ में हैज़े का निम्नलिखित अध्ययन किया :—

(१) सफ़ेद-सूअरों को कम से कम कितना विब्रियस देने से संक्रमण हो सकता है ।

(२) सफेद-सूअरों को विब्रियस कालरी देने से क्या प्रभाव पड़ता है और (३) महामारी के समय निकाले गये विब्रियस कालरी की क्या प्रतिक्रिया होती है ।

इन्फ्लूएंजा :

१९५२ से ले कर भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद कूनर में इनफ्लूएंज़ा केन्द्र में अध्ययन करती रही है जिस से कि भारत में 'इंनफ्लूएंज़ा' के ऐंटीजैनिक विशेषताओं का विश्लेषण किया जा सके । यह देखा गया था कि अगस्त १९५० में कूनूर में जो इनफ्लूएंज़ा का प्रथम टाइप 'ए' प्राइम वायरस स्ट्रेन अलग किया गया था वह लिवरपूल सब टाइप का था । कूनूर गवेषणा केन्द्र में बाद में जो अध्ययन किया गया कि १९५० से १९५४ तक लिवरपूल टाइप से सम्बद्ध 'स्ट्रेनों' से ही इनफ्लुएंज़ा फैलता रहा । इसके अतिरिक्त इनफ्लुएंजा केन्द्र ने भारत के विभिन्न भागों में सेरोलोजिकल अनुसन्धान किये हैं और यह पता लगाया है कि टाइप 'ए' वायरस मद्रास, पालमकोटा, बम्बई, विशाखापटनम, बंगलौर में और आसाम, मैसूर और केरल के कुछ भागों में होता है जबकि बम्बई, जमशेदपुर और कोयम्बटूर में 'बी' टाइप का वायरस होता है । कूनूर केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा लन्दन में स्थापित किये गये विश्व इनफ्लएंज़ा केन्द्र के सहयोग से काम करता है । इस केन्द्र ने इनफ्लूएंजा वायरस के बारे में यह अध्ययन किया था :—

(१) सेरोलोजिकल ;

(२) इनफ्लूएंज़ा वायरस स्ट्रेन के ही मेगलुशिनेशन टिटर पर फार्मेलेडिहाइट की प्रतिक्रिया ;

(३) भारत में इनफ्लूएंज़ा वायरस के स्ट्रेनों के क्युटेशन और पुनः मिश्रित करने संबंधी अध्ययन ; और

(४) इनफ्लूएंज़ा के रोगियों से अलग किये गये बैक्टीरिया पर अध्ययन ।

पोलियोमिलाइटिस :

भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद ने बम्बई में ग्रांट मैडिकल कालेज के पैथालोजी विभाग में एक पोलियोमिलाइटिस गवेषणा एकक की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि बम्बई में और इस के आसपास रोग की एपीडेमियालोजी का अध्ययन किया जा सके । अध्ययन के फलस्वरूप भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद ने भारत में पोलियोमिलाइटिस सम्बन्धी वर्तमान जानकारी का पुनरावलोकन प्रकाशित किया और सल्फ वैक्सीन को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए इस जानकारी का विश्लेषण किया गया था ।

मस्तिष्कोप

पूना, कूनूर और लखनऊ में भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद द्वारा स्थापित किये गये वायरस गवेषणा केन्द्रों के विशेषज्ञों ने इस रोग से पीड़ित रोगियों के पाखाने से वायरस अलग किये हैं जिन की पहचान करने के बारे में अध्ययन किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे की भूमि

†१५६८. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री ६ दिसम्बर, १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या -११५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ४०,००० एकड़ कृषियोग्य भूमि का कृषकों के साथ निबटारा न करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) इस भूमि का निबटारा न होने के कारण रेलवे को अनुमानत: कितनी हानि हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) रेलवे के पास कृषि योग्य फाल्तू भूमि व्यक्तिगत रूप से अस्थायी तौर पर राज्य सरकारों के द्वारा कृषकों को दे दी जाती है । इस भूमि का प्रयोग करना राज्य सरकार का काम है । जहां तक सम्भव होता है रेलवे इस योजना को चालू रखती है ।

(ख) लाइसेंस वाली भूमि का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना नहीं बल्कि 'अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन' की सहायता करना है । इसलिये लाभ और हानि का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । यदि रेलवे की सारी फाल्तू भूमि में काश्त की जाती तब भी आप का अनुमान लगाना सम्भव नहीं था क्योंकि प्रत्येक राज्य में और राज्य के प्रत्येक भाग में राजस्व की दर अलग होती है ।

देहरादून में उचित मूल्य वाली दूकानें

†१५६६. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून में केन्द्रीय सरकार के सभी उपक्रमों में उचित मूल्य वाली दुकानें हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या गांवों में रहने वाले लोग भी इन दुकानों से अनाज खरीद सकते हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें अलग रखने के क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). केवल केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों अथवा संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये उचित मूल्य वाली दुकानें खोलने का सरकार का कोई इरादा नहीं है । यदि किसी क्षेत्र में उचित मूल्य वाली दुकान खोली जाती है तो वहां की सारी जनता उस से फायदा उठाती है । देहरादून नगर और देहरादून जिले के अन्य भागों में उचित मूल्य वाली दुकानें मौजूद हैं जहां से सब लोग अनाज खरीद सकते हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन कर्मचारी

†१५७०. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री राम कृष्ण :
श्री वाजपेयी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के अधीन काम करने वाले १५० टैक्नीकल कर्मचारी **फाल्तू** घोषित कर दिये गये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उन्हें दूसरी नौकरियां दिलाई जा रही हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन में चालू ट्रैक्टरों की संख्या कम हो जाने के कारण जो ६५७ व्यक्ति फाल्तू हो गये थे उन में से ११३ व्यक्तियों को ३१-१२-१९५८ को अन्तिम रूप से फाल्तू घोषित कर दिया गया। शेष को वैकल्पिक नौकरियां दी गई हैं। उस के बाद और १८ व्यक्तियों को नौकरियां दिलाई जा चुकी हैं और शेष ९५ के लिये प्रयत्न हो रहे हैं।

डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये कल्याण बोर्ड

१५७१. श्री भक्त दर्शन : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ९ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये कल्याण बोर्ड द्वारा अब तक सिफारिश की गई योजनाओं के ब्योरे का एक विवरण पटल पर रखा जायेगा ; और

(ख) उन में से प्रत्येक के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : इस सम्बन्ध में सभा-पटल पर एक विवरण पत्र रखा गया है, जिस में मांगी गई सूचना दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५८]**

नागार्जुनसागर परियोजना

†१५७२. { **श्री नागी रेड्डी :**
श्री रामम् :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागार्जुनसागर परियोजना के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ;

(ख) १९५८-५९ और १९५९-६० के लिये कितनी राशि मांगी गई है ; और

(ग) अब तक कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) लगभग २८० लाख रुपये।

(ख) १९५८-५९ . . लगभग ३० लाख रुपये
१९५९-६० . . लगभग ९० लाख रुपये।

(ग) अभी लगभग ४५.५९ लाख रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा की मंजूरी दी गई है।

गाड़ियों का लेट चलना

†**१५७३. श्री स० म० बनर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३१ दिसम्बर, १९५८ को दिल्ली जंकशन पर बहुत सी गाड़ियां लेट पहुंची और वहां से लेट चली ;

(ख) यदि हां, तो उन गाड़ियों के नाम क्या हैं और वे कितनी लेट पहुंची अथवा चली ; और

(ग) इसके क्या कारण ह ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५९]**

†मूल अंग्रेजी में

(ग) (१) ३१-१२-५८ को उत्तर रेलवे के कई सैक्शनों पर बहुत अधिक धुंद होने के कारण गाड़ियां ठीक समय पर नहीं पहुंच सकीं ।

(२) दिल्ली स्टशन पर बहुत सी गाडियां आती हैं और एक गाड़ी के लेट होने का अन्य गाड़ियों पर भी प्रभाव पड़ता है ।

(३) वे गाड़ियां देर से चली जो लेट आने वाली गाड़ियों से मेल रखती हैं ।

(४) कुछ प्रमुख गाड़ियों के कनैक्शन के कारण ।

(५) डिब्बों को अलग करने और दूसरी गाड़ियों के साथ लगाने के कारण ।

दिल्ली में मुर्गी पालन फार्म

१५७४. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय कितने मुर्गी पालन फार्म हैं ;

(ख) इनसे औसत कितने अण्डे प्रति मास की पैदावार है ;

(ग) क्या यह दिल्ली की मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या प्रयत्न कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) ४५ ।

(ख) लगभग २०,००० ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) दिल्ली में अंडों का उत्पादन बढ़ाने के लिये निम्न कदम उठाये जा रहे हैं :—

(१) अच्छे आधारित मुर्गियों और मुर्गों की सप्लाई के लिये दिल्ली प्रशासन का विकास विभाग एक मुर्गी फार्म चला रहा है ।

(२) वैज्ञानिक ढंग पर मुर्गी–पालन भवन बनवाने के लिये, मुर्गी–पालकों को २ रुपये प्रति पक्षी की दर से या मुर्गी–पालन भवन की कुल कीमत का ५० प्रतिशत, जो भी दोनों में कम हो, के रूप में सहायता दी जाती है ।

(३) मुर्गी–पालकों को तकनीकी सलाह और सहायता दी जाती है, जिस में रानीखेत और माता की बीमारी के रोकने के लिये मुफ्त में टीके लगाना शामिल हैं उनको मुर्गी–पालन के सामान की उपलब्धी में तथा मुर्गियों की उत्पादित वस्तुओं के बेचने में भी सहायता की जाती है ।

(४) एक दिन के मुर्गी के बच्चों को पालने के लिये सहायता भी स्वीकार की जाती है ।

दिल्ली में बीज के फार्म

१५७५. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दिल्ली में बढ़िया बीज उत्पन्न करने के लिये फार्म बनाने की योजना स्थगित कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस समय दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत कितने फार्म हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) आजकल कोई बीज के फार्म नहीं हैं । क्रमश : ४० एकड़ और ४७ एकड़ के दो फार्मों के लिये दो ब्लाकों में स्थान देख लिये गये हैं । और ज़मीन को प्राप्त करने के लिये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है ।

भटनी जंक्शन स्टेशन पर विक्रेताओं को लाइसेंस

†१५७६. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख स्टेशनों पर विभागीय भोजन व्यवस्था करने सम्बन्धी रेलवे प्रशासन की नीति में कोई परिवर्तन हुआ है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे में भटनी जंकशन स्टेशन पर हाल ही में इसे प्रतिकूल कार्य किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस प्रमुख स्टेशन पर रेलवे विभागीय भोजन व्यवस्था लाभ में चल रही थी जब कि एक ऐसी फर्म को लाइसेंस दे दिया गया जिसका उस स्थान से कोई तालुक नहीं था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). विभागीय भोजन व्यवस्था फायदे में चल रही थी ।

भटनी स्टेशन पर भोजन व्यवस्था का पहला ठेका समाप्त करना पड़ा था और तब तक के लिये जब कोई उपयुक्त ठेकेदार मिल जाये यह कार्य अस्थायी तौर पर विभाग ने अपने हाथ में लिया था । उसके बाद उपयुक्त ठेकेदार को टेका दे दिया गया है ।

गाड़ियों के पायदानों पर सफर करना

†१५७७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में कितने व्यक्ति गाडियों के पायदानों पर सफर करते हुए गिर कर मर गये ।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** ५९ ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना

†१५७८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री जं० ब० सि० बिष्ट :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३०३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की स्थापना करने में आगे और क्या प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** प्रारम्भ में सेवा में कितने कर्मचारी होंगे यह निश्चय किया जा चुका है । विधि मंत्रालय ने यह मंत्रणा दी है कि सेवा की रचना करने से पूर्व केन्द्रीय

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वास्थ्य सेवा नियम तैयार किये जायें। इस समय इन नियमों का परीक्षण किया जा रहा है। नियम प्रकाशित होते ही सेवा की स्थापना हो जायेगी।

उड़ीसा में फल परिरक्षण एकक

†१५७९. **श्री पाणिग्रही** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १२ फरवरी, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में जो फल परिरक्षण के चार छोटे पैमाने के एकक स्थापित किये जाने थे वे स्थापित किये जा चुके हैं ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये १९५७–५८ में स्वीकृत की गई राशि खर्च की जा चुकी है ; और

(ग) प्रस्तावित एकक वहां लगाये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). जी हां।

(ग) दो कटक में, और अंगुल तथा परलाखेमुंडी में एक-एक।

दिल्ली में महामारी के रोग

†१५८०. **श्री राम कृष्ण गुप्त**: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत की राजधानी में महामारी के रोगों का मुकाबला करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : दिल्ली में महामारी के रोगों का मुकाबला करने के लिये ये उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है :—

१. नगरों में पीने के पानी में और ग्राम्य क्षेत्रों में कुओं में क्लोरीन मिलाना।

२. गंदगी को हटाने और डी० डी० टी० और कृमिनाशक वस्तुओं से मक्खियों को बढ़ने से रोकने की देख रेख करना।

३. चेचक और हैज़े के वैक्सीन लगाने पर ज़ोर देना और प्रसूत तथा शिशु कल्याण केन्द्रों और स्कूलों में १० वर्ष से कम आयु के बच्चों को उनमुक्त करना।

४. दिल्ली में संघ राज्य क्षेत्र में महामारी रोग अधिनियम, १८९७ के आपातकालीन विनियमों को प्रख्यापित करना इन्हें लागू किया जा सके :

(क) खाने पीने की वस्तुओं के विक्रय पर कड़ा नियंत्रण ;

(ख) संक्रामक रोगों के रोगियों को इन्फैक्शियस डिज़ीज़िज़ अस्पताल, दिल्ली में ले जाया जाये ; और

(ग) संक्रमण वाले स्थानों में कृमिनाशक पदार्थ छिड़कना।

५. संक्रमक रोग अस्पताल, दिल्ली में और बीमारी फैलने के स्थान पर उपयुक्त उपचार के लिये और संक्रामक रोगियों को अलग रखने की व्यवस्था करना।

६. स्वास्थ्य शिक्षा उपायों को अधिक गहन बनाना और जनता से निवेदन करना कि उबला हुआ पानी पिया जाये और गरम भोजन खाया जाये अलग बर्तन इस्तेमाल किये जायें और सार्वजनिक स्थानों पर जाने से पहले परहेज़ किया जाये।

७. घरों में काम करने वाले नौकरों, ईंटों के भट्टों और गोंद के कारखानों में काम करने

†मूल अंग्रेजी में

वाले इधर-उधर जाने वाले लोगों को उन्मुक्त करने के बारे में विशेष ध्यान देना ।

८. जब कभी आवश्यक होते हैं वैक्सीन और टीका लगाने वाले अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं ।

९. वैक्सीन लगाने के लिये नियुक्त किये गये कर्मचारियों को वैक्सीन लिम्फ देने की पर्याप्त व्यवस्था की जाती है ।

१०. महामारी के रोगों का मुकाबला करने के लिये आपातकाल के लिये औषधियों का स्टाक रखा जाता है ।

११. वैक्सीन लगाने के लिये प्रसूती कर्मचारियों की सेवायें प्राप्त की जाती हैं । प्रसूत तथा शिशु कल्याण केन्द्रों में काम करने वालों को चेचक से उन्मुक्त किया जाता है ।

१२. दिल्ली नगर निगम को खंडों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक खंड में नगर-पालिका के डाक्टर डिप्थीरिया से बचाव के लिये बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगा रहे हैं ।

१३. रोगी के सम्पर्क में आने वाले १० वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रौफिलैक्टिक डिप्थीरिया का टीका लगाया जाता है । रोगी के सम्पर्क में आने वाले अन्य व्यक्तियों का प्रयोगशाला में परीक्षण करके उन्हें स्कूल और दफ्तर जाने से तब तक रोका जाता है जब तक उनके गले की राल इतनी सुधर नहीं जाती कि उनकी रोगी होने की संभावना न रहे ।

बोलपुर रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण

†१५८१. **श्री सुबिमल घोष** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में पूर्व रेलवे के बोलपुर स्टेशन (शान्ति निकेतन) के नवनिर्माण पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ख) क्या नवनिर्माण करते समय तीसरे दर्जे के विश्राम शेड में कोई परिवर्तन किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: (क) १९५८–५९ में खर्च निश्चित नहीं किया गया था । अब तक कुल १.६९ लाख रुपये खर्च हुए हैं ।

(ख) जी नहीं ।

चीनी कारखानों को लाइसेंस दिया जाना

†१५८२. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने किसी नये चीनी कारखाने को कोई लाइसेंस दिया है;

(ख) यदि हां, तो १९५७–५८ में कितने सहकारी चीनी कारखानों को लाइसेंस प्राप्त हुए; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश में कितने सहकारी चीनी कारखानों ने लाइसेंसों के लिये प्रार्थना की है और कितनों को वास्तव में लाइसेंस और अन्य सुविधायें दी गयी हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) और (ख). जी, हां । उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ के लागू होने के बाद से ५४ लाइसेंस दिये गये हैं । वर्ष १९५७–५८ में ७ लाइसेंस दिये गये थे जिनमें से ६ सहकारी चीनी कारखानों की स्थापना के लिये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) कुल १० आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे । ६ आवेदनकर्त्ताओं को लाइसेंस दिये गये थे । बाद में इन में से एक रद्द कर दिया गया क्योंकि सम्बन्धित समिति निर्धारित समय के अन्दर कारखाने की स्थापना नहीं कर सकी । बाकी चार आवेदन-पत्रों को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि और लाइसेंस देने के लिये फालतू उत्पादनक्षमता उपलब्ध नहीं थी ।

चित्तरंजन का रेलवे इंजन कारखाना

†**१५८३. श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चित्तरंजन रेलवे इंजन कारखाने में बने रेलवे इंजनों के पुर्जों के आयात पर १९५३–५४ से कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है; और

(ख) १९५३–५४ से भारत में बने पुर्जों की क्या प्रतिशतता है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६०]**

स्थान शुल्क और विलम्ब शुल्क[1]

†**१५८४. श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५४–५५ के बाद से रेलवे को स्थान शुल्क और विलम्ब शुल्क के रूप में गैर-सरकारी फर्मों से कुछ धनराशि लेनी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि लेनी है; और

(ग) जिन फ़र्मों से यह धनराशि लेनी है, उनके क्या नाम हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) १४० लाख रुपये (लगभग ३१-१२-१९५८ तक) ।

(ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६१]**

दिल्ली में फेरी वाले

†**१५८५. श्री वाजपेयी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगरपालिका की सीमा में बिना लाइसेंस वाले फेरी वालों को रोकने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी है या किये जाने का विचार है;

(ख) क्या यह सच है कि फेरी वालों के लिये १९३० में नियम बनाये गये थे और उनका कभी भी पूरी तौर से पालन नहीं किया गया; और

(ग) क्या छोटे व्यापारियों के लिये कम्युनिटी सर्विस टेनिमेंट्स बनाने और कार्यालयों और स्कूलों से ऐसी कैन्टीनों की स्थापना करने के लिये जोर डालने का प्रस्ताव है जिनमें फेरी वालों को खपाया जा सके ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) नई दिल्ली नगरपालिका ने बताया है कि फेरी वाला निरोधक कर्मचारी जिनमें १ सेनिटरी इन्सपेक्टर, २ सहायक सेनिटरी इन्सपैक्टर और ६ बेलदार होते हैं, पुलिस की सहायता से जिसमें एक हैड कांस्टेबिल और छः कांस्टेबिल होते हैं, नई दिल्ली में प्रतिदिन अनधिकृत फेरी वालों को पकड़ते हैं । जहां तक की जाने वाली कार्यवाही का सम्बन्ध है, फेरी वालों की समस्या का समाधान करने के लिये एक व्यापक योजना समिति के विचाराधीन है ।

---

[1]†मूल अंग्रेजी में
Wharfage and Demurrage Charges.

(ख) फेरी वालों पर नियंत्रण रखने के लिये १९३० में नियम बनाये गये थे और उनको यथासम्भव लागू किया जा रहा है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नई दिल्ली नगरपालिका के विचाराधीन नहीं है।

डाक तथा तार विभाग की फाइलों का खोया जाना

†१५८६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता स्थित तार भण्डार के मुख्य नियंत्रक (चीफ़ कंट्रोलर आफ टेलिग्राफ स्टोर्स) के कार्यालय से लगभग ३००० महत्वपूर्ण फाइलें गायब हैं;

(ख) यदि हां, तो ये फाइल कार्यालय के बाहर कैसे गयीं; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**:(क) नवम्बर, १९५८ में कलकत्ता स्थित तार भण्डार के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय से लगभग ४३०० फाइलों के गुम होने का पता लगा। इनमें से ११७० फाइलों को नष्ट करना था और बाकी में पुराने रेकार्ड थे।

(ख) हानि का २५ नवम्बर को पता लगा जब कुछ फाइलें गुम हुई पायी गयीं। जांच से पता लगा कि बहुत सी फाइलें रैक में से उठायी गयी थीं।

(ग) विभागीय और पुलिस जांच हो रही है और इन जांचों का परिणाम अभी अपेक्षित है।

त्रिपुरा नगरपालिका अधिनियम

†१५८७. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुराने त्रिपुरा नगरपालिका अधिनियम का निरसन करके उसके स्थान पर बंगाल नगरपालिका अधिनियम को लागू करने का एक प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो किन कठिनाइयों के कारण नया अधिनियम अभी तक लागू नहीं किया गया है; और

(ग) इन कठिनाइयों को कब दूर किया जायेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). वर्तमान त्रिपुरा राज्य नगरपालिका अधिनियम का निरसन करने वाले एक विधेयक और बंगाल नगरपालिका अधिनियम, १९३२ का स्थानीय परिस्थितियों के लिये उपयुक्त आवश्यक संशोधन करके विस्तार करने के लिये एक अधिसूचना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और उनकी विधि मंत्रालय के परामर्श से अन्तिम जांच की जा रही है। यह आशा की जाती है कि आवश्यक विधान का काम शीघ्र ही ले लिया जायेगा।

हिमाचल प्रदेश में सहकारी ऋण समितियां

१५८८. **श्री पद्म देव** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में इस समय कितनी सहकारी ऋण समितियां काम कर रही हैं;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) इन समितियों की १९५८ में कितनी पूंजी लगी हुई थी; और

(ग) योजना के अनुसार १९५८ में इन समितियों को सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति): (क) ५८८ कृषि और ५३ दूसरी ऋण समितियां ३० जून १९५८ तक।

(ख) (रुपए लाखों में)

आंकड़ों को हज़ार तक सीधा कर लिया गया है

	अंश पूंजी	परिचल पूंजी	पूंजी नियोजन
कृषि ऋण समितियां	१२.७४	४१.०१	९.२२
दूसरी ऋण समितियां . . .	२.२८	४.६२	०.२७।

(ग) १९५७-५८ में इन समितियों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई।

सिंचाई परियोजनायें

†१५८९. **श्री जाधव :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के स्थान पर छोटे सिंचाई कार्यक्रमों को आरम्भ करने के लिये हैदराबाद में हुई सब राज्यों के सिंचाई मंत्रियों और केन्द्रीय सरकार के सिंचाई और विद्युत् मंत्री की पिछली बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय किये गये; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) इस मंत्रालय द्वारा सब राज्यों के सिंचाई मंत्रियों की ऐसी कोई बैठक नहीं की गयी। तथापि, केवल छोटे सिंचाई कार्यों में की गयी प्रगति और उनके चालू रखने के बारे में पुनर्विलोकन के लिये जुलाई, १९५८ में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा दक्षिणी राज्यों के कृषि मंत्रियों का छोटी सिंचाई सम्बन्धी एक प्रादेशिक सम्मेलन हैदराबाद में किया गया। बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के स्थान पर छोटे सिंचाई कार्यक्रमों पर काम आरम्भ करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बोलपुर स्टेशन पर रेलवे सैलून

†१५९०. **श्री सुबिमन घोष:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २२ से २४ दिसम्बर, १९५८ के दौरान पूर्व रेलवे के बोलपुर रेलवे स्टेशन पर कितने सैलून आये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां):** २३ और २४ दिसम्बर, १९५८ को पूर्व रेलवे के बोलपुर स्टेशन पर पश्चिम बंगाल राज्य का एक सैलून था जिसमें पश्चिमी बंगाल की राज्यपाल आयी थीं।

गोबर

†१५९१. **श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोबर के ईंधन के रूप में प्रयोग होने के फलस्वरूप भूमि की उर्वरता में होने वाली हानि को न्यूनतम करने के लिये सरकार ने जनरेटरों को लागू करके एक योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो क्या जनरेटरों का निर्माण करने की सरकार की कोई योजना है;

(ग) क्या उनको ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिया जायेगा या केवल कुछ चुने हुए स्थानों को दिया जायेगा; और

(घ) प्रत्येक जनरेटर का निर्धारित न्यूनतम मूल्य क्या होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (घ). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है :

विवरण

वर्ष १९५३ में भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में गोबर से गैस बनाने के संयंत्र का एक ग्रामीण मोडल, जो कि बनाने और चलाने में आसान है और गांवों में एक किसान के संयुक्त परिवार के लिये उपयुक्त है, का डिजाइन बनाया गया था और इसका दिल्ली के आसपास के १२ ग्रामों में किसानों के घरों में वास्तविक रूप से चलाने के लिये परीक्षण किया गया था। २ वर्षों तक इसके सफलता से चलने के पश्चात् इस संयंत्र को देश में लोकप्रिय बनाने के लिये कार्यवाही की गयी। संयंत्र की स्थापना और उसको चलाने के बारे में विवरण देते हुए एक पर्चा तैयार किया गया है जिसको समूचे देश में से किसानों से प्राप्त असंख्य पूछताछ के उत्तर में निःशुल्क बांटा जाता है।

विभिन्न राज्यों के देशीय भाषाओं के अखबारों में जनोपयोगी लेख छापे गये हैं।

भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में राज्य विकास और कृषि विभागों और गैर-सरकारी संस्थाओं और किसानों के लिये संयंत्र की स्थापना में प्रशिक्षण देने की सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है। भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में प्रदर्शन और प्रशिक्षण कार्य के लिये संयंत्र का एक चालू मोडल रखा गया है। किसी भी राज्य में, जब भी आवश्यकता हो, संयन्त्र की वास्तविक स्थापना के लिये टेक्निकल असिस्टेंट की निःशुल्क सेवा की जाने की भी व्यवस्था है।

१९५६ और १९५७ में ग्रामीण संघों के सम्मेलन की दो प्रदर्शनियों और 'भारत १९५८ प्रदर्शनी' में गैस संयंत्र का प्रदर्शन कया गया था।

बम्बई, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में गैस संयंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकारी योजनायें चालू हैं। राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि वे हर सामुदायिक विकास खंड में कम से कम एक संयंत्र अवश्य रखें।

इस तरीके से गोबर में विद्यमान उर्वरक के तत्व नष्ट नहीं होते हैं। केवल गैस के रूप में गर्म तत्वों के हट जाने से जो अवशेष रह जाता है वह वास्तव में मूल गोबर से अधिक लाभदायक खाद होता है। भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में उगायी गयी फसल के बारे में व्यावहारिक परीक्षण से ऐसा पता चला है।

गोबर से गैस बनाने के संयंत्र की लागत ३५० रुपये आंकी गयी है।

गेहूं का आयात

†**१५९२. श्री मोहन स्वरूप** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी सरकारी प्रयोगशाला में आयात किये गये गेहूं के किसी नमूने के कुछ अंश का परीक्षण और विश्लेषण किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) पत्तनों पर और दिल्ली में आयात किये गये गेहूं के हर लदान के नमूने का सरकारी प्रयोगशालाओं में विश्लेषण किया जाता है।

(ख) सामान्यतः गेहूं करार में बतायी गयी किस्म के अनुरूप पाया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्वोत्तर रेलवे के विरुद्ध दावे

†१५९३. **श्री मोहन स्वरूप:** क्या **रेलवे** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं कि क्षतिपूर्ति के वाजिब दावों को मुकदमा दायर किये जाने से पहले ही चुका दिया जाये ताकि बाद में खर्चा न देना पड़े और मुकदमा लड़ने पर नाहक खर्च न करना पड़े ; और

(ख) १९५५–५६, १९५६–५७ और १९५७–५८ में क्षतिपूर्ति के लिये दायर किये गये कितने दावों में पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा मुकद्दमों को स्थगित करने के लिये आवेदन किया गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है :

विवरण

निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है :

(१) क्षतिपूर्ति के लिये सब दावों को शीघ्रता से निबटाने के लिये हर प्रयत्न किया जाता है ।

(२) क्षतिपूर्ति के दावे तब तक प्रत्याख्यात नहीं किये जाते हैं जब तक कि प्रत्याख्यान के लिये पर्याप्त कारण न हों जो कि विधि न्यायालय में सिद्ध हो सकते हैं ।

(३) साधारणत: प्रत्याख्यान के विरुद्ध अपील उस स्तर से ऊपर के पदाधिकारियों को की जाती है जिन्होंने दावों को मूलत: प्रत्याख्यात किया ।

(४) जिन दावों के निबटारे में विलम्ब होता है उनका यथासम्भव शीघ्र निबटाने के लिये विशेष रुप से पुनरीक्षण किया जाता है ।

(५) जैसे ही असैनिक प्रक्रिया संहिता की धारा ८० के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त होते है यह देखने के लिये कि ऐसा तो कोई मामला न्यायालय में नहीं ले जाया गया है जिसका निबटारा होना चाहिये था, एक वरिष्ठ पद वाला पदाधिकारी मामलों का विशेष रूप से पुनर्विलोकन करता है ।

(ख) पृथक् रूप से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं और न ही अनुचित समय और श्रम लगाये बिना ये आंकड़े एकत्र करना सम्भव है ।

तथापि, यह सच है कि बहुत से मामलों में स्थगन कराना पड़ता है क्योंकि बहुधा लिखित वक्तव्य देने अथवा गवाही की व्यवस्था करने के लिये न्यायालय द्वारा दिया गया समय बहुत कम होता है । विशेषत: बहुत से मामलों में अन्य रेलवों से आदेश लेने पड़ते हैं और गवाहियों की व्यवस्था करनी पड़ती है जिसमें समय लगता है ।

पूर्वोत्तर रेलवे के विरुद्ध दावे

†१५९४. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या **रेलवे** मंत्री १२ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०९ और ११० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे किन कारणों से व्यवहार न्यायालयों में क्षतिपूर्ति के दावों की पैरवी पर किये गये खर्च और व्यवहार न्यायालयों में सुनवाई को स्थगित कराने में इसके विरुद्ध लगे खर्च और व्यवहार मामलों में रेलवे के विरुद्ध दी गयी खर्च की डिग्रियों का हिसाब नहीं रखती ;

(ख) क्या पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा ७७ के अन्तर्गत दावों का नोटिस आने पर और व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ८० के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त होने पर क्षतिपूर्ति के दावों को निबटाने के लिये कोई कार्यवाही करता है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जाती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) नियमों के अन्तर्गत इन मदों पर हुए खर्चों के आंकड़े पृथक् रूप से रखने की आवश्यकता नहीं है; इनका हिसाब खर्चे की अन्य मदों के साथ इकट्ठा रखा जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) १८६० के भारतीय रेलवे अधिनियम ६ की धारा ७७ के अन्तर्गत दावों का नोटिस प्राप्त होने पर दावों को शीघ्रता से निबटाने का प्रयत्न किया जाता है। विलम्ब वाले मामलों में पृथक् रूप से ध्यान दिया जाता है।

जैसे ही व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ८० के अन्तर्गत और नोटिस आते हैं, तो यह सुनिश्चित करने के लिये कि अन्तिम निर्णय शीघ्र किया जाये और मामले को अनावश्यक रूप से न्यायालय में न ले जाया जाये, मामलों का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जाता है।

सहकारी समितियों के सचिवों का प्रशिक्षण

†*१५६५. **श्री अरविन्द घोषाल :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी समितियों के सचिवों को प्रशिक्षण देने का काम चालू हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब और कहां चालू किया गया है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्त्ति)** : (क) और (ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में वे स्थान बताये गये हैं जहां अवैतनिक पदधारियों को (सहकारी समितियों के सचिवों समेत) प्रशिक्षण दिया गया और यह बताया गया है कि १ अप्रैल, १६५८ से ३१ दिसम्बर, १६५८ तक की कालावधि में वास्तव में कुल कितने समय तक प्रशिक्षण दिया गया। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६२]**

चम्बल परियोजना

†१५६६. **श्री पांगरकर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चम्बल परियोजना सम्बन्धी सिंचाई और विद्युत् दल की सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में दल की सिफारिशों की क्रियान्विति के बारे में की गई प्रगति बताई गई है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे कर्मचारियों का नौकरी से निकाला जाना

†१५९७. **श्री वाजपेयी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४७ से अब तक भारतीय रेलवे संस्थापन संहिता के नियम १४८ के अन्तर्गत कितने रेलवे कर्मचारियों को श्रेणी-वार नौकरी से निकाला गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : भारतीय रेलवे संस्थापन संहिता के नियम १४८ के अन्तर्गत रेलवे कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाला जाता परन्तु उन की सेवायें समाप्त कर दी जाती हैं। दक्षिण-पूर्व और पूर्व रेलवे को छोड़ कर भारतीय रेलवे में १९४७ से ३१-१-५९ तक १२ वर्षों में जिन रेलवे कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की गयीं, उन की संख्या निम्न प्रकार है :

प्रथम श्रेणी . . .	कोई नहीं
द्वितीय श्रेणी . . .	१
तृतीय श्रेणी . . .	१०२
चतुर्थ श्रेणी . . .	२१

इन दो रेलवे प्रशासन के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

छोटे स्टेशनों के कर्मचारियों के लिये सुरक्षा व्यवस्था

†१५९८. **श्री वाजपेयी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे स्टेशनों के कर्मचारियों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या सरकार को छोटे स्टेशनों के कर्मचारियों से छोटे स्टेशनों पर रेलवे क्वार्टरों को राज्य पुलिस के बजाय रेलवे सुरक्षा बल के अन्तर्गत लाने के बारे में एक सुझाव प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) छोटे स्टेशनों पर लगाये गये रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रारम्भिक रूप से राज्य सरकारों की है जो पुलिस द्वारा पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था करती हैं। तथापि, कर्मचारियों में विश्वास पैदा करने के लिये रेलवे सुरक्षा बल के सशस्त्र सैनिक भेद्य स्थानों पर भेजे जाते हैं और पुलिस से उचित कार्यवाही करने को कहा जाता है।

(ख) और (ग). रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों के लगाने के लिये दक्षिण रेलवे के इरोड और ताम्बरम् स्टेशनों के रेलवे कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे परन्तु उस पर इसलिये सहमति नहीं दी जा सकी क्योंकि छोटे स्टेशनों के कर्मचारियों की सुरक्षा रेलवे सुरक्षा बल के क्षेत्राधिकार से बाहर है। तथापि ऐसी प्रार्थनाओं पर तत्काल ध्यान दिया जाता है और इन को सम्बन्धित जिला पुलिस की सूचना में लाया जाता है।

---

† मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय राजपथ संख्या २६ पर पुल

†१५९९. **पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरमनघाट के निकट राष्ट्रीय राजपथ संख्या २६ पर नर्मदा नदी पर पुल बनाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) सागर और बरमनघाट के बीच इसी राजपथ पर देहार और दंरमा नदियों पर दो अन्य पुलों के बनाये जाने के बारे में प्रस्ताव का क्या ब्यौरा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) बरमनघाट में नर्बदा नदी पर एक पुल बनाने के लिये दो बार टेंडर आमंत्रित किये गये थे परन्तु टेंडरों की दरें अधिक होने के कारण उत्तर संतोषजनक नहीं था। बहुत सी मशहूर फर्मों से और मूल्य कथन (कोटेशन) मांगे जाने पर एक मूल्य कथन प्राप्त हुआ जो अधिक अनुकूल था। ९ फरवरी, १९५९ को राज्य सरकार से टेंडरों की पड़ताल के दौरान उत्पन्न कुछ विशेष बातों के सम्बन्ध में टेंडर देने वालों का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद, संविदा सम्पन्न करने के लिये कहा गया है ।

(ख) जहां तक देहार नदी के पुल का सम्बन्ध है, १६ फरवरी, १९५९ को इस कार्य के लिये ५,०१,९०० रुपये के प्राक्कलन पर स्वीकृति दे दी गई है ।

सागर-नरसिंहपुर रोड पर दरमा नदी पर पुल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश को खाद्यान्नों का संभरण

१६००. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३० जनवरी, १९५९ को झांसी में लगभग ३६ औरतों ने खाद्यान्न की भीषण कमी के कारण अनाज की दुकानों पर हमला कर के खाद्यान्न लूट लिया था ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को खाद्यान्नों की इस कमी को दूर करने के लिये अधिक खाद्यान्न देने का निर्णय किया है जिस से कि झांसी में खाद्यान्न का पर्याप्त मात्रा में संभरण किया जा सके ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि ३० जनवरी, १९५९ को तीस चालीस अनपढ़ स्त्रियां झांसी में हरदीगंज की नाज मंडी में अपने घर खर्च के लिये अनाज खरीदने गईं। उन में से कुछ दुकानदारों से अनाज का भाव ताव करने लगीं और दूसरी स्त्रियों ने दुकान पर से अनाज उठा कर तथा उसे बखेर कर अशान्ति पैदा कर दी। शीघ्र ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई और सतरह गिरफ्तारियां कीं। भारतीय दंड विधान की धारा १४७/४२६/३८० के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस की जांच की जा रही है। गिरफ्तार की गई स्त्रियों को बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया।

(ख) राज्य सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का भण्डार है और केन्द्रीय भण्डार से और अधिक अन्न उस की उचित आवश्यकता की पूर्ति के लिये दिया जा रहा है ।

दामोदर घाटी निगम नहर

†१६०१. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम नहर जो आरम्भ रोयन एडन शाखा संख्या १ थी और जिला बर्दवान, पश्चिमी बंगाल के अनेकों गांवों से हो कर जाती है, की जंजीर संख्या ८३, २०, १०५ के नियंत्रक-यंत्र दामोदर घाटी निगम प्राधिकारियों ने हटा दिये हैं ;

(ख) यदि हां तो पानी की अन-उपलब्धता के कारण कितनी भूमि अप्रदान बन गई है ;

(ग) क्या जंजीर संख्या १०५ का नियंत्रक बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां तो उस की तफसील क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) जंजीर संख्या ८३ तथा १०५ के पुराने नियंत्रक गिरा दिये गये हैं। जंजीर संख्या २० का कोई नियंत्रक नहीं है ।

(ख) जंजीर संख्या ८३ का नियंत्रक हटाने से कोई भूमि अप्रदा नहीं हुई है क्योंकि इस स्थान पर नहर कुछ ऐसे ढंग से बनी है कि पानी की सतह ऊंची रहेगी और इस प्रकार उस नियंत्रक द्वारा पानी प्राप्त करने वाले क्षेत्रों को पानी मिलता रहेगा । जंजीर संख्या १०५ के नियंत्रक की स्थिति का ठीक पता लगाया जा रहा है ।

(ग) हा ।

(घ) इस बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा यथाशीघ्र पटल पर रखी जायेगी ।

पंजाब में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा

†१६०२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में अब तक पंजाब सरकार को निम्न मदों के अधीन कुल कितना धन दिया गया है :

(१) सामुदायिक परियोजनायें ; और

(२) राष्ट्रीय विस्तार सेवा ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्त्ति)** : १९५८-५९ के लिये सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सम्बन्धी व्यय में केन्द्र के अंश के रूप में पंजाब सरकार को ५५.१६ लाख रु० का ऋणीय सहित १२८.१० लाख रु० आवंटित किये गये ।

१-४-१९५८ से सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों का भेद समाप्त कर दिया गया है ।

रेलवे कुली सहयोग समिति

†१६०३. **श्री फ० गो० सेन** :
श्री भोलानाथ विश्वास :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे पर कटिहार में रेलवे कुली सहयोग समिति बन गई है;

(ख) यह कब पंजीबद्ध हुई;

(ग) आसाम रोडवेज, कटिहार का पहिला ठेका किस तारीख को समाप्त होगा; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(घ) आसाम रोडवेज, कटिहार के मजदूर-व्यवस्था सम्बन्धी ठेके की अवधि कब तीन वर्षों के लिये बढ़ाई गई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां ।

(ख) कदाचित जुलाई १९५८ में इसका पंजीयन हुआ था ।

(ग) ३१-८-६० ।

(घ) प्रथम ठेका ३१-८-६० को समाप्त होगा अतः यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पिथोरगढ़ में डाक व तार की इमारत

†१६०४. क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ११ सितम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिथोरगढ़ में डाक व तार की इमारत पूर्ण हो गई है;

(ख) यदि नहीं, तो क्यों नहीं; और

(ग) यह कब पूर्ण होगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) कुछ कठिनाइयों के कारण निर्माण-कार्य पुनः आरम्भ नहीं हुआ है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने तीन बार टेण्डर मांगे क्योंकि प्राक्कलित लागत की दृष्टि से कोई उपयुक्त टेण्डर प्राप्त न हुआ । नवम्बर १९५८ में ठेकेदार अन्तिम रूप से चुन लिया गया है ।

(ग) आशा है कि मार्च १९५९-६० के वित्तीय वर्ष में समाप्त हो जायेगा ।

पांडू-गारो पहाड़ी रेलवे लाइन

†१६०५. **श्री बसुमतारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालपाड़ा हो कर पांडू से गारो पहाड़ी तक रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी तफसील क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) नहीं, श्रीमान् । रेलवे के द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रस्ताव सम्मिलित नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे लाइन का हटाना

†१६०६. **श्री बसुमतारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने गोहाटी के मध्य से जाने वाली रेलवे लाइन को कमख्या से नरंगी तक दक्षिण की ओर हटाने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) प्रस्ताव विचाराधीन है तथा आसाम सरकार से विस्तृत जांच पड़ताल का व्यय सहन करने को कहा जायेगा ।

बहु-प्रयोगीय सिंचाई परियोजना

†१६०७. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्त वर्ष में बहु-प्रयोगीय परियोजनाओं के अन्तर्गत बहुत बड़ी धनराशि आध्यर्पण दी जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो यह धनराशि कितनी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) उत्तर नकारात्मक है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

वाशिंगटन जाने वाला रेलवे प्रतिनिधि-मंडल

†१६०८. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून मास में रेलवे मंत्रालय का एक प्रतिनिधि-मण्डल विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए वाशिंगटन जायेगा;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी वित्तीय सहायता मिलने की आशा है;

(घ) द्वितीय योजना के अन्तर्गत रेलवे के विकास कार्यों के लिये कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ङ) अब तक इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि की सहायता मिल चुकी है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता ।

(घ) दूसरी पंचवर्षीय योजना में रेलवे के लिए ११२१.५ करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। विदेशी मुद्रा-विनिमय पर ३८५ करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है ।

(ङ) अब तक विदेशों से ऋण और सहायता के रूप में १५०.८६ करोड़ रुपये मिल चुके हैं ।

कृषि विश्वविद्यालय

१६०९. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में कृषि को प्रोत्साहन देने के लिये एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार कर रही है;

(ख) इस समय देश में कितने कृषि कालेज हैं; और

(ग) उनका विवरण क्या है और उनमें कितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) भारत सरकार ने रुद्रपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को वित्त सहायता देनी मंजूर कर ली है।

(ख) तथा (ग). पूछी गई जानकारी का विवरण नत्थी है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६४]**

काश्मीर में बाढ़ नियंत्रण की वृहत्तर योजना

†१६१०. **श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड को काश्मीर में बाढ़ नियन्त्रण की वृहत्तर योजना भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मोटी-मोटी बातें क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने काश्मीर घाटी में बाढ़ नियंत्रण तथा जल-निस्सारण की एक वृहत्तर योजना केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को भेजी है।

(ख) योजना की मोटी-मोटी बातें निम्न हैं :

(१) झेलम नदी के निकास से पादशाही बाग तक :

४४६.२४ लाख रु० की अनुमानित लागत से झेलम के बांये किनारे के निचले नम्बलों का अवरोध बेसिनों के रूप में प्रयोग करना; झेलम नदी पर पटबन्ध बनाना तथा उन्हें मजबूत करना निचले गांवों का रक्षण।

(२) पादशाही बाग से वुलार लेक तक।

२७५.६२ लाख रु० की अनुमानित लागत से पूरक जलमार्गों का सुधार, कुछ नलों को पुनः खोलना, पटबन्धों को मजबूत करना तथा सिन्ध, दूधगंगा, सुखनाग और फीरोजपुर नालों जैसे झेलम की सहायक नदियों पर कार्य करना।

(३) वुलार लेक से खडनाकर तक :

१३३२.३८ लाख रु० की अनुमानित लागत से निकलने वाले जलमार्गों का सुधार, पोहरू को बुलर झील में डालना, निंगली नाले को हैगम झील में डालना एवं पोहरू, निंगली तथा अन्य पहाड़ी धारों के समीपवर्ती क्षेत्रों में भूमि संरक्षण कार्यवाही करना।

पहिये व धुरियां

†१६११. **श्री मुरारका** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२–५३ से टाटा आइरन एंड स्टील कम्पनी, लिमिटेड, जमशेदपुर से कितने पहिये व धुरियां खरीदी गई हैं;

(ख) वे किस मूल्य पर खरीदे गये हैं;

(ग) क्या वे किसी अन्य साधन से भी खरीदे जाते हैं; और

(घ) इन मूल्यों की आयात मूल्यों से तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६५]**

(ग) हां; विदेशों से।

(घ) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६५]**

इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन

†१६१२. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ और १९५८-५९ की इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की सकल प्राप्ति क्या थी; और

(ख) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने सरकारी व्यय पर की गई यात्राओं के लिये कितना भुगतान किया या लेखा-समायोजन किया ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** :

(क) १९५७–५८ . . . ९२६·०७ लाख रुपये

१९५८–५९ (३०-११-५८ तक) . . . ६९४·५९ लाख रुपये

(ख) भारतीय एयर लाइन्स कारपोरेशन केन्द्रीय या राज्य सरकारों के व्यय पर की गई यात्राओं से प्राप्ति के आंकड़े पृथक् नहीं रखती।

कृषक सम्मेलन

†१६१३. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तालकटोरा गार्डन्स, नई दिल्ली में प्रति वर्ष होने वाले कृषक सम्मेलनों को राज्यवार कितना अंशदान दिया गया है ; और

(ख) क्या समारोहों के लेखे सरकार को प्रस्तुत किये जाते हैं एवं सरकारी लेखा परीक्षित उनकी जांच करते हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) भारत सरकार ने फार्मर्स फोरम, इण्डिया को उसकी कुछ गतिविधियों के लिये जिनमें अखिल भारतीय तथा प्रादेशिक सम्मेलन (ऑल इण्डिया एण्ड रीजनल कन्वैंशन्स) करना भी सम्मिलित है, निम्न अनुदान दिये थे :

वर्ष	कम राशि
१. १९५७–५८	८०,००० रुपये
२. १९५८–५९	७०,००० रुपये

(ख) वित्तीय सहायता की मंजूरी की शर्तों के अनुसार 'फोरम' के लेखे, जिनका लेखा परीक्षण 'चार्टर्ड अकाउन्टेन्टों' की किसी फर्म ने किया हो, सरकार को प्रस्तुत किये जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

बक्सर-आरा रेलवे लाइन का बढ़ाया जाना

१६१४. श्री सरजू पांडे : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौसा क्षेत्र (बिहार) तथा दिलदार नगर (उत्तर प्रदेश) के निवासियों से सरकार को एक अभ्यावेदन मिला है जिसमें इस बात की मांग की गई है कि बक्सर-आरा रेलवे लाइन को मुगलसराय तक बढ़ा दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) तथा (ख). ऐसा कोई प्रतिवेदन नहीं मिला है। बक्सर-आरा और भोगलसराय, इन तीनों स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन मौजूद है और ये स्टेशन पटना-मोगलसराय मुख्य लाइन पर स्थित हैं।

अराजपत्रित कर्मचारियों की पदोन्नति

†**१६१५. श्री ओंकार लाल :** क्या **रेलवे** मंत्री २७ अप्रैल, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अराजपत्रित कर्मचारियों की पदोन्नति की संवरण प्रक्रिया श्रमिकों के परामर्श से संशोधित कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो विद्यमान प्रक्रिया क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६६]**

भारतीय दंड संहिता की धारा ३७९ के अधीन पंजीवद्ध मामले

†**१६१६. श्री ओंकार लाल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में अब तक सारी रेलों की भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३७९ के अधीन कितने मामले दर्ज किये गये हैं ;

(ख) कितने मामले कुछ भी पता न लगने के कारण बन्द कर दिये गये हैं ; और

(ग) विशेष रूप से रेलवे रक्षा बल कर्मचारियों को अधिकार देने के बाद सरकार इन मामलों को कम करने के लिये क्या कार्यवाही करेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) तथा (ख). रेलवे के पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तथा राज्य सरकारों से मांगें गये हैं।

(ग) अधिनियम के अधीन रेलवे रक्षा बल से तलाशी तथा पकड़ने के सीमित अधिकार दिये गये हैं। फिर भी, अपराध की रोक थाम के लिये वे राज्य तथा रेलवे पुलिस से सम्पर्क रखते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

निवृत रेलवे कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति

†१६१७. **श्री ओंकार लाल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में अब तक १,२,३ और ४ श्रेणी के कितने निवृत्त कर्मचारी किस किस श्रेणी व वेतन-क्रम में नियुक्त हुए ;

(ख) इन श्रेणियों में पदोन्नति के लिये उपयुक्त कर्मचारियों की कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) कमी दूर करने के लिये निवृत्त कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति के अतिरिक्त और क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १–१०–५८ को जो स्थिति थी उसे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) पुरुष पदों पर अनुभवी व्यक्तियों की पुनः नियुक्ति अधिक इष्टकर तथा सस्ती थी, विशेष कर उन पदों पर जो द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत नई योजनाओं तथा परियोजनाओं की निर्माणात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बनाये गये ।

(ग) जहां सम्भव होता है वहां आशातीत स्थायी पदों पर सीधी नियुक्ति की जाती है ।

प्रविधिक पदों के लिये नये रखे गये कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये रेलों पर प्रविधिक प्रशिक्षण स्कूल भी खोले गये हैं ।

वातानुकूलित गाड़ियां

†१६१८. **श्री ओंकार लाल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रण्टियर मेल और डीलक्स गाड़ियों के प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित सारे डिब्बों का पूर्ण उपयोग अधिक यातायात के दिनों के अलावा नहीं किया जाता ;

(ख) बम्बई-दिल्ली सेक्शन की फ्रण्टियर और डीलक्स गाड़ियों के वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के डिब्बों में कितने यात्रियों के लिये स्थान होता है ;

(ग) जनवरी, १९५८ से जनवरी, १९५९ तक इसका कहां तक उपयोग किया गया ; और

(घ) जिन दिनों कम यातायात होता है उन दिनों जिस स्थान का उपयोग नहीं किया जाता उसके स्थान पर तृतीय श्रेणी के डिब्बे लगा कर उसका उपयोग न करने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) फ्रण्टियर मेल में प्रतिदिन २८ बर्थें और एक्सप्रेस गाड़ियों में सप्ताह में दो बार २० बर्थें होती हैं ।

(ग) जानकारी बताने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६८]**

(घ) वातानुकूलित फ्रण्टियर मेल के डिब्बों में औसतन ६१ प्रतिशत स्थान भर जाते हैं तथा वातानुकूलित एक्सप्रेस गाड़ी में ४० प्रतिशत स्थान भर जाते हैं ।

प्रतिदिन इन डिब्बों में जाने वाले यात्रियों की संख्या औसत संख्या से कहीं अधिक होती है ।

---

†मूल अंग्रजी में

फ्रांटियर मेल में सारे वर्ष काफी संख्या में यात्री सफर करते हैं इस कारण कभी ऐसा नहीं होता कि बहुत कम संख्या में यात्री इन डिब्बों में जायें।

चूंकि वातानुकूलित एक्सप्रेस गाड़ी में प्रथम श्रेणी का केवल एक डिब्बा होता है, इस कारण उसमें जितना स्थान खाली रह जाता है उसे तृतीय श्रेणी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

जिन दिनों यातायात कम होता है उन दिनों वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के डिब्बों में भी बहुत सी सीटें खाली रहती हैं।

रेलवे में हिन्दी का प्रयोग

†१६१९. **श्री ओंकार लाल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग करने के लिये उपाय और तरीके बताने के बारे में कोई मंत्रणा बोर्ड है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रयोजन के लिये किसी मंत्रणा बोर्ड की स्थापना करने का विचार करती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी नहीं :

(ख) फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है।

जमुना नदी का मार्ग बदलना

†१६२०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जमुना नदी दिल्ली से अपने पूर्वी तट की ओर हटती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो जमुना नदी को नगर की ओर लाने के लिये किस प्रकार के उपाय किये जा रहे हैं अथवा करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). १९५५ से मानसून के पश्चात् गर्मियों में जमुना का पानी जहां से उसमें से पानी लिया जाता है उससे कोई बांई ओर को बढ़ता चला जा रहा है। नदी की धारा को दाहिनी ओर लाने के लिये जहां उससे पानी लेने के कुंए स्थापित हैं ; बजीराबाद में एक बांध बनाया जा रहा है।

भटिण्डा–मोगा तथा हरिके रेलवे लाइन

†१६२१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर रेलवे पर भटिण्डा-मोगा और हरिके स्टेशनों से सम्पर्क स्थापित करने के लिये प्रस्तावित रेलवे लाइन बनाने के बारे में कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय मामले की क्या स्थिति है ;

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ?

---

†मूल अंग्रेजी में

मालगाड़ियों का पटरी से उतर जाना

†१६२२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे पर १९५८ और १९५९ में अब तक प्रति मास कितनी बार मालगाड़ियां पटरी से उतर गईं ;

(ख) इससे रेलवे को कितनी हानि हुई ; और

(ग) पटरी से उतर जाने के क्या कारण थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

मास	कितनी बार माल-गाड़ियां पटरी से उतरी
जनवरी, १९५८	९
फरवरी ,,	११
मार्च ,,	१४
अप्रैल ,,	२१
मई ,,	१२
जून ,,	१४
जुलाई ,,	१८
अगस्त ,,	१६
सितम्बर ,,	१२
अक्तूबर ,,	२२
नवम्बर ,,	९
दिसम्बर ,,	१०
जनवरी, १९५९	११
योग (१३ महीनों का)	१७९

(ख) रेलवे की सम्पत्ति को लगभग २,११,१११ रुपये की हानि हुई ।

(ग) कारणवार विश्लेषण नीचे दिया है :

(१) रेलवे कर्मचारियों की असफलता	१४०
(२) सामान की खराबी	१४
(३) दुर्घटना (अर्थात् जिनके लिये कोई उत्तरदायी नहीं है)	१२
(४) कारण का अन्तिम रूप से निश्चय नहीं हो सका	१३
	१७९

†मूल अंग्रेजी में

वैकल्पिक आसाम रेल सम्पर्क

†१६२३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री ६ दिसम्बर, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७२८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैकल्पिक आसाम रेल सम्पर्क के सर्वेक्षण का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) परियोजना को पूरा करने में अनुमानत : कितना व्यय होगा ; और

(ग) ये स्टेशन कहां स्थापित करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पंजाब से चावल का समाहार

†१६२४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पंजाब सरकार के पास से केन्द्रीय सरकार के अभिकरण के द्वारा राज्य में चावल के समाहार करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन किस प्रकार का है ; और

(ग) अभ्यावेदन पर सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री प्र० अ० जैन)** : (क) केन्द्रीय सरकार ने पंजाब में चावल के समाहार के लिये अपना कोई संगठन नहीं बनाया है । पंजाब की सरकार केन्द्रीय सरकार की ओर से चावल खरीदती है । अत : उस राज्य में केन्द्रीय सरकार के अभिकरण की ओर से पंजाब सरकार द्वारा चावल के समाहार के संबंध में अभ्यावेदन करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

रेलवे के अस्पतालों में नर्सें

†१६२५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के अस्पतालों में नर्सें पर्याप्त संख्या में नहीं है ;

(ख) यदि ऐसा है तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उत्तर रेलवे के अस्पतालों के नर्सिंग विभागों में पिछले छ : महीनों में कितने स्थान रिक्त थे ; और

(घ) इन स्थानों को अब तक न भरने के क्या कारण हैं ;

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**. : (क) स्वीकृत संख्या पर्याप्त है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) २५ ।

(घ) (१) रेलवे सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा जारी किये गये विज्ञापनों के उत्तर में बहुत कम आवेदन प्राप्त हुये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

२) तालिका पर रखे गये कुछ उम्मीदवारों की जब नियुक्ति की गई तो वे काम पर नहीं आये ।

पंजाब में जल संसाधनों का विदोहन

†१६२६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को पंजाब में जल संसाधनों के विदोहन के बारे में वृहत्तर योजना प्राप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) प्रश्न स्वीकारात्मक है ।

(ख) पंजाब सरकार द्वारा और आगे विचार करने के लिये केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग की आलोचना पंजाब के चीफ इंजीनियर के पास भेज दी गई है ।

वृहत्तर योजना बनाने का फिलहाल उद्देश्य उन योजनाओं को ढूंढ निकालना तथा उस की रूप रेखा बनाना है जिस से जांच करने और कार्यान्विति करने के लिये उन्हें प्राथमिकता देने की दृष्टि से उस की प्रमुख विशेषताओं और मितव्ययता का पता लगाया जा सके । इस प्रकार केन्द्र द्वारा वृहत्तर योजना के बारे में कोई विशेष कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे स्टेशनों पर मूलभूत सुविधायें

†१६२७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर रेलवे के कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने पर निधि व्यय करने के बजाय सारे स्टेशनों पर मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने का है ;

(ख) चालू वर्ष में कितनी राशि इस के लिये अलग रख ली गई है और किस प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी ; और

(ग) उत्तर रेलवे के वे स्टेशन कौन-कौन से हैं, जिन पर अतिरिक्त सुविधाओं के लिये निधि-व्यय की जायेगी और यह निधि कितनी होगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) प्राथमिकता निर्धारित करने और आवश्यकताओं की जांच रेलवे उपभोक्ता समिति के द्वारा की जाती है तथा उपलब्ध निधियों के यथासंभव व्यावहारिक न्यायपूर्ण और संतुलित वितरण के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है ।

(ख) १६५८-५६ के आयव्ययक में २.७१ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७०]** विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के बारे में एक विवरण (परिशिष्ट 'क') संलग्न है ।

(ग) उपर्युक्त व्यवस्था में ३० लाख रुपये की राशि उत्तर रेलवे को आवंटित कर दी गई है । चालू वर्ष में जिन स्टेशनों पर अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी उन के नाम बताने वाला एक विवरण (परिशिष्ट 'ख') संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७०]**

---

†मूल अंग्रेजी में

स्टेशनों पर बिजली लगाना

†१६२८. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे के वे स्टेशन कौन-कौन से हैं जिन पर चालू वर्ष में बिजली लगाई जायेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७१]**

उत्तर रेलवे पर भोजन प्रबन्ध के ठेके

१६२९. **श्री जगदीश अवस्थी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में खाद्य सामग्री के गैर-सरकारी ठेकेदारों को शनैः शनैः ठेका देना बन्द करने के लिये जो नीति अपनाई गई है उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई परिपत्र जारी किया गया है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) खान-पान व्यवस्था का स्तर क्या होना चाहिये, ठेकेदारों के सामने इस का एक नमूना पेश करने के उद्देश्य से उत्तर और दूसरी रेलों के कुछ चुने हुए स्टेशनों पर विभागी खान-पान व्यवस्था चालू की गयी है ।

इस सम्बन्ध में आधारभूत नीति यह है कि रेलों में खान-पान की विभागी व्यवस्था और ठेकेदारी व्यवस्था, दोनों चालू रहें । इसीलिये इस समय विभागी खान-पान व्यवस्था के विस्तार का विचार नहीं है । केवल उन्हीं स्टेशनों पर विभागी व्यवस्था चालू की जायेगी, जहां जन-हित की दृष्टि से ऐसा करने की ज़रूरत है और जहां ठेकेदारों का काम सन्तोषप्रद नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

माल-डिब्बों और पूर्जों के निर्माण के लिये ठेके

१६३०. **श्री जगदीश अवस्थी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंह इंजीयनियरिंग वर्क्स, कानपुर को, जिसे माल-डिब्बे और पुर्जे बनाने का ठेका दिया गया है, कोई ऋण अथवा अनुदान दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

टूंडला कालेज, उत्तर रेलवे

१६३१. **श्री जगदीश अवस्थी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के टूंडला इन्टर कालेज में इस समय कितने प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक अलग-अलग मिडिल और हाई स्कूल की कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं ; और

(ख) क्या उन सब को रेलवे बोर्ड के दिनांक ३१ मई, १९५५ के परिपत्र के अनुसार वेतन दिया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) रेलवे इन्टरमीडिएट कालेज, टूंडला में १३ ट्रेण्ड ग्रैजुएट अध्यापक हैं जिन में से १० हाई स्कूल की कक्षाओं के और ३ मिडिल स्कूल की कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं ।

(ख) जी हां ।

अम्बियापुर और झींझक स्टेशनों के बीच रेल दुर्घटना

१६३२. { **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** :
श्री घनगर :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १५ फरवरी, १९५९ को १७६ डाउन माल गाड़ी की अम्बियापुर और झींझक स्टेशनों के बीच दुर्घटना हो गई थी ; और

(ख) क्या यह सच है कि उस गाड़ी के गार्ड को अभी नौकरी करते हुए एक महीना भी नहीं हुआ था ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) १५-२-५९ को रात में लगभग १ बज कर ५ मिनट पर जब नं० १७६ डाउन शंटिंग माल गाड़ी जा रही थी तो उस का एक डिब्बा उत्तर रेलवे के टूंडला-कानपुर सेक्शन में झींझक और अम्बियापुर स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गया ।

(ख) इस गाड़ी के गार्ड को ३१-१-५९ से स्वतंत्र रूप से गार्ड का काम करने की अनुमति देने से पहले, रेलवे ट्रेनिंग स्कूल, चन्दौसी में सैद्धान्तिक ट्रेनिंग और लाइन पर व्यावहारिक ट्रेनिंग दी गई थी ।

उत्तर तथा पश्चिम रेलवे के कैश कान्ट्रैक्टर के भूतपूर्व कर्मचारियों को उपदान

†१६३३. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उत्तर तथा पश्चिम रेलवे के कैश कान्ट्रैक्टरों के सभी भूतपूर्व कर्मचारियों को उपदान का भुगतान करने के लिये मंजूरी दे दी है ;

(ख) क्या सभी सम्बन्धित कर्मचारियों को उतना अनुदान दिया जा चुका है जितना उन्हें मिलना चाहिये ; और

(ग) यदि नहीं, तो उन की देय राशि देने में कितना समय लगेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) विशेष अंशदान/उपदान पाने के हकदार होने का निश्चय करते समय भूतपूर्व उत्तर-पश्चिम और भूतपूर्व बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे के कैश तथा वेतन विभागों के कर्मचारी वर्ग में कान्ट्रैक्टर के अधीन उसने कितने समय काम किया है, इस का हिसाब लगाया जाता है किन्तु विशेष अंशदान/उपदान की राशि का हिसाब लगाने में केवल रेलवे द्वारा उन्हें अपने अधिकार में लेने के पश्चात् कितने समय उस ने काम किया है उस की गणना की जाती है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) उन के मामलों को अन्तिम रूप से निबटाने तथा यथाशीघ्र देय राशि का भुगतान करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ट्रैक्टर और लाइट इंजन में टक्कर

१६३४. **श्री वाजपेयी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १७ फरवरी, १९५९ को झांसी और चिरगांव के बीच पहाड़ी बुजुर्ग चौकी पर एक ट्रैक्टर और लाइट इंजन में टक्कर हो गई थी, जिस के फलस्वरूप ट्रैक्टर चालक की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति को गहरी चोटें लगीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय में कोई जांच की गई थी ;

(ग) क्या इस दुर्घटना के लिये उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या मृत व्यक्ति के परिवार को कोई आर्थिक सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) १७-२-५९ को रात में लगभग ८ बज कर ४० मिनट पर, मध्य रेलवे के झांसी-कानपुर सेक्शन में चिरगांव और परिचा स्टेशनों के बीच मील ७१८/१८ पर बने हुए समतल पार के फाटक पर एक खाली इंजन एक ट्रैक्टर से टकरा गया जिसकी वजह से ट्रैक्टर का ड्राइवर वहीं मर गया और ट्रैक्टर के साथ जो दूसरा आदमी जा रहा था उसे मामूली चोटें आयीं ।

(ख) दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिये जूनियर अफ़सरों की एक कमेटी ने जांच की है ।

(ग) और (घ). जांच कमेटी की रिपोर्ट मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

कटिहार नहर पर ऊपरी पुल

†१६३५. **श्री फ० गो० सेन :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री झूलन सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री भोला नाथ विश्वास :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय का ध्यान पुर्निया-कटिहार मार्ग पर कटिहार नहर पर ऊपरी पुल बनाने की अत्यधिक आवश्यकता की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसे कहां तक कार्यरूप दिया गया है ; और

(ग) वास्तविक कार्य कब से आरम्भ करने की आशा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग), संभवतः माननीय सदस्य पुर्निया-कटिहार मार्ग पर कटिहार नहर पर ऊपरी पुल बनाने के प्रस्ताव का निर्देश कर रहे हैं । विद्यमान रेल के फाटक के स्थान पर सड़क का ऊपरी पुल बनाने पर पहले ही विचार किया गया था किन्तु यह देखते हुये कि मोटर गाड़ियों का आना-जाना उस राजकीय राजपथ से होगा जिसे पुनः हटाया गया है, सड़क के ऊपरी पुल के बदले पैदल चलने वालों के लिये ऊपरी पुल की व्यवस्था करने के बारे में राज्य सरकार से परामर्श किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†१६३६. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलों का पुनर्वर्गीकरण करते समय कुछ कर्मचारियों का तबादला उत्तर रेलवे में कर दिया गया था उस समय उन्होंने यह सम्मति प्रकट की थी कि वे इस तबादले से सहमत हैं भले ही उन्हें कुछ समय तक क्वार्टर न मिलें ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) उनमें से कितने लोगों को क्वार्टर मिल गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां।

(ख) तबादला होकर जितने लोग आये और उन्होंने क्वार्टरों के लिये अपने आपको पंजीबद्ध कराया उनकी संख्या ४५१ है।

(ग) ३१९ कर्मचारियों को क्वार्टर मिल गये हैं।

गाजियाबाद में हड़ताल

†१६३७. **श्री वारियर :**
श्री कोडियान :
श्री स० म० बनर्जी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३१ जनवरी और १ फरवरी, १९५९ को गाजियाबाद में रेलों का आना जाना रुक गया था ; और

(ख) क्या इस संबंध में गाजियाबाद के किसी रेलवे कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** जी हां।

(ख) जी नहीं।

दियासलाई उद्योग के लिये मुलायम लकड़ी

†१६३८. **श्री वें० प० नायर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन गवेषणा संस्था, देहरादून ने जिसने दियासलाई उद्योग के लिये विभिन्न प्रकार की मुलायम लकड़ी की उपयुक्तता पर विशद गवेषणा की थी, यह सिफारिश की है कि इसके लिये लगभग १०० प्रकार की लकड़ी काम में लाई जा सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो दियासलाई उद्योग द्वारा उसकी डिबया और तीलियां बनाने के लिये किस-किस प्रकार की मुलायम लकड़ी छांटने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां। ९३ प्रकार की मुलायम लकड़ी की उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्ता के बारे में जानकारी एकत्र की गई है।

(ख) उद्योग के लाभ के लिये बुलेटिन के रूप में जानकारी प्रकाशित की जा रही है। यह संस्था इस उद्योग के बारे में पूछी गई सभी जांच पड़तालों का उत्तर देती है तथा आवश्यकता पड़ने पर टेक्निकल परामर्श भी देती है।

स्थगन प्रस्ताव

पंजाब में सुधार-शुल्क

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने पंजाब में सुधार-शुल्क लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिए एक स्थगन प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि इस शुल्क के लग जाने से सारे राज्य में आन्दोलन हो रहा है, पुलिस ने गोली चलाई है और लोग मारे गये हैं। अगर स्थिति विधि तथा व्यवस्था के बारे में है, तो यह राज्य का विषय है और यदि यह सुधार शुल्क लगाये जाने के बारे में है तो भी यह राज्य का विषय है, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : चूंकि इस शुल्क को केन्द्रीय सरकार के कहने पर वसूल किया जा रहा है इसलिए इस पर संसद् में विचार किया जाना चाहिए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, इसलिए अपनी अनुमति देने में असमर्थ हूं।

†**श्री प्र० सिं० दौलता** (झज्जर) : मैं सुधार-शुल्क के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस समय इस विषय पर चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। जहां तक स्थगन प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मैं इसके लिये अनुमति नहीं देता। अगर माननीय सदस्यों को कुछ कहना है तो वे मुझे से मेरे कमरे में मिल सकते हैं।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

दामोदर घाटी निगम के आय-व्ययक प्राक्कलन

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : मैं दामोदर घाटी निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष १९५९–६० के आय-व्ययक प्राक्कलनों की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १२६८/५९]

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर के लिये मोटरगाड़ी नियमों में संशोधन

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं मोटरगाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत मनीपुर के लिए मोटरगाड़ी नियम १९५१ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १७ फरवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या बी०-एच०पी०/६७/५४-५६/एस० (एच०) ए० एस० (एल०) की एक प्रति, जो मनीपुर गजट में प्रकाशित हुई थी, सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १२६९/५९]

सभा का कार्य

अनुदानों की मांगों के लिये समय का आवण्टन

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारयण सिंह)** : मैं आपकी अनुमति से सामान्य आय-व्ययक के सम्बन्ध में विभिन्न मंत्रालयों के लिए अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान के क्रम की घोषणा करना चाहता हूं। इस सभा द्वारा ६ मार्च को अनुमोदित समय-आवण्टन के आधार पर म मोटे तौर से उन तारीखों का संकेत भी कर सकता हूं जिनको इन मांगों के लिए जाने कीं संभावना है। किन्हीं अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण इस अनुसूची में किए जाने वाले परिवर्तनों की सूचना सभा को यथा समय दे दी जायेगी।

तारीखों का क्रम निम्न प्रकार है :—

अणुशक्ति विभाग	१६ मार्च
वैदेशिक कार्य	१६ मार्च १७ मार्च
शिक्षा	१७ मार्च
विधि	१८ मार्च १९ मार्च
गृह-कार्य	१९ मार्च २० मार्च
सिंचाई और विद्युत	२३ मार्च
स्वास्थ्य	२६ मार्च
सूचना और प्रसारण	२६ मार्च २८ मार्च
इस्पात, खान और ईंधन	३० मार्च ३१ मार्च
निर्माण, आवास और संभरण	३१ मार्च
वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य	१ अप्रैल

---

†मूल अंग्रेज़ी में

परिवहन तथा संचार	१ अप्रैल २ अप्रैल
श्रम और रोजगार	३ अप्रैल ६ अप्रैल
खाद्य तथा कृषि	६ अप्रैल ७ अप्रैल
पुनर्वास	७ अप्रैल ८ अप्रैल
प्रतिरक्षा	८ अप्रैल ९ अप्रैल
सामुदायिक विकास तथा सहकार	९ अप्रैल ११ अप्रैल १४ अप्रैल
वाणिज्य तथा उद्योग	१४ अप्रैल १५ अप्रैल
वित्त	१६ अप्रैल १८ अप्रैल

विनियोग (रेलवे) संख्या २ बिधेयक

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में रेलवे सम्बन्धी व्यय के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में रेलवे सम्बन्धी व्यय के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जगजीवन राम : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय प्रकाश स्तम्भ (संशोधन) विधेयक

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं परिवहन तथा संचार मंत्री की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय प्रकाश-स्तम्भ अधिनियम, १९२७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रकाश-स्तम्भ अधिनियम, १९२७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृप हुआ ।

†**श्री राज बहादुर** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

विनियोग (रेलवे) विधेयक

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि "वित्तीय वर्ष १९५९–६० में रेलवे सम्बन्धी व्यय के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५९–६० में रेलवे सम्बन्धी व्यय के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २, ३, अनुसूची, खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सामान्य आय-व्ययक––सामान्य चर्चा

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा में सामान्य आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा आरम्भ होगी । नियम २०७(३) के अन्तर्गत मैं प्रत्येक सदस्य के लिये १५ मिनट का समय और दलों के नेताओं के लिए ३० मिनट तक का समय निर्धारित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री श्री० अ० डांगे (बम्बई नगर-मध्य) : मैं प्रारंभ में ही यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं बजट के आंकड़ों पर न जाकर उनमें अन्तर्ग्रस्त नीतियों की ही चर्चा करूंगा।

बजट भाषण के पैरा ३ में अर्थ व्यवस्था की जो विशेषतायें प्रस्तुत की गई हैं वे सर्वथा सही नहीं हैं। ये विशेषतायें क्या हैं? वित्त मंत्री के अनुसार पहले हमें कृषि उत्पादन में कमी का सामना करना पड़ा। फिर औद्योगिक उत्पादन धीमा पड़ गया। उसके पश्चात मूल्यों में गंभीर वृद्धि हुई और फिर विदेशी मुद्रा का संकट उत्पन्न हुआ।

वित्त मंत्री ने आगे यह बताया है कि सरकार ने इनका सामना करने के लिए शीघ्र कार्यवाही की और स्थिति में सुधार हुआ। वह कहते हैं कि खरीफ की फसलें इसके परिणामस्वरूप अच्छी हुईं और मूल्य गिरने लगे और विदेशी मुद्रा की स्थिति में सुधार हुआ। इस प्रकार उन्होंने एक आशामय चित्र उपस्थित किया है।

परन्तु वास्तव में सच्चाई यह है कि मूल्यों में थोड़ी सी गिरावट भले ही आई हो देश में खाद्यान्न की कमी अभी भी बनी हुई है। खरीफ की फसलों से केवल सट्टे का बाजार गर्म हुआ है जैसा कि रिजर्व बैंक के संचालक ने बताया है। ऐसा मालूम होता है कि वित्त मंत्री अमेरिका से गेहूं के आयात पर बहुत भरोसा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि पी० एल० ४८० के अन्तर्गत गेहूं के आयात से स्थिति पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। परन्तु खाद्यान्न जमा करने वालों और सट्टे बाजों के कारण इसमें सफलता नहीं मिल सकेगी। वे अब नई चाल चल रहे हैं कि गल्ले को स्वयं न लेकर किसानों से ही उसे जमा रखने को कह रहे हैं। इसलिए मेरे विचार से खाद्यान्न सम्बन्धी नीति में ऐसी कोई सफलता नहीं मिली है जिसके लिए हम उन्हें बधाई दें।

जहां तक विदेशी मुद्रा का संबंध है यह ठीक है कि कुछ डालरों की प्राप्ति हुई है परन्तु इसके बारे में हमें बहुत सतर्कता रखनी चाहिए। एक ओर तो डालर दिए जाते हैं और दूसरी ओर पाकिस्तान से सैनिक समझौते किया जाता है। अमेरिका की इस दोहरी नीति से हमें सचेत रहना चाहिए। यदि बिना किसी चाल के हमें डालर मिलते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है परन्तु यदि उसकी आड़ में हमारी पीठ में छुरा भोंकने का प्रयत्न है तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए।

अमेरिका की इस नीति की कठोर निन्दा की जानी चाहिए। हमारी सरकार को इस बात का डर है कि यदि अमेरिका का विरोध किया जाएगा तो पी० एल० ४८० समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि वह ढीली नीति अपना रही है।

इसलिए देश की आर्थिक स्थिति के संबंध में वित्त मंत्री ने आशामय चित्र उपस्थित करके देश का कोई हित नहीं किया है। मैं उनके उद्देश्य पर संदेह नहीं करता। वह देश का हित भले ही चाहते हों परन्तु जो तरीका उसके लिए उन्होंने अपनाया है वह गलत है।

जब नीति का प्रश्न आता है तो हम देखते हैं कि बजट में समाजवाद का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है जबकि देश की औद्योगिक नीति और योजना का उद्देश्य अर्थ व्यवस्था को समाजवाद की ओर ले जाना है। हमारे राज्य-सभा के नेता ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया है। मैं नहीं समझता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया जबकि वित्त मंत्री ने स्वयं यह स्पष्ट कह दिया है कि बजट में समाजवाद नहीं है। समाजवाद के लिए यह आवश्यक है

[श्री श्री अ० डांगे]

कि औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन में सरकारी उद्योग क्षेत्र का प्राधान्य हो। इसलिए यदि हम समाजवाद लाना चाहते हैं तो हमें इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए।

मैं इस संबंध में माननीय वित्त मंत्री के समक्ष एक प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं कि विनियोजन, उत्पादन क्षमता आदि के संबंध में सरकारी उद्योग क्षेत्र और गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र की स्थिति क्या है? इनका संबंध जानकर ही हम अर्थ व्यवस्था के विकास का विश्लेषण कर सकते हैं। दोनों का विकास किस गति से हो रहा है? हमारी समाजवाद की ओर प्रवृत्त नीति के अनुसार सरकारी उद्योग क्षेत्र का ही विकास अधिक होना चाहिए। परन्तु आंकड़ों को देखने से ज्ञात होता है कि इस दौड़ में गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र ही अभी तक आगे रहा है। इस समस्या की ओर सरकार ने अभी ध्यान नहीं दिया है।

पहली योजना में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ था परन्तु उसके संबंध में कोई प्रयत्न अभी तक नहीं किया गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री अपनी नीति स्पष्ट करें। हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था के विकास में इस प्रश्न का बहुत महत्व है कि सरकारी और गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्रों का संबंध कैसा हो? मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इस सम्बन्ध में स्थिति का स्पष्टीकरण करेंगे।

इस संबंध में एक बात और उल्लेखनीय है। थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न को टाला जा रहा है। उसका नारा बुलन्द करके छोड़ दिया गया जिसका फल यह हो रहा है कि जिन लोगों को नुकसान होगा वे छिपकर सरकार की नीति को असफल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार की अनिश्चितता बहुत हानिकर है।

कल ही दिल्ली में एकत्रित व्यापार-प्रतिनिधियों ने एक समझौते का सुझाव रखा है। वह कहते हैं कि समाजवादी देशों के साथ व्यापार राज्य को करना चाहिए और पूंजीवादी देशों से गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र को। यह बड़ा उत्तम विभाजन है ताकि किसी को यह न मालूम हो सके कि कितना लाभ होता है। यदि सरकार इस विभाजन को स्वीकार कर लेती है तो परिणाम यह होगा कि वास्तविक व्यापार राज्य के हाथ से निकल जायेगा और गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में विनियोजन पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री आयात-निर्यात व्यापार, खाद्यान्न में थोक व्यापार और सरकारी उद्योग क्षेत्र के विकास के संबंध में अपनी नीतियों का स्पष्टीकरण करें क्योंकि विदेशी पूंजी का गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में विनियोजन देश के लिए हानिकर है।

नीति के संबंध में दूसरा प्रश्न भूमि का है। यह कहा जाता है कि यदि हमें अपनी खाद्य समस्या हल करनी है तो भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को शीघ्रता करनी चाहिए। राज्य सरकारों पर इसको छोड़ देना ठीक नहीं होगा। जब तक यह नहीं होगा हमारी खाद्य समस्या हल नहीं हो सकेगी। यह ठीक है कि इस संबंध में नीति का निर्धारण कर लिया गया है परन्तु मैं चाहता हूं उसको शीघ्र क्रियान्वित भी किया जाए।

फिर सट्टे के लिए बैंक द्वारा ऋण दिए जाने का प्रश्न बहुत समय से चला आ रहा है और जब तक वायदा बाजार और गैर-सरकारी पूंजी के समर्थन की नीति नहीं बदलेगी तब तक यह हल नहीं होगा। इसका एकमात्र हल बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण ही हो सकता है।

फिर सुधार-शुल्क का प्रश्न आता है। यह विचित्र बात है कि सुधार होने के पूर्व ही शुल्क लगा दिया गया एक-आध नहर अथवा बांध बना देने से किसान की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। इसके अतिरिक्त जो शुल्क लगाया जाता है उसका कुछ अंश उद्योगों से भी लिया जाना चाहिए।

†**वित्त मंत्री (श्री मोराजी देसाई)** : बजट के सम्बन्ध में सुधार-शुल्क की बात कैसे उत्पन्न होती है।

†**श्री श्री० अ० डांगे** : खाद्य स्थिति के उल्लेख के कारण सुधार शुल्क की बात उत्पन्न होती है।

फिर, सहकारिता का प्रश्न आता है जिसके सम्बन्ध में काफी विवाद रहा है। मेरा विचार इसके सम्बन्ध में यह है कि भूमि की अधिकतम सीमा-निर्धारित को अग्रिमता दी जानी चाहिये। सहकारिता के प्रश्न को पहले खड़ा कर देने से दोनों ही प्रयत्न विफल हो जायेंगे क्योंकि जमींदार किसानों को सरकार के विरुद्ध उभारेंगे। वैसे सिद्धान्ततः मैं सहकारिता का विरोधी नहीं हूं परन्तु व्यवहारिक दृष्टि से यह अधिक अच्छा होगा कि पहले भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाये। खाद्यान्न का सट्टा व्यापार सर्वथा समाप्त कर देना चाहिये था थोक व्यापार सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये।

इसके बाद मैं कार्रोपण के प्रश्न पर आता हूं। यह विचित्र बात है कि लोगों की आवश्यकता की वस्तुओं पर तो कर लगाया गया है और पूंजी वालों को छोड़ दिया गया है। इस प्रकार की नीति गत दस वर्षों से चली आ रही है।

कल्याणकारी राज्य में राज्य की आय के प्रमुख स्रोत सरकारी उद्योग क्षेत्र के उद्योगों का लाभ और एकाधिकारों पर कर होने चाहिये। परन्तु हमारे कल्याणकारी राज्य में जनता की आवश्यकता की वस्तुओं पर कर लगाया जा रहा है। आज यह प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि अधिक कर किस प्रकार लगाये जायें वरन् यह है कि जो कर लगाये जाते हैं उनकी पूरी वसूली कैसे की जाये। ऐसा अनुमान है कि लगभग २०० करोड़ रुपया का करापवंचन किया जाता है। इसे क्यों नहीं वसूल किया जाता है। यदि इसको वसूल किया जाये तो इन ३० करोड़ रुपये के अतिरिक्त करों की आवश्यकता ही नहीं होगी। इस सम्बन्ध में कठोर नीति बरती जानी चाहिये।

वास्तव में बात यह है कि करापवंचन करने वाले बड़े-बड़े पूंजीपति हैं जो मंत्रियों से भी अधिक शक्तिशाली हैं इसलिये सरकार की ओर से उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती। यदि कोई व्यक्ति इन करापवंचनों का रहस्योद्घाटन करने का प्रयत्न करता है तो उल्टे उसी को कानून के शिकंजे में जकड़ दिया जाता है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि सरकार को इन करापवंचनों करने वालों के विरुद्ध एक बड़े पैमाने पर कार्यवाही करने को बाध्य किया जाये। ऐसा करने से अतिरिक्त करारोपण की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

फिर निर्यात सम्बन्धी नीति को लीजिये। एक मंत्री ने कहा है कि हमें कम मल्य पर निर्यात करने के लिये देश के आन्तरिक मूल्य बढ़ाने चाहिये। देश के उपभोक्ताओं का शोषण कर निर्यात में सहायता देने की नीति बड़ी भयंकर है। यदि यही नीति अपनाई गई तो बहुत विरोध-प्रदर्शन होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श्री अ० डांगे]

मैं चाहता हूं कि सरकार निर्यात के प्रश्न पर बहुत सावधानी से विचार करे क्योंकि उनसे अनेक बुराइयां उत्पन्न होंगी। निर्यात के नाम पर आन्तरिक मूल्य बढ़ रहे हैं। इसलिये हमें लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होगी। निर्यात के नाम पर स्वचालित करघे भी शुरु किये जा रहे हैं जिनसे बेरोजगारी फैल रही है। जब बेरोजगारी दूर करने का प्रश्न उठाया जाता है तो सरकार परिवार नियोजन की बात करती है। परिवार नियोजन से बेकार व्यक्ति को रोजगार कैसे मिल सकेगा यह बात समझने में मैं असमर्थ हूं। मेरे विचार से तो बेरोजगारी रोकने का एक मात्र उपाय यही है कि वैज्ञानिकन न किया जाये।

इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार निर्यात के सम्बन्ध में वैज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर विचार करे। संभवतः कुछ मंत्री आंतरिक मूल्यों और निर्यातों का सम्बन्ध नहीं समझते हैं और इसलिये उनके आन्तरिक मूल्य बढ़ाने के प्रस्ताव के परिणाम अत्यन्त भंयकर होंगे।

फिर जहां तक लोक कल्याण का प्रश्न है बजट में कोई उपबन्ध नहीं दिखाई देता है। आवास के सम्बन्ध में पुरानी जैसी स्थिति ही दिखाई देती है। बताया गया है कि जीवन बीमा निगम राज्य सरकारों को आवास के लिये ऋण आवण्टित करेगा। परन्तु मेरा विचार है कि जब तक इसके लिये कुछ राशि निर्धारित नहीं की जायगी कोई लाभ नहीं होगा। वित्त मंत्री वायदेबाजार में सट्टे के लियें तो निगम की राशि उपलब्ध कराने पर बल देते हैं परन्तु आवास के लिये नहीं।

अन्त में मैं सहयोग के प्रश्न पर आता हूं। हम सहयोग तो सब के साथ करना चाहते हैं परन्तु कुछ नीतियों के सम्बन्ध में हम सहयोग नहीं दे सकते। इस सम्बन्ध में पहली मांग राष्ट्रीय सरकार की थी। इस समय सरकार की जैसी नीतियां हैं उनमें हम सहयोगी नहीं बन सकते। यदि दूसरे लोग वैसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं परन्तु हम ऐसी सरकार के अंग नहीं बनना चाहते। हां, सहयोग हम अवश्य करेंगे। गांव के स्तर पर हम भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण करने में सहयोग देंगे। कारखाने के स्तर पर हम अच्छी मजूरी के बदले में उत्पादन बढ़ाने और सरकारी उद्योग क्षेत्र की रक्षा में सहयोग देंगे।

सरकार के स्तर पर भी हम सरकारी उद्योग क्षेत्र के विकास के लिये सहयोग देंगे। यदि वे ऐसा करेंगे तो हम सरकार की नीतियों से सहयोग करेंगे। प्रजातान्त्रिक अधिकारों की रक्षा और तानाशाही को खत्म करने के लिये भी हम सहयोग देंगे।

अपना भाषण समाप्त करने के पहले एक बात मैं और कहना चाहता हूं। वित्त मंत्री के भाषण के अंतिम वाक्य में "भाग्य" ('डेसटिनी') शब्द आया है जिसके प्रति मुझे घोर आपत्ति है। भाग्य शब्द का प्रयोग नेपोलियन, हिटलर और अय्यूबखां जैसे तानाशाह करते हैं। हम प्रजातन्त्र में विश्वास रखने वाले लोग लक्ष्य की बात करते हैं और उसे आदर्श मान कर उसकी प्राप्ति करना चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इस "भाग्य" शब्द को बदल देंगे।

†**श्री मी० रू० मसानी** (रांची-पूर्व) : इस आय-व्ययक के कराधान प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिये यह आवश्यक है कि पहले इसकी पृष्ठिभूमि का अवलोकन किया जाये। जब दूसरी योजना बनाई गई थी तो योजना आयोग ने सुझाव दिया था कि इस योजना के पांच वर्षों में अतिरिक्त कराधान के आधार पर ८०० करोड़ रुपये एकत्रित किये जायें। इसमें से ४५० करोड़ रुपये तो नये कराधानों से आने थे और इसका आधा भाग तो केन्द्रीय सरकार द्वारा और शेष आधा

†मूल अंग्रेजी में

भाग राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित करना था। योजना के पहले दो वर्षों में इस मद से १२० करोड़ रुपये एकत्रित हुये। आर्थिक सर्वेक्षण ने अब जो आंकड़े दिये हैं उनसे पता चला है कि इस प्रकार योजना के अंत में इससे ६०० करोड़ रुपये एकत्रित होंगे। इस प्रकार योजना के लक्ष्य से १०० करोड़ रुपये अधिक मिलेंगे। इसका अभिप्राय यह हुआ कि करदाताओं पर अधिक भार पड़ा। अतः इस दृष्टि से ही हमें इस वर्तमान आय व्ययक को देखना है। इस वर्ष मुझे आशा थी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में माननीय मंत्री महोदय कुछ कमी करेंगे किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। विशेष रूप से मुझे निराशा इसलिये भी हुई कि उन्होंने उत्पादन को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया है और यह प्रोत्साहन पिछले दो तीन वर्षों से भी नहीं मिल रहा है।

लगभग २३ करोड़ का अतिरिक्त कराधान इस वर्ष भी लगा दिया गया है। इसमें १८ करोड़ रुपये का कराधान जन साधारण पर उत्पादन शुल्क के रूप में पड़ेगा। चाय, चीनी और सिगरेट इत्यादि पर कर लगाने से तो जन साधारण पर और भी बोझ बढ़ जायेगा। और यह बोझ उनकी सहन शक्ति से बाहर की बात है। डिज़ल तेल पर उत्पादन शुल्क बढ़ाने से जनसाधारण का बोझ और भी बढ़ेगा क्योंकि निर्धन किसान को अपना पम्प चलाने के लिये तेल का मूल्य अधिक देना होगा और दूसरी ओर सड़क से यातायात करने वाले अथवा अपना सामान भेजने में उसे अधिक भाड़ा देना पड़ेगा।

इस उत्पादन शुल्क के बढ़ाने से मुद्रास्फीति और भी बढ़ जायेगी। आय-व्ययक में दिये गये आंकड़ों से प्रकट है कि गत वर्ष में थोक मूल्यों की स्थिति १०५ से बढ़ कर ११४.५ हो गई है और श्रमिकों का जीवन निर्वाह देशनांक ११० से बढ़ कर ११६ हो गया है। माननीय मंत्री महोदय ने सम्पत्ति कर और व्यय-कर लगाया है। व्यय-कर के सम्बन्ध में उनका कहना है कि एक परिवार में यदि पति-पत्नी, और उनके बच्चों की आय मिला कर ३६,००० रुपये से अधिक हो जाती है तो उस सब आय पर व्यय-कर लगेगा। यह ठीक नहीं है क्योंकि यह व्यवस्था तो आय-कर अधिनियम में भी नहीं है। यदि यह स्वीकार कर लिया गया तो एक दिन वह आयेगा जब कि आय-कर में भी इसकी व्यवस्था करनी होगी। समवाय कर और आय-कर से भी किसी को प्रसन्नता नहीं हुई है। प्रत्यक्ष करों का अध्ययन करने के पश्चात् मैं तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि साधारणीकरण के बहाने आय-कर और प्रत्यकरों में वृद्धि की गई है। इस सम्बन्ध में उन्होंने अपने भाषण में जो कुछ कहा है यदि उनका अभिप्राय भी वही है तो मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि वह सभा को यह आश्वासन दे कि वह इस बात की जांच करेंगे कि आय-कर और अधिकर के मामले में न तो हानि ही होगी और न लाभ ही। समवायों को उन्होंने जो सहायता दी है उसको यदि देखा जाये तो पता चलता है कि अंशदायियों की पूंजी पर आय-कर के रूप में अतिरिक्त कर लग जाता है। मैं मानता हूं कि हो सकता कि माननीय वित्त मंत्री का विचार चाहे ऐसा न हो किन्तु तथ्य यही है। अतः उनसे निवेदन है कि वह इस मामले की फिर जांच करें।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में जो बातें कही हैं उनसे दो बातों में मैं सहमत नहीं हूं। पहली बात तो यह है कि द्वितीय पंचवर्षय योजना पर कुल ४५०० करोड़ रुपये खर्च होने वाले हैं जिसमें से २४५० करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और २०५० करोड़ रुपये व्यय होना शेष है। इस वर्ष के आय-व्ययक में उन्होंने योजना के व्यय के लिये ११२१ करोड़ की व्यवस्था की है। मेरा निवेदन यह है कि उन्होंने अगले वर्ष के लिये केवल ६२६ करोड़ रुपये छोड़े हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि इस वर्ष उन्होंने अधिक भार डाला जो कि आसानी से कम किया जा सकता था।

[श्री मी० रू० मसानी]

दूसरे उन्होंने कहा है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत है कि योजना को, चाहे किसी भी मूल्य पर क्यों न हो, पूरा किया जाये। मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि लाखों व्यक्तियों की धारणा यह है कि योजना को इस रूप में बनाया जाये जिससे कि वित्त की स्थिति ठीक रहे। हो सकता है कि माननीय वित्त मंत्री यह कहें कि इस सभा के सभी विरोधी दलों ने इसे स्वीकार कर लिया है। किन्तु सारा देश इसका विरोध करता है। जो लोग भी समय की स्थिति से जागरूक हैं वे योजना के पूंजीवादी ढांचे और सामूहिक खेती के विरुद्ध हैं। वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ श्री राज गोपालाचारी ने भी कहा है कि हमारे यहां यदि उदार और अनुदार दलों के बीच वाला भी कोई दल होता तो वह भी इस योजना का विरोध करता। जितना कृषि के सम्बन्ध में सरकारी नीति और जनसाधारण में मतभेद है उतना मतभेद जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में नहीं है। इस समय सरकार जिस नीति का पालन करना चाहती है उससे वित्तीय स्थिरता को चोट पहुंचेगी। और यह बात सभी अच्छी तरह जानते हैं।

सामूहिक खेती के सम्बन्ध में मैं इतना ही कहूंगा कि विश्व भर के प्राप्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि जहां कहीं भी सामूहिक अथवा सहकारी कृषि की गई वहीं कृषि उत्पादन तथा खाद्य उत्पादन में कमी आई। प्रधान मंत्री ने सामूहिक खेती करने के पक्ष में बहुत ज़ोरदार अपील की है किन्तु मेरे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनकी काट वे नहीं कर सके। उन्होंने कनाडा का उदाहरण दिया था। मैं कहता हूं कि कनाडा में एक राज्य ही ऐसा है जहां सहकारी आधार पर खेती होती है और वह भी इस उदाहरण से स्पष्ट हो जायेगा कि वहां १०३,००० खेत हैं जिनमें से केवल २७ खेतों में सहकारी खेती होती है। दूसरी बात यह है कि क्या संयुक्त-खेती और सहकारी खेती एक ही चीज है अथवा अलग-अलग हमारे प्रधान मंत्री का कहना है कि ये दोनों अलग-अलग चीज़ हैं। किन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि दोनों हैं क्या चीज़।

रूस में सामूहिक खेती में किसानों की भूमि राज्य से सदैव के लिये मिल जाती है। और किसानों से वह खेत वापिस नहीं लिया जा सकता। उन्हें इसके लिये राज्य को कुछ देना नहीं पड़ता। सब किसान अपनी-अपनी भूमि को एक जगह मिला देते हैं और वहां सीमा नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। किसान को यह छूट रहती है कि वह इस प्रकार की सामूहिक खेती से अलग हो सकता है और अपने भाग को ले सकता है। उसे अपनी भूमि के बदले में या तो किसी दूसरे स्थान पर भूमि दी जा सकती है अथवा उसको नक़द रुपया दिया जा सकता है। हमारे प्रधान मंत्री को संयुक्त खेती की यह प्रणाली पसन्द नहीं है और मैं उनसे इस बात में सहमत भी हूं। सहकारी खेती के सम्बन्ध में वहां १९३५ के चार्टर में बताया गया है कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। किसानों के अपने पदाधिकारी होंगे और वे ही सब कार्य करेंगे। सामूहिक खेती के क्षेत्र में वहां देखा गया कि किसानों ने सहयोग नहीं दिया अतः वहां अकाल पड़ा। हमारे यहां भी, हो सकता है कि, वही दशा हो जो कि रूस में हुई है। इसलिये आशा है कि हमारे यहां उस प्रक्रिया को नहीं अपनाया जायेगा जिससे कि देश को कठिनाइयों का सामना करना पड़े।

कुछ लोगों की धारणा है कि नागपुर प्रस्ताव क्रियान्वित नहीं होगा। यदि होगा भी तो इसका बहुत विरोध किया जायेगा हो सकता है कि खून खराबी तक भी हो। उस प्रस्ताव में कहा गया है कि तीन वर्ष के पश्चात् हमारा ध्येय संयुक्त सहकारी खेती का है।

आज जब कि देश को अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता है उस समय संयुक्त सहकारी खेती की बात करना ठीक नहीं है क्योंकि उसकी तीन हानियां हैं। सब से पहली हानि तो यह है कि सरकार संयुक्त सहकारी खेती की बात करके सिंचाई के लिये पानी, खाद तथा औजार और उधार

देने के दायित्व से मुक्त होना चाहती है। दूसरे बहुत से छोटे-छोटे तथा बीच के किसानों के मस्तिष्क में असुरक्षा की भावना भर कर अधिक उत्पादन करने से उन्हें रोका जा रहा है। क्योंकि जब उन्हें यह बताया गया है कि तीन वर्ष पश्चात् उससे यह भूमि ले ली जायेगी तो भला यह कैसे आशा की जा सकती है कि वह दिल से उस खेती में कार्य करेगा। तीसरे इस प्रकार की बात करके साम्यवादी प्रचार को मज़बूत किया जा रहा है। यही कारण है श्री राजगोपालाचारी जैसे राजनीतिज्ञ ने कहा है कि आप इसके द्वारा देश की कृषि-स्थिरता को नष्ट करने जा रहे हैं। जो कि हजारों वर्षों से चली आ रही है। किन्तु अब किसानों के भूमि-स्वामित्व को आप तीन या पांच वर्षों में समाप्त करने जा रहे हैं'; यह तो आग से खेलना हुआ। इसलिये सरकार से निवेदन है कि वह इस तरह का अनुसरण न करे।

†**श्री बिमल घोष** (बैरकपुर) : हमें इस आय-व्ययक की जांच इस दृष्टि से करनी है कि कहां तक यह योजना की पूर्ति करता है क्योंकि योजना को सभा स्वीकार कर चुकी है। हमें यह भी देखना है कि इस योजना में कहां तक सफलता मिली है और अब यह किस स्थिति पर है। इस योजना की हमें दो दृष्टि से जांच करनी है कि वर्तमान आर्थिक स्थिति क्या है तथा भविष्य में इसकी स्थिति क्या होगी। मेरा विचार है कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।

जहां तक कि उत्पादन का मामला है हम देखते हैं कि पिछले दो वर्षों में उत्पादन गिरा है। हमें यह देखना है कि हमने जो लक्ष्य बनाये थे उनकी पूर्ति करने में हमें कहां तक सफलता मिली है। चीजों के मूल्य तथा निर्वाह व्यय देशनांक में भी वृद्धि हुई है। भुगतान सन्तुलन के बारे में भी हम देखते हैं कि आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और निर्यात की मात्रा घट रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक व्यवस्था में भी प्रगति नहीं हुई है। बल्कि इससे ढील ही आई है क्योंकि एक ओर तो उत्पादन में कमी हुई है दूसरी ओर गैर-सरकारी क्षेत्र बैंक आदि से अधिक रुपया नहीं ले रहे हैं इसका कारण भी स्पष्ट है कि हमारे उद्योग प्रगति नहीं कर रहे हैं।

राजस्व क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि आयात पर प्रतिबन्ध लगने के परिणामस्वरूप शुल्कों से होने वाली आय भी गिर गई है। कुछ उत्पाद-शुल्कों में भी कमी हुई है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों के मामले में तो राजस्व ज्यों का त्यों रहा है। इन सब बातों से यह प्रकट होता है कि आर्थिक व्यवस्था में विकास नहीं हो रहा है। छोटी बचतों में भी कमी आई है।

अब हमें यह देखना है कि आर्थिक व्यवस्था का भुगतान संतुलन पर बाहरी तथा भीतरी दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ा है। हमने अपने आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है जिससे कि निर्यात की स्थिति में वृद्धि हो जाये। इससे इतना तो हुआ कि भुगतान सन्तुलन की स्थिति में सुधार हुआ किन्तु निर्यात की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।

यदि हम अन्तरिक स्थिति को देखें तो पता चलता है कि चीजों के मूल्य बढ़ रहे हैं और उत्पादन घट रहा है। कहा जाता है कि आर्थिक व्यवस्था के विकास के समय मुद्रास्फीति होना आवश्यक है। माना कि यह ठीक है किन्तु क्या हमारी आर्थिक व्यवस्था में विकास हो रहा है? किन्तु हमारे यहां ऐसा नहीं हो रहा। अतः हम देखते हैं कि हमारी आर्थिक व्यवस्था सन्तुलन की ओर उस गति से नहीं बढ़ रही है जिस स्थिति में कि वह तीन या चार वर्ष पूर्व पहुंच गई थी।

जब हम योजना के संसाधनों पर दृष्टिपात करते हैं तो देखते हैं कि स्थिति बहुत ही गम्भीर है। हम विदेशों से बहुत अधिक मात्रा में आर्थिक सहायता ले रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर उधार लिया जाता है किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि हम बराबर ऋणी होते जायं। क्योंकि यह

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बिमल घोष]

स्वाभाविक है जिस देश के हम ऋणी होंगे तो हमारी नीति भी वैसे ही होनी चाहिये जिससे कि वह देश रुष्ट न हो। अतः इस दृष्टि से हमारी स्थिति ठीक नहीं है। इसलिये चाहे आप योजना को देखें अथवा वर्तमान आर्थिक व्यवस्था को दोनों ही दृष्टि से स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। हम देखते हैं कि हमारी स्थिति जो आज से दो वर्ष पूर्व थी अब वह नहीं है। किन्तु अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिये क्या योजना में कमी करना चाहिये। मैं समझता हूं कि इससे कोई सहमत नहीं होगा।

अब प्रश्न यह उठता है कि किन साधनों से इसकी पूर्ति की जाये। इस सम्बन्ध में पहला सुझाव तो यह है कि हमें अपनी खाद्य समस्या का समाधान करना चाहिये। और हमारी आन्तरिक तथा बाहरी दृष्टि से इस समस्या का समाधान करना भी आवश्यक है। हमें उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिये और उसकी पूर्ति के लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिये। और यदि हम उन लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर सकते तो हमें कहना चाहिये कि हम योजना को क्रियान्वित करने में असफल होंगे।

संसाधनों की प्राप्ति एवं उनकी उपयोगिता के बारे में हमें ध्यान रखना होगा। हमें देखना होगा कि योजना किस ढंग से क्रियान्वित की जाती है तथा संसाधनों का उपयोग किस आधार पर किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण ने बताया है कि हम अपनी राष्ट्रीय आय का १०–११ प्रतिशत योजना पर व्यय करने लगे हैं यह बात तो बड़ी अच्छी है किन्तु सर्वेक्षण ने यह नहीं बताया है कि उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। साथ ही हमें यह भी देखना है कि हमारी राष्ट्रीय आय में ८ प्रतिशत से अधिक बचत क्यों नहीं होती ?

एक महत्वपूर्ण बात हमें यह भी देखनी है कि कृषि क्षेत्र का राष्ट्रीय आय की बचत में तथा योजना के क्रियान्वित करने में कितना हाथ है। इसलिये जब तक इसके संसाधनों को बढ़ाने का हम प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक हम योजना के आवश्यक संसाधनों को बढ़ाने में भी प्रगति नहीं कर सकते। किन्तु मेरा विचार है कि कोई भी राजनीतिक दल इस सम्बन्ध में कोई कार्य नहीं करेगा क्योंकि कृषक ही सब से अधिक मात्रा में मतदाता हैं और कोई उनको नाराज करना नहीं चाहेगा।

विदेशों में हम देखते हैं कि वे अधिक मात्रा में बचत कर सकते हैं तथा अधिक मात्रा में धन लगा सकते हैं किन्तु हम अपनी आर्थिक व्यवस्था से अधिक बचत नहीं कर सकते। किन्तु जब तक हम यह नहीं कर सकते अथवा अपनी नीति नहीं बदल सकते तब तक इन योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वित नहीं कर सकते।

इसलिये अन्त में मैं कहूंगा कि आय-व्ययक में हमारी आर्थिक व्यवस्था का सच्चा स्वरूप नहीं दिखाया गया है और न यह बताया गया है कि द्वितीय योजना की स्थिति क्या है। मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्री को आय-व्ययक में सही रूप दिखाना चाहिये था।

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा) : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय वित्त मंत्री ने विभिन्न मंत्रालयों तथा योजनाओं के बारे में अनुदानों की मांगों और व्यय की पुस्तिका इस वर्ष हमें दी है और हमें आशा है कि अगले वर्ष जो आय-व्ययक प्रस्तुत किया जायेगा, उसमें हमें बताया जायेगा कि वर्ष में क्या-क्या काम किए गए हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस समय मैं कुछ विशेष मामलों के बारे में कहना चाहती हूं। हमने विभिन्न विषयों जैसे खाद्यान्न में राज्य व्यापार, सहकारी पद्धति की खेती, परिवार नियोजन आदि के बारे में बहुत कुछ सुना, परन्तु मुझे इसका बड़ा खेद है कि जब नीतियां बनाई जाती हैं तो इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि हमें कितना काम करना है और क्या-क्या करना है।

सहकारी खेती को लीजिए। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में बताया गया कि ३ वर्ष की अवधि में कुटीर उद्योगों तथा खेती के लिए सहकारी समितियां बना ली जानी चाहिए। मुझे कुटीर उद्योगों में महिला सहकारी समितियों का कुछ अनुभव है और उसी के आधार पर बता सकती हूं कि श्री मसानी का जो विचार सहकारी खेती के सम्बन्ध में है कि सहकारी खेती सामूहिक खेती ही है, वह ठीक नहीं है। हम सहकारी खेती को जबरदस्ती लादना नहीं चाहते हैं। अपितु यह चाहते हैं कि आरम्भ में किसान इस प्रकार की खेती के लाभ देखें और फिर इसके अनुसार अमल करें। मेरा अपना विचार है कि इसके, परिणाम स्पष्ट हो जाने पर किसान स्वयं सहकारिता को अपना कर खेती करेंगे।

अब परिवार नियोजन को लीजिए। समस्त देश ने इसको स्वीकार किया है कि परिवार नियोजन की आवश्यकता है। परन्तु इस के बारे में सम्मेलन किए गए, समितियां बनाई गईं, बोर्ड बनाये गये और इस प्रकार बातें ही अधिक की गईं जबकि आवश्यकता इस बात की थी कि इसके सम्बन्ध में जनता में जागृति पैदा की जाती और इसको स्वास्थ्य सेवा का एक अंग बनाकर बताया जाता।

इस वर्ष माननीय वित्त मंत्री का भाषण वास्तविक था और उसमें कुछ छिपाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। यद्यपि उन्हें घाटे की अर्थ-व्यवस्था करनी है परन्तु इस बारे में वह बड़े सावधान हैं कि वस्तुओं के भाव में वृद्धि न हो। मेरे विचार से इस वर्ष के करों का कोई औचित्य नहीं है और इसीलिए मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार को पता है कि वनस्पति तेल, खांडसारी, बीड़ी आदि कितने की स्थानों पर कुटीर उद्योग से तैयार किए जाते हैं और उत्पादन शुल्क के कारण छोटे-छोटे उत्पादकों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। मेरे पास मुर्शिदाबाद से तार आये हैं, जहां कि बिजली से चलने वाली घानियों का कुटीर उद्योग के स्तर पर प्रयोग किया जाता है। हाथ से चलने वाली घानियों को ही छूट देना काफी नहीं है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे।

मुझे इस वर्ष इससे बड़ा असंतोष हुआ कि माननीय मंत्री ने आय-कर की न्यूनतम राशि को ३००० रुपये ही बनाये रखा। हम एक ओर तो कहते हैं कि जनसाधारण की सहायता करनी चाहिए और दूसरी ओर इसी जनसाधारण को, जो निम्न मध्यम वर्ग के अन्तर्गत आता है, आय-कर की न्यूनतम राशि बढ़ाकर कोई सहायता देना नहीं चाहते हैं, न ही अप्रत्यक्ष करों को हटा कर कोई राहत देना चाहते हैं। यह बेचारे अपने बच्चों को शिक्षा भी अच्छी नहीं दिला पाते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि आय-कर इकट्ठा करने वालों की सहायता के लिए एक नागरिक समिति बनाई जाये जो कर अपवंचकों से आय कर दिला सके। इस प्रकार न्यूनतम आय-कर राशि ३००० रुपये के बढ़ा कर जो हानि होगी वह पूरी हो जायेगी।

इसके पश्चात् देश के संसाधनों का अच्छी तरह उपयोग करने का प्रश्न आता है। मैं जानती हूं कि सरकार सभी प्रकार का प्रयत्न कर रही है कि अपव्यय न हो। परन्तु

[श्रीमती रेणुका राय]

में कहीं पर भी व्यय में समन्वय नहीं पाती। उदाहरण के लिए दिल्ली में एक इरविन अस्पताल है तथा दूसरी चिकित्सा गवेषणा संस्था है जो एक नया अस्पताल बनाने जा रही है। मेरा अनुरोध है कि, दो सरकारी अभिकरण एक ही काम के लिए क्यों बनाये जायें। इससे अपव्यय होता है।

माननीय मंत्री से बार-बार फर्टका बांध बनाने के बारे में कहा गया है। लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए करोड़ों रुपये प्रतिवर्ष व्यय करने होते हैं, लेकिन यदि एक वर्ष ही इस बांध के बनाने के लिए धन व्यय कर दिया जाये तो प्रत्येक वर्ष राजस्व से धन क्यों व्यय होगा। मैं आशा करती हूं कि इस वर्ष इसको बनाया जायेगा। और सिंचाई मंत्री इस के बारे में घोषणा करेंगे।

अन्त में प्रधान मंत्री से मेरी एक अपील है। पाकिस्तान से करार किए जाते हैं, जिन पर उनके द्वारा कभी भी अमल नहीं किया जाता। पूर्वी सीमा पर करार को बराबर भंग किया जाता है। और वहां की हालत बहुत खराब है इसलिए मेरा अनुरोध है कि प्रदेशों के हस्तांतरण के विधान को अभी प्रस्तुत न किया जायें। जब पाकिस्तान समझौते के अनुसार काम करना आरम्भ कर दे तभी हमें इस प्रकार का विधान प्रस्तुत करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आय-व्ययक का समर्थन करती हूं।

†**श्री च० द० पांडे** (नैनीताल) : प्रारम्भ में मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसा अच्छा आय-व्ययक प्रस्तुत किया है। परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि सरकार के कार्यों से मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं और इसीलिए मैं जनसाधारण की भावनाओं को यहां प्रस्तुत करना चाहता हूं। सबसे पहले हमें यही देखना चाहिए कि जनता में आय-व्ययक के सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया हुई है। और देश की वर्तमान स्थिति क्या है। जनता हमसे पूछती है कि खाद्यान्नों के बारे में आपने क्या किया? हमें आशा थी कि हमारे पास कम से कम ६५० लाख टन अनाज होगा जबकि हमें मिला ५८० लाख टन से भी कम। इससे पता लग जाता है कि जनता की प्रथम आवश्यकता को भी पूरा नहीं किया गया। जनता गत १७ वर्ष से जब लड़ाई शुरू हुई थी, आशा कर रही है कि आगे चल कर हालत सुधर जायेगी। एक वर्ष जरूर स्थिति कुछ ठीक थी लेकिन फिर अब बिगड़ती जा रही और पिछले वर्ष तो गेहूं ३० रुपये और इससे अधिक के भाव से बिका है। हमें इसका पता लगाना चाहिए कि खाद्यान्नों के सम्बन्ध में हमारी स्थिति क्यों नहीं सुधर पा रही है। मैं मानता हूं कि जनसंख्या बढ़ रही है परन्तु जनसंख्या इतनी शीघ्रता से बढ़ नहीं रही है जितनी शीघ्रता से खाद्यान्नों का उत्पादन कम हो रहा है। यदि जनसंख्या के साथ-साथ खाद्यान्नों का उत्पादन भी बढ़ाया जाता तो वर्तमान स्थिति नहीं आ पाती।

खाद्यान्नों के बाद कपड़ा आता है। १६५७ में ५३,००० लाख गज कपड़ा बनाया गया था परन्तु १६५८ में यह ४६,००० गज लाख रह गया। यदि हम विचार करें कि सरकार को प्रति गज ५ आने मिलते हैं तो सरकार का एक वर्ष में कितना नुक्सान हुआ, यह आप हिसाब लगा सकते हैं। चीनी को लीजिए। १६५७ में २०,५०,००० टन चीनी बनी जबकि इस वर्ष हमें १८ लाख टन चीनी बनने की भी आशा नहीं है। यदि हम २०,५०,००० टन का स्तर ही कायम रखते तो हमें इन दो लाख टनों की कमी के कारण ८ करोड़ रुपये का

†मूल अंग्रेजी में

घाटा न होता। सीमेन्ट के उत्पादन में भी कमी हुई है। कई उद्योगों में उत्पादन कम हुआ है और यही वजह है कि लोग हमसे पूछते हैं कि हालत क्यों बिगड़ती जाती है। कपड़ा, सीमेन्ट आदि उद्योगों में उत्पादन की क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं हो रहा है। इसके क्या कारण हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। हमारे निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता हमसे सभी वस्तुओं में उत्पादन की कमी के कारणों को जानना चाहते हैं। मैं जो कुछ बता रहा हूं माननीय वित्त मंत्री यह न समझें कि मैं उनके ही मंत्रालय की आलोचना कर रहा हूं।

आज देश की सबसे बड़ी समस्या मकानों की समस्या है। लखनऊ, हलद्वानी, नैनीताल कहीं भी जाइये, मकानों की कमी नज़र आयेगी। इन सात वर्षों में हम अपनी योजना के लक्ष्य पूरे नहीं कर पाये हैं और कहते हैं कि हमारी योजना सफल हो गई है। बेकारी की भी समस्या हमारे सामने है। हमसे त्याग करने को कहा जाता है, खर्चा कम करने को कहा जाता है और बताया जाता है कि हम रूस का आदर्श सामने रखें जिससे उसके समान ४० वर्षों में हमारा राष्ट्र शक्तिशाली बन जाये। लेकिन मैं समझता हूं कि आज जो हम त्याग करें और भविष्य में उसके जो फायदे हों उनमें किसी प्रकार का कुछ संबंध तो होना चाहिये। यदि हमारे यहां लोगों को खाना नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, काम धंधा नहीं मिलेगा, रहने को मकान नहीं मिलेगा तो फिर आपका इतना सब करने से खास फायदा नहीं होगा। सिन्दरी में अधिक खाद बनवाइये, इस्पात संयंत्रों में अधिक इस्पात बनवाइये, बड़ी-बड़ी परियोजनायें बनवाइये परन्तु साथ-साथ खाने, कपड़े, रहने और दैनिक प्रयोग में आने वाली उपभोक्ता वस्तुओं की व्यवस्था भी थोड़ी बहुत कीजिए जिससे लोगों को कुछ संतोष हो।

इस वर्ष माननीय वित्त मंत्री ने २३ करोड़ रुपये के कर लगाये हैं जो श्री कृष्णमाचारी के १०५ करोड़ रुपये के करों से काफी कम है। परन्तु हमारे सामने यही प्रश्न उपस्थित है कि क्या जो कर लिए जाते हैं उनको ठीक प्रकार से व्यय किया जाता है। आज हमें पता लगता है कि १९५७ से असैनिक व्यय ५५ करोड़ रुपये बढ़ गया है। गत वर्ष भी मितव्ययता करने की सभा ने अपील की थी परन्तु मितव्ययता कामों पर खर्च कम करके की गई जबकि कम कर्मचारियों से अधिक काम करा कर मितव्ययता नहीं की गई। मैं समझता हूं कि असैनिक व्यय में १० प्रतिशत कमी अब भी की जा सकती है।

श्रीमती रेणुका राय के साथ-साथ मेरा भी अपना विचार है कि मध्यम वर्ग को सहायता देने के बारे में हमें विचार करना चाहिये। आपने अन्तरिम सहायता के रूप में २५० रुपये पाने वाले व्यक्ति को ५ रुपये माहवार दिये हैं लेकिन आप उससे आयकर भी ले लेते हैं और अन्य करों का भी बोझा उसी पर पड़ता है विभिन्न प्रकार के उत्पादन शुल्कों के रूप में आप कम से कम १५ रुपया महीना उससे वसूल कर लेते हैं। इसलिये मेरा अपना विचार है कि ३००० रुपये की आय कर छूट सीमा को बढ़ा कर ४,२०० रुपये कर देना उचित होगा। जिन व्यापारियों की ३००० रुपये की आय है वह कभी-कभी अपनी इतनी आय नहीं बतायेंगे और इस प्रकार आय कर विभाग के पदाधिकारी भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। इसलिये मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री कृपा करके आय कर की न्यूनतम राशि ४,२०० रुपये कर दें।

†**श्री पी० रा० रामकृष्णन्** (पोल्लाची) : मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने समवायों पर से सम्पत्ति कर तथा अधिक लाभांश कर को समाप्त कर दिया है, और

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पी० सु० राम कृष्णन]

समवायों के विभिन्न स्तरों पर जो करारोपण थे उनको समाप्त करके एक नई पद्धति लागू की है। इसके बारे में सभासदों के विभिन्न मत हैं कि इससे अंशधारियों अथवा समवायों में से किनको लाभ हुआ है। मेरा अपना विचार है कि अन्ततः अंशधारी को ही इससे लाभ होगा क्योंकि सम्पत्ति कर की समाप्ति के कारण अंशधारी को अधिक लाभांश उपलब्ध होगा। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ेगा और समवायों में अधिक पूंजी लगाई जाने लगेगी जिससे उन की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा ।

इसके अतिरिक्त मेरा विचार यह है कि सम्पत्ति कर के हटाये जाने से छोटे समवायों की तुलना में बड़े समवायों को लाभ होगा, क्योंकि नई कर-व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति बड़े समवायों में धन लगायेगा क्योंकि उसे बड़े समवायों से लाभांश अधिक मिलने की तथा अपनी पूंजी की अधिक सुरक्षा की आशा होगी। इसलिये मेरी माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थना है कि नये समवायों को कुछ रियायतें दी जानी चाहिये जिससे प्रतिद्वन्दिता में वह अपना अस्तित्व बनाये रख सकें ।

ऐसे भी समवाय है जिनके पास बहुत रक्षित धन इकट्ठा है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री यह स्पष्ट करें कि यदि इस रक्षित धन में से समवाय लाभांश की घोषणा करता है तो क्या वर्तमान करारोपण के अधीन उसे ३० प्रतिशत देना होगा, क्योंकि पुरानी पद्धति के अनुसार तो वह पहले ही कर दे चुका है ।

हमें बताया गया कि देश में उत्पादन कम हो गया है। कपड़े में ३६ प्रतिशत उत्पादन कम हुआ है जबकि यह हमारा सबसे पुराना उद्योग है। मेरी राय में इस उद्योग में उत्पादन में कमी का कारण सरकार द्वारा वैज्ञानिकन पर रोक है। मेरा अपना विचार है कि वैज्ञानिकन के कारण यदि कुछ व्यक्ति बेकार हो जाते हैं तो हो जाने दिया जाये। यह अस्थायी समय के लिये ही बेकार रहेंगे क्योंकि हमारी विकासशील अर्थ व्यवस्था में काम मिलने के बड़े अवसर मिलेंगे।

माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि डीज़ल तेल के लिये सरकार को किसानों को कुछ रियायत देनी चाहिये। जिस क्षेत्र से मैं आया हूं वहां के किसानों ने मजदूरी अधिक होने के कारण सहकारी समितियां बना कर यंत्र खरीदे हैं और यदि इन यंत्रों को चलाने का व्यय बढ़ जायेगा तो किसानों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

आज देश में मुद्रास्फीती की बड़ी चर्चा है क्योंकि वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं। वस्तुओं के मूल्य खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ने के कारण ही बढ़ रहे हैं। मेरा अपना विचार है कि खाद्यान्नों की देश में कमी नहीं है, अपितु वितरण ठीक प्रकार का न होने के कारण मूल्यों में बढ़ोत्तरी हो रही है। सीमेंट का भी उत्पादन कम हो रहा है। यांत्रिक उद्योगों के उत्पादन में भी कमी हो गई है क्योंकि हमारे आयात में भारी कमी हो गई है । परन्तु इससे लाभ भी हुआ है कि लोगों ने आयात की जाने वाली चीजों को अब देश में ही बनाना आरम्भ कर दिया है। इसलिये उत्पादन में जो अस्थाई कमी आई है उससे हमें घबराना नहीं चाहिये।

†**श्री रघुबीर सहाय** (बदायूं) : इस आय-व्ययक में कुछ अच्छी बातें हैं जिनका मैं स्वागत करता हूं। प्रतिरक्षा व्यय में २४.१९ करोड़ का व्यय कम किया गया है। आशा है कि आगामी वर्षों में भी कम करने की प्रथा चालू रहेगी। दूसरे सामुदायिक विकास विभाग पर

†मूल अंग्रेजी में

होने वाले व्यय में ६.१७ करोड़ की वृद्धि की गई है। यह वृद्धि ठीक भी है क्योंकि इस विभाग का बराबर विकास हो रहा है। अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण कार्य के लिये ५ $^{1}/_{2}$ करोड़ रुपये राज्य सरकारों को दिये गये हैं। वायुबल के व्यय में २३.८ करोड़ रुपये की बचत दिखाई गई है। कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की उपलब्धियों में वृद्धि करने के लिये राज्य सरकारों को ६ करोड़ रुपया दिया गया है। इन सब बातों के लिये निश्चय ही वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं।

दूसरी ओर कुछ ऐसी बातें भी हैं जो बहुत ही कष्टप्रद हैं। १९५७-५८ में कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन की कमी तथा धीमी गति के कारण राष्ट्रीय आय में दो प्रतिशत की कमी हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण ने यह भी स्वीकार किया है इस वर्ष जनता के हाथ में धन की कमी रही है। इस वर्ष थोक के मूल्यों का देशनांक—और विशेष रूप से खाद्य सामग्री—में बहुत वृद्धि हुई है। यहां तक कि हर चीज़ों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। बेरोजगारी की समस्या भी निरंतर बिगड़ी है।

यह ठीक है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के इन तीन वर्षों में हमने कुछ सफलता प्राप्त की है किन्तु जब तक जनसाधारण को हर चीज़ उपयुक्त मूल्य पर न मिलने लगेगी तब तक योजना को क्रियान्वित करने के लिये उनमें उत्साह नहीं आयेगा। कहा गया है खरीफ़ की फसल अच्छी हुई है रबी की फसल भी अच्छी होगी इस के लिये सरकार धन्यवाद की भागी है किन्तु अच्छा होता कि यदि चीज़ों के मूल्य भी उसी अनुपात से गिरते।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि हमारे देश में काफ़ी मात्रा में खाद्यान्न है किन्तु उसके वितरण का ढंग गलत है। खाद्यान्न इकट्ठा करने तथा मुनाफा कमाने की बात कही गई है। इसलिये माननीय वित्त मंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि वह इसकी जांच करें और देखें कि लोग खाद्यान्न इकट्ठा न करें तथा मुनाफा न कमायें। खाद्यान्न का इकठ्ठा करना केवल सरकारी स्तर पर हो।

सहकारी खेती, राज्यीयस्तर पर व्यापार, तथा भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित करने के बारे में बड़ी चर्चा हो रही है। इस सम्बन्ध में मेरा इतना ही निवेदन है कि यदि हम इन कार्यक्रमों में सफलता चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि जो इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेंगे उनमें इनके बारे में अच्छा ज्ञान हो, काम करने की भावना हो, तथा उपयुक्त देखभाल करने की क्षमता हो। इन विशेषताओं के बिना सफलता मिलना असंभव है।

हमें बताया गया है कि पिछले वर्षों में हमने खाद्यान्न का काफी मात्रा में आयात किया है। यह कोई गौरव की बात नहीं है। आशा है कि वित्त मंत्री इस पर विचार करेंगे और प्रयत्न करेंगे कि इस आयात को जितनी जल्दी रोका जाये उतना ही अच्छा है। इस प्रकार यह सब धन हमें बचाना चाहिये और इसे किसान वर्ग को ही रक्षित करने में लगाना चाहिये। और खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिये उन्हें सब प्रकार के साधन जैसे अच्छी प्रकार का बीज, खाद, सिंचाई के लिये पानी आदि की व्यवस्था करनी चाहिये।

देश का भविष्य अच्छा बनाने के लिये वित्त मंत्री ने अपील की थी हमें अधिक से अधिक बचत करनी चाहिये तथा उपभोग के सामान में कमी करने का प्रयत्न करना चाहिये। योजना को क्रियान्वित करने के लिये यह आवश्यक है कि जनमत को सरकार अपने पक्ष में करे और जनमत को अपने पक्ष में करने पर ही यह संभव है कि जनता कर इत्यादि आराम से दे सकेगी किन्तु आज कल हम देखते हैं कि जनता में योजना के प्रति कोई उत्साहन नहीं है।

[श्री रघुवीर सहाय]

आज कल हमारे यहां वेतन के बारे में काफ़ी विभिन्नता है। एक ओर तो ४००० रुपये पाने वाले व्यक्ति हैं तो दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ५०–६० रुपये ही मिलते हैं। इस विभिन्नता को दूर करने के लिये माननीय वित्त मंत्री को चाहिये कि वह ऊंचा वेतन पाने वालों में त्याग की भावना जाग्रत करे जिससे कि वे अपने वेतन में कुछ कमी कर सकें।

अंत में वित्त मंत्री को धन्यवाद देते हुये उनसे निवेदन करता हूं कि वह जनता को इस बात का आश्वासन दें कि उनकी कठिनाइयां एवं दिक्कतें उनके ध्यान में हैं और उनको दूर करने का यथासाध्य प्रयत्न किया जायेगा ।

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय वित्त मंत्री ने जो इस साल बजट पेश किया है उसे मैं परम्परा अनुगामी बजट कहता हूं परम्परा अनुगामी इस माने में जब कि डा० जान मथाई थे तो उन्होंने जो बजट बनाया वह हमारे जनसाधारण के विरोध में बनाया। जनसाधारण को उसमें कोई फायदा नहीं था और बड़े लोगों को उसमें लाभ था। उसके पश्चात् श्री सी० डी० देशमुख ने जो बजट उपस्थित किया वह मथाई साहब का अनुकरण था और उन्होंने कुछ नये टैक्स बढ़ाये क्योंकि उनको पंचवर्षीय योजना को चलाना था। आज हम देखते हैं कि हमारे जो वर्त्तमान वित्त मंत्री महोदय हैं वे गांधी विचारधारा के अनुयायी ही नहीं बड़े पक्षपाती हैं और उसके प्रवर्त्तक हैं लेकिन इस बजट में मैं देखता हूं कि जिन बातों पर उनका ध्यान जाना चाहिये था शायद इसलिये नहीं गया कि उनको अभी केवल एक वर्ष मिला है और वह भी पूरा नहीं और हो सकता है कि वह पूरे मुल्क की वित्तीय स्थिति को ठीक से न समझ पाये हों और ऐसी बात भी है कि अगर पंचवर्षीय योजना को चलाना है तो हम किस तरह से खर्च को घटायें और अपनी बचत बढ़ायें, इस बात के ऊपर कुछ अध्ययन की आवश्यकता है और वह अध्ययन हो नहीं सका होगा।

[**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** पीठासीन हुए]

मेरा कहना यह है कि बम्बई के प्रयोग ने बतलाया है कि शराबबन्दी का आन्दोलन बड़ा कामयाब हुआ है लेकिन मैं देखता हूं कि हमारे इस बजट में प्राहिब्शन को बढ़ाने के सम्बन्ध में और शराबबन्दी को यहां पर लागू करने के सम्बन्ध में कोई निश्चित कदम नहीं उठाया गया।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि ध्यान इस बात का रक्खा जाता है कि जहां विकास का काम हो चुका होता है वहीं पर और विकास कार्य किया जाता है। अब हमारे देश में करीब ७ लाख गांव हैं। ७ लाख गांवों से जो आमदनी आती है वह गांवों पर उस तरीके से वितरित नहीं होती जिस तरह से कि सम्पन्न इलाक़ों में होती है। इसलिये मैं तो कहूंगा कि यह सम्पन्नों का बजट है, हीनों का बजट नहीं है। यह शहरों का बजट है देहातों का बजट नहीं है। इसके लिये हमें यह दलील दी जाती है कि साहब शहरों की आमदनी गांवों की आमदनी से ज़्यादा होती है इसलिये गांव वालों को उस पर रश्क नहीं करना चाहिये। मैं कहता हूं कि दिल शरीर भर से भोजन पाता है लेकिन क्या आपने यह भी सोचा है कि अगर दिल तक पहुंचने वाली जो धमनियां हैं अगर उनमें रक्त नहीं जायगा तो क्या हाल होगा और उस हालत में शरीर कैसे टिक सकेगा। इसलिये यह बहुत जरूरी है कि धमनियों में रक्त का संचार हो। जो हम गांव वालों के खून से इतने सम्पन्न हुये हैं उनको यह नहीं भूल जाना चाहिये कि अगर उन गांव वालों के पास खून ही नहीं छोड़ा जायगा तो फिर वह कैसे सम्पन्न बन सकेंगे। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे देहातों की भारी

उपेक्षा की जा रही है और बड़े बड़े शहरी इलाक़ों की अपेक्षा जो देहातों के अर्धविकसित इलाक़े हैं या कम विकसित इलाक़े हैं वहां विकास की धारा कम है । हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में भी, मुझे यह कहने के लिये क्षमा किया जाये कि विकास और कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लाक्स भी उन इलाक़ों में चलाये जाते हैं जो कि पहले से विकसित हैं लेकिन उन पिछड़े और अविकसित इलाक़ों में जहां कि विकास कार्य की बहुत ज़रूरत है, उनकी ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया है जितना कि दिया जाना चाहिये था ।

अब मैं थोड़ा सिविल एक्सपेंडिचर के बारे में कहना चाहता हूं । अभी हमारे माननीय मित्र ने कहा कि तनख्वाहों में बड़ी डिस्पैरिटी है कोई तो मुश्किल से ४०, ५० रुपये मासिक तनख्वाह पाता है तो कोई ४००० रुपये मासिक पाता है । मैं तो कहूंगा कि सरकार की बीवी यह सिविल सर्विस है जिसकी कि लिपिस्टक और लम्बी हील की जूती में और जार्जेट की साड़ी में हम राष्ट्र का इतना अधिक धन खर्च कर डालते हैं और दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या हमारे वहां पर ऐसे लोगों की है जिनके कि बच्चों को भरपेट खाना मयस्सर नहीं होता और जो पैसे के अभाव में अपने बच्चों को दवादारू नहीं दे पाते और उनका इलाज नहीं करा पाते । आज हम देख रहे हैं कि हमारा सिविल एक्सपेंडिचर बढ़ता चला जा रहा है और वह बढ़कर इस बजट में २२२ करोड़ के करीब हो गया है । मैं समझता हूं कि आज सरकार के दफ्तरों और अन्य कार्यालयों में काफी तादाद में ऐसे लोग बैठ हुये हैं जोकि बेकार बैठे मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं । मैंने खुद अनुभव किया कि ऐसे-ऐसे स्टैनोग्राफर मौजूद हैं जिन्हें कि एक एक महीने तक कोई डिक्टेशन नहीं मिलता । मैं अपने वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि आखिर सरकार की नौकरियों में इस तरह के बेकार आदमी क्यों बैठे हुये हैं । दफ्तरों में आदमियों के पास काम नहीं है और उनकी जांच पड़ताल नहीं हो पाती है कि यह राष्ट्रीय धन का अपव्यय क्यों हो रहा है । मैं यह इसलिये नहीं कहता कि मुझे वित्त मंत्री से कोई विरोध है । वित्त मंत्री तो मेरे मित्र हैं और वे चाहते हैं कि सरकार में सुधार हो लेकिन उनके पास बातें पहुंच नहीं पाती हैं इस कारण यह कठिनाइयां हो रही हैं । मैं आशा करता हूं कि हमारे वित्त मंत्री महोदय इस लिपिस्टक वाली सिविल सर्विस की बीवी पर होने वाले भारी खर्चे में कमी करें ।

एक माननीय सदस्य : डाइवोर्स कर रहे हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : डिफेंस एस्टिमेट्स के सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि आज जब दो शक्तिशाली राष्ट्रों अमरीका और रूस द्वारा बड़े-बड़े आणविक अस्त्रों का निर्माण कार्य चल रहा है वहां हम अपन देश के डिफेंस बजट में कमी कर रहे हैं । मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं कि वह बढ़ते ही जाना चाहिये मगर साथ ही मैं यह ज़रूर कहूंगा कि हमें समय की आवश्यकताओं के अनुकूल इस सम्बन्ध में चलना चाहिये और अपने डिफेंस बजट को भी उसी तरीके से बढ़ाना चाहिये । हमें अपने देश को किसी पर हमला करने की नीयत से नहीं लेकिन अपनी आजादी की सुरक्षा की खातिर इतना बलशाली बनाना चाहिये जिससे कि हमारी सुरक्षा पर आंच न आ सके । हम किसी भी राष्ट्र पर हमला नहीं करना चाहते लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी रक्षा के लिये पूरी तैयारी करनी है । और इसलिये इसमें जो आपने २४ करोड़ की कमी की है वह समझ में नहीं आती ।

ठक्कर बापा ने कहा था कम्पलसरी एजुकेसन शुड हैव प्रीसीडेड ऐडल्ट फ्रेंचाइज़ यानी अनिवार्य शिक्षा वयस्क मताधिकार के पहले लागू हो जानी चाहिये थी लेकिन कांस्टीट्यूशन में इस बात का दावा किये जाने पर कि १४ वर्ष के अन्दर १९६० तक हम हर एक १४ वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दे देंगे, आज हमारी पंचवर्षीय योजना में या बजट में इस दिशा में कोई सफल प्रयत्न नहीं हो रहा है और जो हो रहा है वह ढीला है और हलका है । मैं चाहता हूं कि देश भर में आप अनिवार्य

[श्री क० ला० द्विवेदी]

शिक्षा चालू करें और अगर आपने इसको चालू नहीं किया तो आपका यह बालिग़ मताधिकार का ढांचा फ़ेल हो सकता है। आज की अवस्था में इस अधिकार से केवल शहर वालों को बड़े-बड़े पदों पर जाने का मौक़ा मिलता है और देहातों के नागरिकों और उनके बच्चों को आगे बढ़ने की इससे कोई सुविधा नहीं मिलती है और शिक्षा के अभाव के कारण वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए तमाम योजनाओं को रोक कर पढ़ाई की योजना को पहले आगे चलाना चाहिये और अगर यह नहीं किया जाता है तो हम गड़ बड़ में पड़ सकते हैं.....

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोज़ाबाद) : अगर गांव वालों के बच्चों को पढ़ायेंगे तो यह कहां जायेंगे ?

श्री म० ला० द्विवेदी : यह भी आयेंगे। यह तो हमारे नेता हैं और यह तो हमेशा रहेंगे।

अब जहां तक भूमि की सीलिंग फ़िक्स करने का सवाल है मुझे बड़ा हर्ष है कि नागपुर सेशन में ज़मीन के ऊपर सीलिंग फ़िक्स करने की जो बात कही गई है वह एक बड़ी अच्छी चीज़ है और उसका हम सब लोग मिल कर स्वागत करते हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है और वह यह कि एक ज़मीदार के दो लड़के थे। एक लड़के ने बाप के मरने के बाद अपनी ज़मींदारी बेच दी और दिल्ली में आकर दस मकान बना लिये। दूसरे लड़के ने अपनी ज़मींदारी क़ायम रक्खी। ज़मींदारी बिनाश के साथ-साथ उसकी ज़मींदारी चली गई केवल सीर के कुछ बीघे और एकड़ उसके पास बच रहे और अब सीलिंग होने से वह एकड़ भी उसके पास से चले जायेंगे तो वह तो बिल्कुल ग़रीब हो जायगा लेकिन उसके भाई जिस ने दिल्ली में १० मकान ख़रीद लिये वह तो दिन पर दिन मालदार होता जा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपको आज जो इस कदर डिस्पैरिटी और आर्थिक असमानता है कि एक आदमी के पास तो १०, १० और १५, १५ मिलें हैं और दूसरे के पास ज़िसके कि खाने के लिए छोटी सी भूमि है उसकी भूमि की आप सीलिंग मुक़र्रर करने जा रहे हैं। यह ठीक है कि सब को रोज़गार मिलना चाहिये और सब को भूमि मिलनी चाहिये लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात की ओर भी ख़याल करने की ज़रूरत है कि आज एक व्यक्ति के पास जो दस, दस मकान हैं तो उसके मकानों में भी कमी की जाय। इसी तरह जिस व्यक्ति के पास पचास मिलें हैं उसको सरकार मजदूरों में बांट दे या उनकी हिस्सेदारी मज़दूरों के पास आ जाय या कोई इस तरह का नेशनलाइज़ेशन किया जाय जिस से आमदनी का समुचित और बराबर बंटवारा हो सके और आज जो आर्थिक असमानता है वह दूर हो सके।

जहां तक कैप्टिल एक्सपेंडिचर का सवाल है उसको बराबरी से नहीं बांटा जाता। उद्योग और धंधे आप देखेंगे कि या तो कलकत्ते में, बम्बई में या कानपुर में अर्थात् बड़े-बड़े शहरों के पास वह उद्योग धंधे स्थापित किये जायेंगे। देहाती इलाक़ों में कोई उद्योग धंधा नहीं खोला जायगा। कहा यह जाता है कि वहां पर बिजली नहीं है। अब बिजली के लिए मैं आपको बतलाऊं कि मेरे बुंदेलखंड के छोटे से पिछड़े इलाके में माताटीले की विद्युत् योजना चलाई गई लेकिन अब माताटीला विद्युत योजना बंद कर दी गई और वह इस बिना पर बंद कर दी गई कि उसके लिए विदेशी विनिमय नहीं है।

मेरा कहना है कि बुंदेलखंड सब से पिछड़ा इलाक़ा है और वह चारों ओर नदियों से घिरा हुआ है और वहां पर उद्योग धंधे खोले जाने चाहियें और ज़ाहिर है कि उस के लिए बिजली चाहिये। अब बहुत बड़े बड़े डैम्स और प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नाना प्रकार के एक्सचेंज दुनिया से मिल रहे हैं केवल माताटीला के लिए विद्युत् एक्सचेंज नहीं मिल रहा है और वह भी रुपये के पेमेंट पर नहीं मिलता मैं कहता हूं कि वह केवल बहाना है और जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको और पीछे रखने का एक बहाना

है । मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर उनकी वर्तमान उपेक्षा की नीति जारी रहेगी तो देहाती भाई उन से नाराज़ हो जायेंगे और इसलिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सरकार पिछड़े हुए इलाक़ों को ऊपर उठाने के लिये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे।

मैं कहता हूं कि बजट में बुराई ही बुराई नहीं है। कुछ तारीफ़ की बातें भी हैं। उदाहरण के लिए हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इस वर्ष साधारण मनुष्य के ऊपर कोई नये टैक्स नहीं लगाये हैं, क्योंकि जितने पहले वित्त मंत्री हुए उन सब ने कौमेन मैन पर टैक्स लगाये। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इस वर्ष साधारण मनुष्य पर कोई नवीन टैक्स नहीं लगाया और नये टैक्स जो लगाये भी हैं वह साधारण व्यक्ति पर नहीं लगाये हैं। केवल खंडसारी शकर है, उस पर टैक्स लगाया गया है। इस पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये था क्योंकि उस का प्रभाव जनसाधारण पर पड़ता है। खंडसारी का उद्योग एक गृह उद्योग है। उस में एक लाख आदमियों को काम मिलता है। मैं कहूंगा कि अगर उस पर टैक्स लगाया गया तो वह लोग मिल वालों का मुकाबला नहीं कर सकते। जब वे मिल का मुकाबला नहीं कर पायेंगे तो वे बन्द हो जायेंगे। और एक लाख आदमी बेकार हो जायेंगे। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप गृह उद्योगों को बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी ओर यह काम करते हैं। मेरी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि अगर आप को खंडसारी शकर पर टैक्स लगाना है तो उसे इस प्रकार का कर दीजिये कि जिस से यह रोजगार बन्द न होने पाये और पनपता रहे।

मुझे इस बात की खुशी है कि नाना प्रकार के संकट देश में आये, खाद्य संकट भी देश में आया और इस से होना यह चाहिये था कि जो हमारी प्लैन है वह कुछ घट जाती, लेकिन हमारे वित्त मंत्री महोदय की यह योग्यता है कि उन्होंने केवल साधन ही उत्पन्न नहीं कर दिये बल्कि कुछ टैक्स लगाये बगैर ही एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी कमी नहीं आयेगी और उस का जो कोर है, ढांचा है उस की भी पूर्ति हो सकेगी।

मुझे एक चीज की शिकायत जरूर है । वह यह कि वित्त मंत्री महोदय ने कहा था कि हम सारा बजट इस साल हिन्दी में दे देंगे। पिछले मंत्री ने कहा था, और आप ने कुछ दिया भी है। लेकिन जहां हमको २१ वाल्यूम अंग्रेजी में मिले हैं वहां केवल २ हिन्दी में मिले हैं और हमें सब कुछ लाद कर अपने साथ ले जाना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि हम को फाइनेन्स बिल का कोई भी अनुवाद नहीं मिला।

श्री च० द० पांडे : स्पीचें हिन्दी में मिली हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : आप को क्या पता पांडे जी महाराज, इस सदन में कोई डेढ़ सौ आदमी ऐसे हैं जो अंग्रेजी नहीं समझते और आप उन को अंग्रेजी में समझाना चाहते हैं। पांडे जी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वह खड़े हो कर कह दें कि कितने लोग उसे पढ़ते हैं। आप तो उत्तर प्रदेश से आते हुए भी यहां पर अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं लेकिन आप का कर्तव्य यह है कि उन पिछड़े हुए भाइयों को जोकि अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते, समझाने की कोशिश करें। मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी अगले वर्ष इस असुविधा को दूर कर देंगे।

अब मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे दूसरे सूबों के कुछ लोग नाराज भी जरूर हो जायेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिये कुछ बात करने पर उन को बुरा मालूम पड़ता है। उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य यह है कि यहां पर उत्तर प्रदेश के ही प्राइम मिनिस्टर हैं, उत्तर प्रदेश के ही गृहमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के ही इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं। अगर कोई बात उत्तर प्रदेश के बारे में कही जाय तो वे मुंह नीचा कर लेते हैं। मेरे पास एक किताब रक्खी है। अगर आप उस को देखें तो आप को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम सब से कम है।

एक माननीय सदस्य : कम ही होती जा रही है।

श्री म० ला० द्विवेदी : जो सड़कों का निर्माण हुआ है, उस में उत्तर प्रदेश में सब से कम निर्माण हुआ है पंचवर्षीय योजना के अनुसार । सड़कों के अलावा भी आप देखें। बिजली भी भारत में सब से कम अगर कहीं बनी है तो वह उत्तर प्रदेश में बनी है। उद्योगों में भी अगर कहीं सब से कम उन्नति हुई है तो वह उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नोट में बताया है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार को सब से कम रकम किस मद में दी गई है। नतीजा यह हुआ है कि जो उत्तर प्रदेश सारे दूसरे प्रदेशों से किसी समय आगे था, वह आज सब से पिछड़ा हुआ है। चाहे आप सड़कों के निर्माण के संबंध में देख लीजिये, चाहे बिजली के सम्बन्ध में देख लीजिये, चाहे यातायात में देखिये, चाहे शिक्षा में देख लीजिये, चाहे आमदनी को देखिये, चाहे उद्योगों को देखिये। मैं यह नहीं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के साथ.....

†**श्री दासप्पा** : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना यहां करने से क्या लाभ है। इससे केन्द्र का क्या सम्बन्ध है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : वह केन्द्र की ही आलोचना कर रहे हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ नहीं दिया है।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य कुछ पुस्तिकाओं का उल्लेख कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की अवहेलना की गई है और इस प्रकार का उल्लेख यहां करना बिल्कुल ठीक है।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं कहता हूं कि सदस्य महोदय मेरी इस विनम्र प्रार्थना पर गौर करें। अगर हमारे माननीय मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश के हैं तो आप को उन को कम करने का अधिकार है। आप को यह अधिकार दिया गया है कि आप अपने लीडर को बनायें। आप ने लीडर को बनाया है और उसे अधिकार दिया है कि वह जिसे चाहे मिनिस्टर बनाये। मैं इस के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन इस के कारण किसी प्रदेश को नेग्लेक्ट किया जाय, यह उचित नहीं है। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के साथ कोई फेवरिटिज्म न किया जाय, उसे ज्यादा रुपया न दिया जाय, जितना रुपया दे कर उसका काम चले आसानी से, उस से भी कुछ कम दिया जाय, लेकिन इस के माने यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश को सब से पिछड़ा हुआ बनाया रक्खा जाय।

श्री मोरारजी देसाई : उसे ज्यादा मिला है और लोगों से।

श्री म० ला० द्विवेदी : मेरे पास फैक्ट्स एण्ड फिगर्स हैं जोकि साबित कर देंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सरकार से सब से कम मिला है। जब आप चैम्बर में होंगे तो मैं आप को बतलाऊंगा।

मैं सदन का समय अधिक नहीं लेना चाहता हूं, एक बार फिर मैं वित्त मंत्री महोदय को इस बात के लिये धन्यबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस साल के बजट में नई-नई खूबियां और अच्छी बातें रक्खी हैं तथा इस बजट को जनसाधारण पर बोझा नहीं बनाया है। लेकिन उन को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वे गांधीवादी हैं और गांधी जी चाहते थे कि यहां के हर एक आदमी की तन्ख्वाह कम से कम १०० रु० हो जाय और ज्यादा से ज्यादा ५०० रु० से आगे न जाये। यह ठीक है कि रुपये की कीमत बढ़ गई है। इसलिये ऐसा कर दें कि हर एक ५० रु० पाने वाले आदमी की

†मूल अंग्रेजी में

तन्ख्वाह १०० रु० से कम न हो या १५० रु० से कम न हो । इसी तरह से आप ५०० के बजाय उसकी दुगुनी या तिगुनी अर्थात् १००० या १५०० रु० कर सकते हैं।

एक बात और कह देना चाहता हूं । बजट में जो भी टैक्स पिछले पांच या सात सालों में लगाये गये, वे सब साधारण आदमियों पर लगाये गये थे । अब ढांचा इस तरह का बनना चाहिये कि साधारण आदमी पर अधिक बोझा न बढ़े। अगर उस के ऊपर बोझा बढ़ता है तो उस की आमदनी के जरिये भी बढ़ाये जायें, उद्योगों की सुविधायें भी बढ़ें, और हर एक क्षेत्र में काम चलाये जायें ताकि अधिक से अधिक लोग खुशी से धन पायें और टैक्स दे सकें।

इन शब्दों के साथ में एक बार फिर माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं और अपना आसन ग्रहण करता हूं ।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : सर्वप्रथम मैं माननीय वित्त मंत्री को इस बात के लिये धन्यबाद देता हूं कि उन्होंने प्राक्कलन समिति की आय-व्ययक सम्बन्धी सिफारिशों को अपने आय-व्ययक में स्थान दिया है । अब उन प्रतिक्रियाओं की जांच करनी है जो इस आय-व्ययक से विभिन्न वर्गों की हुई हैं । इस आय-व्ययक शेयर बाजार पर अच्छा प्रभाव पड़ा है । यह कहा जाता है कि इस ने कराधान की सामाजिक परम्परा को रोक दिया है । माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में प्रधान मंत्री के भाषण का उल्लेख करते हुए कहा है कि हम इस समय विकास के संकट में हैं जिसका अभिप्राय यह हुआ कि हमारे देश में संसाधनों का संकट है। इसलिये हमें योजना के इन संसाधनों का मुकाबला करना है ? क्या सरकार ने इनके लिये कोई उपाय ढूंढा है । इसका उल्लेख उन्होंने अपने आय-व्ययक में नहीं किया है ।

अब हमें अपने देश की प्रगति पर प्रकाश डालना है । अभी दो दिन पूर्व दिल्ली में उद्योगपतियों का एक सम्मेलन हुआ था उस में उन्होंने स्वीकार किया है कि द्वितीय योजना में उनके क्षेत्र का जो लक्ष्य था वह उन्होंने पूरा कर लिया है । रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री एच० वी० आर० आयंगर ने कहा है कि "गैर-सरकारी क्षेत्रों में जिस धन राशि का विनियोजन पूरी योजना की अवधि में होना था वह उन्होंने इस योजना की आधी-अवधि में ही पूरा कर दिया है ।" उन्होंने पिछले वर्षों में जो मुनाफ़ा कमाया है उससे पता चलता है कि वह काफ़ी था। इसकी दूसरी ओर हम देखते हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्रों ने पूरी योजना का विनियोजन पहले तीन वर्षों में ही पूरा कर दिया है जबकि सरकारी क्षेत्र कठिनाइयों में से गुजर रहा है । आज गैर-सरकारी क्षेत्र कहते हैं कि वे सरकारी क्षेत्रों की सहायता करेंगे इस के साथ सहयोग की नीति अपनायेंगे और राष्ट्रीय संसाधनों को सरकारी क्षेत्रों के लिये छोड़ेंगे। कैसी बिडम्बना है कि आज वे हमारी सहायता करना चाहते हैं । इस में भी उनका स्वार्थ है । क्योंकि वे "तृतीय योजना" के बारे में चिंतित हैं । उनका कहना है कि आप तृतीय योजना बनाइये और हम से भी परामर्श लीजिये । और हमारे प्रधान मंत्री इसके लिये तैयार हो गये हैं । ऐसी स्थिति में वित्त मंत्री से मैं यह पूछना चाहता हूं कि आन्तरिक संसाधनों के संकट को वह किस प्रकार दूर करेंगे । इस वर्ष के आय-व्ययक में २४५ करोड़ रुपये का घाटा है । इस वर्ष करों के आधार पर वह २३ करोड़ रुपया एकत्रित करना चाहते हैं । अब प्रश्न यह उठता है कि शेष २२२ करोड़ रुपये किस प्रकार एकत्रित होंगे । ऐसी स्थिति में योजना आयोग को निश्चित रूप से यह बताना चाहिये कि हमारी इस विकासोन्मुख अर्थ व्यवस्था पर इस प्रकार नियंत्रण किया जायेगा जिस से कि और मुद्रास्फीति नहीं होगी तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में इतनी घटा-बढ़ी नहीं होगी जितनी कि आज हो रही है। छोटी बचत भी नहीं हो पाती और हो तो भी कहां से ? लोगों के पास बचाने

---

†मूल अंग्रेजी में

के लिये पैसा ही नहीं है । हम दूसरे देशों से आर्थिक सहायता ले रहे हैं। यह सहायता और भी अधिक मात्रा में मिल सकती है बशर्तेकि इस राशि की अधिक मात्रा ग़ैर-सरकारी क्षेत्रों में व्यय की जाये । राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भाषण करते समय प्रधान मंत्री ने कहा था कि हम आर्थिक-व्यवस्था के क्षेत्र में किसी को भी एकाधिकार करने की छूट नहीं देंगे । किन्तु ऐसा नहीं हो रहा है । ग़ैर-सरकारी क्षेत्र काफ़ी लाभपूर्ण स्थिति में है जब कि सरकारी क्षेत्रों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। इस लिये आवश्यकता इस बात की है कि लोगों में इस बात का जागरण अथवा उन में चेतना भी भरी जाये कि यह योजना आप के लिये लाभदायक है और इससे आपका भविष्य सुधरेगा । तभी सफलता की आशा की जा सकती है । इसलिये आवश्यकता इस बात की है खाद्यान्नों के मूल्यों को कम किया जाये । खाद्य उत्पादन में सुधार किया जाये । श्री मसानी ने सरकारी खेती की आलोचना की है । नागपुर प्रस्ताव की आलोचना की है। किन्तु जब तक हम ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक खाद्य उत्पादन में उन्नति होने की आशा नहीं है। किन्तु फिर भी हमें काँग्रेस के इस प्रस्ताव का स्वागत करना चाहिये । हमें अपने यहां ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिये जबकि हम कह सकें कि हम विदेशों से एक औंस भी खाद्यान्न नहीं मंगायेंगे। और जब तक यह नहीं होगा तब तक आन्तरिक संसाधनों की स्थिति ठीक नहीं होगी।

राज्य द्वारा व्यापार करने के सम्बन्ध में, उद्योगपतियों ने, जो अभी देहली में एक सम्मेलन में मिले थे, इसकी उपयोगीता के बारे में संदेह प्रकट किया है। विश्व में अपने व्यापार को बनाने के लिये हम अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय उपभोक्ताओं पर कर लगा रहे हैं किन्तु व्यापार की स्थिति अच्छी बनाने के लिये कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। यदि हमें आन्तरिक संसाधनों के संकट से बचना है तो हमें विदेशी प्रथा और अन्तर्राष्ट्रीय घटा-बढ़ी छोड़नी होगी। हमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी सुरक्षा करनी है और इसे बढ़ाना है तथा उत्पादन बढ़ाना है, और व्यापार पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिये।

आन्तरिक अर्थ व्यवस्था को ठीक रखने के लिये हमें चाहिये कि सोने का क्रय-विक्रय स्वतंत्र रूप से न होकर बैंक द्वारा हो इस से संसाधन पर प्रभाव पड़ेगा ।

कराधान प्रस्ताव तथा अन्य बातों को देखने से प्रकट होता है कि स्थिति का सरलीकरण करने का प्रयत्न किया गया है। प्रत्यक्ष करों के उपबन्धों में सरलीकरण के लिये हमें पड़ौसी देश से सबक लेना चाहिये। १५ दिन के भीतर ही जितना छिपा हुआ धन था वह सब बाहर आ गया। मेरा विचार है कि कोई भी यह नहीं चाहेगा कि हमारे यहां गोलमाल हो। अतः हमें भी अपने यहां उसी पद्धति को अपना कर रुपया वसूल करना चाहिये । इस से संकट के टलने में आसानी होगी ।

हमारी इस योजना के भी तीन वर्ष पूरे हो गये हैं किन्तु हमारी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है । इस आय-व्ययक से भी यही प्रतीत होता है कि इस वर्ष भी कोई सुघड़ परिवर्तन की आशा नहीं है । और ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः किसी बड़े संकट का सामना भी करना पड़े।

असैनिक व्यय में वृद्धि हो रही है। किन्तु मैं इतना कहूंगा कि राज्यों के प्रशासन व्यय में कमी होनी चाहिये। एक माननीय सदस्य ने सरकारी कर्मचारियों के बारे में निन्दाजनक बात कही है। किन्तु इतना स्मरण रखना चाहिये कि सरकारी क्षेत्र तो इन कर्मचारियों पर ही निर्भर रहेंगे। ग़ैर-सरकारी क्षेत्रों से अधिक अनुभवी और अच्छे व्यक्ति मिलते हैं। इस लिये सरकारी कर्मचारियों के प्रति हमें दूसरे दृष्टिकोण से सोचना चाहिये क्योंकि वे न केवल अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं अपितु विकास कार्य भी कर रहे हैं ।

अंत में मैं कहूंगा कि वित्त मंत्री ने संकट को पहचाना है और उसको दूर करने के लिये प्रयत्न किया है। उन्होंने ग़ैर-सरकारी क्षेत्रों को यह आश्वासन दिया है कि वे अपने अन्दर से डर को निकालें। अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि वे ग़ैर-सरकारी क्षेत्रों के संसाधनों को ठीक करने के लिये भी कुछ करें। हमारे सामने राज्य सरकारों के आय-व्ययक भी हैं और किसी भी राज्य सरकार ने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए प्रयत्न नहीं किया है। योजना आयोग के अनुसार उन्हें दो वर्षों में अपने राजस्व बढ़ाने चाहिये थे किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया है।

अंत में मैं आशा करता हूं कि आगामी आय-व्ययक के समय वे इन बातों का ध्यान रखेंगे जिससे कि उन्हें सभी ओर से प्रशंसा मिल सके ।

†**श्री दामानी** (जालौर) : मेरे विचार से माननीय वित्त मंत्री ने देश के सभी वित्तीय संसाधनों को संचित करने का प्रयत्न किया है। आगामी वर्ष में प्रतिरक्षा व्यय में जो कमी उन्होंने की है उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। मैं सुझाव देता हूं कि आगामी वर्षों में भी यही नीति अपनाई जाये जिस से कि प्रतिरक्षा व्यय घटकर केवल २०० करोड़ रुपये रह जाये। सब से बड़ी सफलता इस वर्ष यह रही है कि विदेशी विनिमय की कठिनाई पर हमने काबू पा लिया है। वित्त मंत्रालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से इस स्थिति में काफी सहायता मिली है अधिक निर्यात करने से हमारी यह कठिनाई दूर हो गई है। और उस में काफी सुधार हुआ है। इस प्रकार हमारे देश की मुद्रा स्थिति का अवलोकन भली प्रकार हुआ है। सारे वर्ष में मुद्रा का अभाव नहीं रहा, इसी कारण सफलता मिली है। सरकार को ऋण भी खूब मिले। इस प्रकार सरकारी सोक्यूरिटी में धन लगाने के प्रति भी जनता में काफी मात्रा में विश्वास उत्पन्न हुआ है ।

औद्योगिक विकास का लक्ष्य भी बराबर बढ़ता रहा है। इस वर्ष कपड़ा उद्योग के उत्पादन में कमी होने के कारण इस वर्ष के आंकड़ों में कमी आ गई है । किन्तु सामान्यत: उद्योगों में विकास हुआ है । कुछ नये उद्योग भी बने हैं। आशा है कि अगले वर्ष तक हमारे इस्पात उद्योग पूरे हो जायेंगे। और उत्पादन में वृद्धि होगी और इस प्रकार हमारे लक्ष्यों की पूर्ति भी होगी। विदेशी विनिमय बचाने में भी हमें इस से बहुत सहायता मिलेगी।

छोटे-छोटे उद्योग धंधों में भी काफी विकास हुआ है और उन्होंने बेरोज़गारी दूर करने तथा लोगों की रुचि के अनुसार उनकी वांछित आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सहायता की है। औद्योगिक तथा उपभोक्ता सामान ने भी विदेशी विनिमय के बचाने में काफ़ी सहायता की है। और जो धन वस्तुओं के आयात करने में लगा करता था वह अब बच गया है।

सहकारी क्षेत्रों में कराधान के ढांचे में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है। इस संबंध में मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि रक्षित निधी में लाभांश देने की प्रथा को कुछ वर्ष तक वे और चलने दें। देश में कुछ उद्योगों का विकास कर के देश के विकास के लिये ग़ैर-सरकारी क्षेत्रों ने भी बहुत कार्य किया है। उन्होंने इस योजना के दौरान में नये उद्योग डालकर बेरोज़गारी को दूर करने और देश की सम्पति में वृद्धि करने का प्रयत्न किया है। इसलिये यह क्षेत्र भी देश की भलाई के लिये काफ़ी कार्य कर रहा है । ग़ैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र अलग-अलग नहीं हैं। दोनों की उन्नति से ही देश के उत्पादन और उसके विकास में सहायता मिलती है। इसलिये उनकी अलग-अलग आलोचना करना ठीक नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दामानी]

माननीय वित्त मंत्री ने अतिरिक्त लाभांश और समवायों की सम्पति पर से तो कर हटा दिया है। मेरा निवेदन है कि वह बोनस शेयर और उस पर लगने वाले कर के बारे में भी विचार करें। अब लाभांश कर समाप्त हो गया है अत: बोनस पर लगने वाले कर की दर भी घटा कर १२½ प्रतिशत कर देनी चाहिये। इसका परिणाम यह होगा कि सरकार को भी अधिक राजस्व मिलेगा और भागीदारों को अधिक रुपया लगाने की प्रेरणा। आशा है कि माननीय मंत्री जी इस सुझाव पर विचार करेंगे।

धार्मिक संस्थाओं के पास भी काफी धन होता है अत: उनके बारे में भी विचार किया जाना चाहिये। यह धन सामाजिक कल्याण के लिये व्यय किया जाता है अत: मेरा निवेदन है कि इनकी आय पर जो कर लिया गया है उसे वापिस कर दिया जाये। जिससे कि वे अच्छे कार्यों में इस धन को लगा सकें।

समवायों के विनियोजन पर दुहरा कर नहीं होना चाहिये। बल्कि उन्हें प्रेरणा देनी चाहिये जिस से कि लिमीटेड समवाय अधिक धन लगा सके। माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि वे कुछ समय तक तीसरी पाली अवक्षयण भत्ते को चालू रहने दें।

वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्य को और जीवन निर्वाह देशनांक को देखते हुए मेरा निवेदन है कि आय कर की सीमा ३,००० से बढ़ा कर ४,२०० कर देनी चाहिये। इससे बीच के लोगों को बहुत राहत मिलेगी। आशा है कि माननीय वित्त मंत्री इस सुझाव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

मध्यम वर्ग के लोगों को मकान बनाने के लिये जीवन बीमा निगम ने ऋण देने के लिये एक योजना बनाई है। चूंकि हमारे देश में सीमेंट और नये कारखानों में बन जाने से लोहे की कोई कमी नहीं है अत: हमें इस मद से राशि बढ़ा देनी चाहिये। इसलिये ऋण के रूप में अधिक राशि दी जानी चाहिये जिससे कि इस समस्या का समाधान हो सके। इस योजना को क्रियान्वित करने से कुछ लोगों को काम भी मिल जायेगा।

व्यय-कर की राशि बढ़ा कर ५००० कर देनी चाहिये। घाटे के आय-व्ययक के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि अब तक ११५० करोड़ रुपये का घाटा दिखाया जा चुका है जबकि योजना के अंत तक यह राशि १२०० करोड़ होनी चाहिये। इससे तो यह प्रतीत होता है कि घाटा इसी प्रकार बढ़ता रहा तो हम अपने लक्ष्य से आगे बढ़ जायेंगे। इससे चीज़ों का उत्पादन मूल्य बढ़ जायेगा। मूल्य बढ़ जाने से निर्यात के क्षेत्र में हम सफलतापूर्वक प्रतियोगिता नहीं कर सकेंगे। इस लिये इस पर भी विचार करना चाहिये।

रिजर्व बैंक के रिटर्न से प्रति सप्ताह पता चलता है कि हमारी मुद्रा का निर्यात हो रहा है। सोने का चोरी छिपे ले जाना ही इसका कारण प्रतीत होता है। इसलिये मुद्रा की इस स्थिति पर रोक लगानी चाहिये।

इसलिये अंत में मैं निवेदन करूंगा कि चीज़ों का अपव्यय न करके हमें अपनी कठिनाइयों का सामना करना चाहिये।

†**श्री हेडा** (निजामाबाद): मुझे श्री खाडिलकर के शब्दों पर आपत्ति है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के अन्दर मसानी जैसे कई व्यक्ति हैं। यह बात यदि कांग्रेस दल का कोई व्यक्ति

†मूल अंग्रेजी में

कहता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन विरोधी पक्ष के एक सदस्य को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। राजनैतिक दलों के सदस्यों को कुछ न कुछ शिष्टाचार का ध्यान अवश्य रखना चाहिये।

बजट के सम्बन्ध में कहा गया है कि इससे आम जनता को कोई छूट नहीं दी गई है। अपितु उसके ऊपर करों का दबाव और अधिक डाला गया है। जबकि पूंजिपतियों को कुछ छूट दी गई हैं। इस सम्बन्ध में कम्पनियों पर सम्पत्ति कर की छूट का जिक्र किया गया है। यह बात गलत है कि इससे व्यक्तिगत आय में कदापि वृद्धि नहीं हो सकती है। वस्तुतः हमारे देश की कर व्यवस्था ऐसी है कि यदि व्यक्ति अवैध तरीकों से कर अपवंचन इत्यादि न करे तो वह ५ या १० लाख रुपये से अधिक नहीं बचा सकता है। वस्तुतः व्यक्तिगत सम्पत्ति पर कर का भार काफी है और इसके फलस्वरूप व्यक्तिगत सम्पत्ति का अर्जन करना कठिन है। इस दृष्टि से हम समाजवादी समाज के सिद्धांत के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। कम्पनियों पर लगाये गये कर की प्रतिशत को ५१.५१ से घटा कर ४५% कर दिया है। तथापि इससे सरकार को मिलने वाले राजस्व में कमी नहीं हुई है। इसका परिणाम यह होगा कि देश के समवायों को इससे प्रोत्साहन प्राप्त होगा और यह उत्पादन बढ़ने में सहायक होगा।

अधिक दर वाले लाभांशों को कर से छूट देकर बोनस वाले लाभांशों पर कर जारी रखा गया है। इससे होने वाले लाभ का विश्लेषण करना कठिन है। तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि इससे कम्पनियों की आर्थिक दशा का सुधार होगा और उनकी ऋण लेने की क्षमता बढ़ेगी तथापि ऐसा करना वांछनीय नहीं था।

खांडसारी पर जो उत्पादन शुल्क लगाया गया है उसकी सबसे अधिक आलोचना हुई है। यह शुल्क केवल उन्हीं कारखानों में लगेगा जहां खांडसारी के उत्पादन में मशीनों का प्रयोग किया जाता है। ये कारखाने काफी लाभ कमा रहे हैं क्योंकि इनमें खांडसारी का उत्पादन, चीनी के उत्पादन से १६ रुपये सस्ता होता है। इन कारखानों में जो गन्ना पेरा जाता है उससे केवल ६० प्रतिशत ही खांडसारी निकलती है। इतना ही नहीं इनमें से कई कारखाने तो बहुत बड़े हैं जिनमें १ से २ लाख रुपये की पूंजी लगी हुई है। वे काफी लाभ कमा रहे हैं क्योंकि खांडसारी चीनी से १ या २ रुपये ही सस्ती होती है। अतः इन पर उत्पादन शुल्क लगाने से एक ओर तो गुड़ उद्योग को लाभ होगा दूसरी ओर चीनी उद्योग को भी इससे लाभ पहुंचेगा हां किसानों को हानि पहुंच सकती है क्योंकि ये लोग किसानों को कभी-कभी चीनी की मिलों से भी अधिक दाम देते हैं।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि देश में नयी लिमिटेड कम्पनियों की स्थापना संतोषजनक गति और संख्या में नहीं हो रही है। निसन्देह वर्तमान कारखानों का विस्तार संतोषजनक गति से हो रहा है। साथ ही यह प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है कि पूंजी लगाने वाले या वैज्ञानिक के स्थान पर कोई तीसरा व्यक्ति जो इन दोनों में सम्बन्ध स्थापित कर सकता है, तथा जो विदेशी मुद्रा की भी अस्थगित भुगतान में व्यवस्था कर सकता है कम्पनी खोलने के लिये आगे बढ़ता है। वस्तुतः ऐसे दुस्साहसी व्यक्तियों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये।

श्री राधे लाल व्यास (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट माननीय वित्त मंत्री महोदय ने पेश किया है उसके लिये मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं। यह हमारे योजना

[श्री राघे लाल व्यास]

काल का चतुर्थ वर्ष है और इस वर्ष दो महत्वपूर्ण घटनायें हुई हैं जोकि हम को अपने उद्देश्य की ओर ले जाती हैं। उनमें से एक तो शासन का यह निश्चय है कि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाये और दूसरी यह कि राज्य के द्वारा खाद्यान्न का व्यापार अपने हाथ में लिया जाय। अन्न की समस्या इस वर्ष बड़ी गम्भीर रही। हिन्दुस्तान के इतिहास में खाद्यान्न के भाव कभी इतने ऊंचे नहीं गये जितने कि इस साल थे और लोगों में बड़ी बेचैनी थी। इसका एक कारण तो यह था कि शासन की जो नीति थी खाद्य कन्ट्रोल की या जोन बनाने की, उससे कुछ गड़बड़ी हुई और राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाव काफी ऊंचे गये। पंजाब में भी गये। पिछली दफा काफी लम्बे अर्से से यह मांग की जाती रही थी कि इन जोंस में कुछ सुधार हो तथा एक राज्य से दूसरे राज्य को पहुंचने वाले खाद्यान्न के निर्यात पर रोक लगाई जाये। परन्तु वह नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि कीमतें बढ़ीं और जो तजवीज पहली की गई थी शासन को उस पर आना पड़ा। आपको पता है कि हमारे मध्य प्रदेश में या पड़ौसी राज्य राजस्थान में जो गेहूं ३५ रु० तक चढ़ गया था वह आज १० रु० आ गया है। पहले यह कदम उठा लिया गया होता तो शायद आज यह स्थिति न होती। लेकिन मैं शासन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि नई फसल आनी शुरू हो गई है बाजार में और अगर अभी से उसकी ठीक कीमत किसान से खरीदने के लिये न मुकर्रर की गई तो मुझे भय है कि किसानों को बड़ा नुक्सान होने वाला है। शासन को अपनी नीति यह अख्त्यार करनी चाहिये कि नई फसल बोने के वक्त कीमत मुकर्रर कर दी जाय, लेकिन अब तो नई फसल बाजार में आनी शुरू हो गई है। आज उज्जैन की मंडी में और इन्दौर की मंडी में नये गेहूं की गाड़ियां आती हैं और उसका भाव २० रु० तक आ गया है। मुझे भय है कि अगर शासन ने जल्दी कोई कीमत मुकर्रर न की और काफी व्यवस्था न की तो वही गेहूं १० और १२ रु० मन में बिक जायेगा और यह हमारे देश का दुर्भाग्य होगा कि किसानों को आश्वासन देते हुए भी कि कीमतें ज्यादा नहीं गिरने पायेंगी, हम उसके सम्बन्ध में उचित व्यवस्था न कर पायें।

दूसरी बात जो मैं खाद्यान्न के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि इस वक्त जो कीमतें हैं उनसे नीचे आनी चाहियें और जो व्यापारी किसानों से अनाज खरीदते हैं उन्हें अपने मुनाफे का कम से कम कुछ परसेंटेज उद्योग धंधों के लिये देना चाहिये। लेकिन इसकी कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। आज जब अनाज पैदा होता है तो व्यापारी उसको कम कीमत पर किसानों से खरीदते हैं और सस्ते भाव पर खरीदे हुए अनाज को महंगा बेच कर मुनाफाखोरी कर के अपना धन बढ़ाते हैं।

खाद्यान्न के बाद मकानों की समस्या है। लोगों को मकान चाहिये। शासन ने काफी कुछ किया है लेकिन वह काफी नहीं है। मैं देखता हूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मकानों की कमी है, बड़े-बड़े शहरों में मकानों की कमी है और किराया काफी लगता है। इसका कोई हल निकालना चाहिये। भारत की आबादी बढ़ती जा रही है और लोग काफी तकलीफ में हैं। अभी मैं ट्रेन में आ रहा था, मुझे एक मिलिटरी के आफिसर मिले। उन्होंने बताया कि इस वर्ष डिफेन्स फोर्सेज ने अम्बाला वगैरह में हजारों मकान खुद बनाये हैं और बड़े सस्ते बने हैं। हमारे देश में लाखों सरकारी कर्मचारी हैं, रेलवे का महकमा है उसके कर्मचारी कहते हैं कि अगर रेलवे डिपार्टमेंट हम को कुछ मैटीरियल दे दे, छोटे-छोटे कर्मचारी हैं, चपरासी हैं, वे कहते हैं कि अगर रेलवे हम को मैटीरियल दे दे तो हम अपने मकान खुद बना सकते हैं, अध्यापक कहते हैं कि हम बना सकते हैं। लेकिन आज केवल मैटीरियल दे कर, लोगों

के श्रम के आधार पर मकानों का निर्माण कर के मकानों की कमी दूर नहीं की जाती। मैं समझता हूं कि शासन इस पर विचार करे तो लोगों की यह असुविधा बहुत कम खर्च में दूर हो सकती है।

तीसरा सवाल स्वास्थ्य का है। काफी पैसा शासन का खर्च हो रहा है। बड़े-बड़े अस्पताल बनते जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही रोग भी बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को उन बड़े-बड़े अस्पतालों से जो राहत मिलनी चाहिये वह नहीं मिल रही है। हमारी पद्धति में कहीं दोष है, हमें लोगों को स्वस्थ रहने की आदत सिखानी होगी स्कूलों से ही, जिससे बीमारी न बढ़े।

प्राकृतिक चिकित्सा की ओर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इतना ध्यान आकर्षित किया था। आज शासन का ध्यान प्राकृतिक चिकित्सा की ओर बिलकुल नहीं है। आयुर्वेद जो एक सस्ती पद्धति है उसको बढ़ाने के लिए, उसका प्रचार अधिक हो, सुलभ हो, एक उपाय यह है जिससे कि जल्दी लोगों को थोड़े पैसे में दवाई मिल सकती है। उसमें तो बहुत कम खर्च होता है जबकि अलोपैथिक पर और दूसरी जो पद्धितयां हैं उन पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं तो इस पर भी विचार करने की जरूरत है कि जो सुलभ रास्ता है कम खर्चीला है सस्ता है उस पर अधिक पैसा खर्च करना चाहिये।

बड़े–बड़े शहरों में बीमारी का एक कारण तो यह होता है कि वाटरवर्क्स की व्यवस्था नहीं होती है, अंडरग्राउंड ड्रैनेज नहीं है, गन्दगी रहती है सलम्स् है, उनकी ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। गवर्नमेंट को कम से कम यह तो व्यवस्था कर ही देनी चाहिये कि जो एक लाख से ज्यादा आबादी के शहर हैं, उनमें वाटरवर्क्स लाजिमी तौर पर होना चाहिये और अंडरग्राउन्ड ड्रैनेज भी होना चाहिये जिससे कि सफाई हो सके और बीमारी की रोक–थाम हो सके।

उज्जैन शहर जिसकी कि आबादी कोई डेढ़ लाख की है और जहां पर काफी यात्री आते रहते हैं, वहां पर अंडरग्राउन्ड ड्रैनेज की व्यवस्था नहीं है। प्लानिंग कमिशन के सामने वर्षों से वह मामला पड़ा हुआ है। ड्रैनेज की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती और उसके लिए कोई पैसा नहीं मिल सकता है। मेरा निवेदन है कि शासन का ध्यान ऐसी चीजों की ओर भी जाना चाहिये।

दूसरी चीज पंचायत और कोआपरेटिव्स की है और यह ठीक है कि हमारे देश की तरक्की बगैर उसके नहीं होगी। काफी इस पर चर्चाएं हुईं और शासन ने अभी निर्णय भी किया है कि इनकी संख्या हमें बढ़ानी है और उनको आगे ले जाना है जिससे कि सही रूप में लोगों के हाथ में कुछ अधिकार प्राप्त हों और कुछ काम हों लेकिन जिस गति से कार्य चल रहा है वह संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। अभी जिस तरीके से कि बम्बई राज्य ने पंचायतों के लिए एक परसेंटेज मुकर्रर कर दी कि लैंड रेवेन्यु का अमुक अंश पंचायतों को मिलेगा। इस सम्बन्ध में मेहता कमेटी ने भी कुछ सुझाव दिये हैं लेकिन अभी कुछ दूसरे राज्यों में इसकी कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है। मैं समझता हूं कि केंद्रीय सरकार को फौरन जल्दी से जल्दी राज्य सरकारों को यह आदेश देना चाहिये कि वे पंचायतों को मजबूत बनायें और कोआपरेटिव सोसाइटीज का संगठन जल्दी से जल्दी अपने देश में करें।

कल जब मैं ट्रेन में आ रहा था तो मुझे गाड़ी में यहां के एक व्यापारी भाई मिले जो कि बरतनों और धातुओं का व्यापार करते हैं। मैंने उनसे वैसे ही पूछा कि आजकल स्टेनलैस

[श्री राजे लाल व्यास]

स्टील का क्या भाव है तो उन्होंने मुझे बतलाया कि आजकल उसका रेट नौ रुपये पौंड है। उन्होंने मुझे बतलाया कि यह बाहर से ३ रुपये पौंड के हिसाब से आता है लेकिन उपभोक्ता को यह जाकर महंगा पड़ता है।

करोड़ों रुपया बाहर से माल मंगाने के लिए फारेन एक्सचेंज हम देश का खर्च करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि वह जो स्टेनलैस स्टील की चादर ३ रुपये पौंड में आती है उस पर ड्यूटी लगती होगी तो उन्होंने कहा कि ड्यूटी देने के बाद वह ३ रुपये पौंड आकर यहां पड़ती है और वही स्टेनलैस स्टील जाकर उपभोक्ताओं को तीन गुनी और दुगनी कीमत पर मिले, तो यह कोई देश के लिए हितकर और सुखद बात नहीं कही जा सकती। क्या इसकी व्यवस्था नहीं होनी चाहिये कि जो विदेशों से हम चीज मंगायें उस पर एक मार्जिन आफ प्राफिट को अलग रख कर और वाजिब मुनाफा लेकर वह उपभोक्ताओं को मिले? शासन को इस ओर भी देखना चाहिये कि बाहर से कौन-कौन सी चीजें किस किस भाव पर आती हैं और उनके द्वारा बनाई गई वस्तुएं इस देश में उपभोक्ताओं को किस भाव से मिलती हैं। इसकी भी जांच पड़ताल करनी चाहिये। शासन को यह देखते रहना चाहिये कि जिस पर करोड़ों रुपया फारेन एक्सचेंज का शासन ने दिया है और जिसकी व्यवस्था की है उस पर मुनाफाखोरी अधिक न हो और जो अनुचित रूप से मुनाफाखोरी करें उनके लिए दंड की उचित व्यवस्था होनी चाहिये।

अब मैं इसके लिए एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि यह लोहे की चादरें जो कि मकानों पर चढ़ायी जाती हैं, उनके ठीक वितरण की व्यवस्था नहीं है और मैं देखता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में वही चादर जो कि कंट्रोल रेट से व्यापारियों के यहां बिकनी चाहिये, नहीं बिकती है। वह कानपुर वगैरह से काफी तादाद में सैकड़ों टन की तादाद में हमारे राज्य में मध्य प्रदेश में आकर उज्जैन, इंदौर वगैरह में बिकती है। कानपुर में उसकी इतनी खपत नहीं रहती। व्यापारियों ने मुझे खुद कहा कि वे बिल तो हमें कंट्रोल रेट का ही देते हैं लेकिन वास्तव में वे हमें कंट्रोल रेट पर देने को तैयार नहीं हैं और हमें उसको बहुत ऊंची कीमत देकर खरीदना पड़ता है और मनमाना मुनाफा लेकर बेचते हैं। मेरा कहना यह है कि हमारी वितरण व्यवस्था में जो दोष है उसको दूर करने की जरूरत है ताकि उपभोक्ताओं को चीजें वाजिब भाव पर मिलें और मुनाफाखोरी जल्द खत्म हो।

अल्प बचत योजनाएं देश में लागू हैं और काफी उनका प्रचार भी है फिर भी कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनको कि आगे बढ़ाया जा सकता है। भारत के स्वतंत्र होने के पहले कुछ देशी राज्यों ने एक परीक्षण किया था। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बीमा योजना बनाई थी और उसमें यह अनिवार्य रक्खा था कि हर सरकारी कर्मचारी को लाजिमी तौर पर अपने जीवन का बीमा कराना पड़ेगा। मैसूर ने सबसे पहले इस योजना को लागू किया, ट्रावनकोर ने भी लागू किया, बड़ौदा, इंदौर और ग्वालियर ने भी इसे लागू किया था। क्या मैं वित्त मंत्री महोदय को यह सुझाव दे सकता हूं कि हमारे देश में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, इस अल्प बचत योजना के रूप में सरकार उनके लिए बीमा योजना क्यों न कम्पलसरी और अनिवार्य कर दे। हां उनके लिए एक लाभ यह जरूर दिया जा सकता है कि उनके लिए प्रीमियम की दर सस्ती हो और जो एजेंट्स को कमिशन दिया जाता है उस हद तक उसके बीमे के प्रीमियम में कमी कर दी जाय और यह योजना हर एक के लिए अनिवार्य कर दी जाय तो करोड़ों रुपया उससे प्राप्त हो सकता है और जोकि देश के निर्माण कार्य में काम आ सकता है। और जब वे रिटायर हों या उनको कभी लोन की आवश्यकता हो तो वह पालिसी के ऊपर

रकम भी कर्ज ले सकते हैं और बुढ़ापे में आवश्यकता पड़ने पर उनको एक निश्चित रकम मिल सकती है और ईश्वर न करे अगर उस कर्मचारी की मृत्यु हो जाय तो उसके आश्रित परिवार वालों को उसका लाभ मिल सकता है। मुझे आशा है कि इस ओर भी ध्यान दिया जायेगा।

जहां तक शासन व्यवस्था का सम्बन्ध है, शासन ने उसके सुधारने में काफी प्रयत्न किया है लेकिन तो भी आज आप देहातों में और अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाइये तो आपको अभी भी भ्रष्टाचार, निपोटिज्म और करप्शन वगैरह की आम चर्चा और शिकायतें जनता से सुनने को मिलेंगी। शासन ने इस दिशा में काफी काम किये हैं। उसने विजिलेंस डिपार्टमेंट कायम किया, ऐंटी करप्शन डिपार्टमेंट कायम किया सब कुछ किया लेकिन मैं यह नम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं कि हमारे देश के आजाद होने के बाद और देशभक्त लोगों के हाथों में शासन व्यवस्था आने के बाद से क्या इन चीजों में कोई कमी नजर आती है? और क्या लोगों की शिकायत गलत है? तो मैं नम्रतापूर्वक कहुंगा कि इस ओर भी गम्भीरता-पूर्वक देखने की जरूरत है और हमारी दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में भी इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि शासन के कर्मचारियों की ईमानदारी, पवित्रता और निष्पक्षता के बगैर कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। लेकिन आज हम देखते हैं कि छोटे से गांव के एक पटवारी से लेकर बड़े-बड़े अफसरों तक में यह बुराइयां हैं और शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार है और वह अभी भी फैला हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं सबके सब भ्रष्ट हैं। कुछ सरकारी कर्मचारी बड़े योग्य और ईमानदार हैं और पब्लिक उनकी प्रशंसा भी करती है। अभी मुझ से लोग एक थानेदार के बारे में कह रहे थे कि वह कभी किसी के यहां जाकर एक कप चाय तक नहीं पीता है और वह कभी भी बस में बगैर टिकट सफर नहीं करेगा और जब वह अपनी साइकिल किसी स्टैंड पर रखेगा तो उसका किराया भी देगा। तो ऐसे लोग भी हमें शासन व्यवस्था में देखने को मिलते हैं जिनकी कि सब लोग तारीफ करते हैं। मैं उसका नाम नहीं बतलाना चाहता। लेकिन इसके साथ ही जनता में यह आम चर्चा और शिकायत का विषय है कि आज हमारे बड़े-बड़े कर्मचारियों में जो एक सेवा और कर्तव्य की भावना होनी चाहिये, वह आज देखने को नहीं मिलती है। मैं चाहता हूं कि हमारे वे ऊंचे ऊंचे अधिकारीगण जो कि ४०००, ५००० और ३००० रुपये तनख्वाह ले रहे हैं वे हमारे मंत्रियों को देखें जो कि २४ घंटे मेहनत करते हैं और जिनका कि कोई टाइम भी अपना नहीं है केवल ११ बजे से पांच बजे तक ही काम करते हों, ऐसा नहीं है और वे हमारे मंत्री लोग २००० रुपये से ज्यादा तनख्वाह नहीं लेते हैं और इतनी मेहनत करते हुए भी जिनकी कि कोई सिक्युरिटी नहीं होती है कि कब तक वे इस पद पर कायम रहेंगे और कभी भी वह उससे अलग हो सकते हैं और हटने के बाद कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं है। हमारे उच्च सरकारी कर्मचारियों को मंत्रियों के जीवन को देखना चाहिये। वे लोग सादगी से नहीं रह सकते हैं। आज देश के सुधार के काम में उनका सक्रिय सहयोग नहीं है। आज ग्राम उद्योग धंधों और खादी प्रचार की बात चलती है। मैं पूछना चाहता हूं कि खादी और ग्रामोद्योग पर जो करोड़ों रुपया खर्च होता है तो कितने सरकारी कर्मचारी खादी बुनते और पहिनते हैं। इसलिए हमें आज सरकारी कर्मचारियों की मनोवृत्ति को बदलने की आवश्यकता है और उनमें सेवा, सादगी और कर्त्तव्यपरायणता की भावना पैदा करनी है। मुझे आशा है कि इस दिशा में भी सुधार होगा। अन्त में मैं केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर देना चाहता हूं। मैं अपने राज्य मध्य प्रदेश के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। हमारा राज्य एक बहुत बड़ा राज्य बना और हमारे अर्थ मंत्री महोदय ने खास तौर से इसको बड़ा बनाने में दिलचस्पी ली है और जब कि हमारे दूसरे नेता यह सोचते थे कि यह बड़ा

[श्री राधे लाल व्यास]

प्रान्त ठीक नहीं बनेगा, उन्होंने दिलचस्पी ली थी और उनकी यह मान्यता थी कि यह राज्य बहुत अच्छी हद तक एक बड़ा राज्य बनना चाहिये। आज, उसकी राजधानी के बारे में मैं कहना चाहता हूं, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भोपाल हमारी राजधानी होगी और पंचवर्षीय योजना की राशि में से उस पर रुपया खर्च करना होगा। आज मध्य प्रदेश की पंचवर्षीय योजना के जो साधन हैं उनमें से इस कैपीटल योजना के लिए पैसा दिया जाता है। उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं की जाती है। हमारे राज्य ने उतने पैसे का प्रबन्ध योजना के लिए कर लिया है जितने का प्रबन्ध उसे करना चाहिए था। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस पिछड़े हुए राज्य को जो केन्द्र द्वारा पंचवर्षीय योजना के लिए सहायता देने का वायदा था वह सहायता नहीं दी जा रही है। जिस प्रदेश में अधिक से अधिक आदिवासी हों, जहां अधिक से अधिक हरिजन हों, जो अधिक से अधिक पिछड़ा हुआ हो, उसको तो विशेष रियायत दी जानी चाहिए थी। लेकिन अगर उसको आप विशेष रियायत न दें तो कम से कम कैपीटल प्रोजेक्ट के लिए तो अलग से व्यवस्था कर दें ताकि राज्य को दूसरी योजनाओं में कटौती न करनी पड़े।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट को देखने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जहां तक सुरक्षा का प्रबन्ध है उसकी उपेक्षा की गयी है। आप देखें कि हिन्दुस्तान की पूर्वी तथा पश्चिमी सीमाओं पर युद्ध के बादल उमड़ रहे हैं। जहां तक पूर्वी सीमा का सम्बन्ध है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर ७५० घंटे इंटरमिटेंट फायरिंग हुआ है और आठ बार सीज फायर (युद्ध विराम) हो चुका है। बार्डर रेड (सीमांत हमले) बढ़ते जा रहे हैं। नागा लोगों के पास माडर्न हथियार पहुंच रहे हैं, चाहे उनको पाकिस्तान सप्लाई करता हो या कोई दूसरा फारिन कंट्री सप्लाई कर रहा हो।

जहां तक पश्चिमी सीमा का सवाल है, आप देखें कि सन् १९५७ में काश्मीर में ३१ एक्सप्लोजन हुए, पर सन् १९५८ में ६० एक्सप्लोजन हुए। और इन एक्सप्लोजनेस में २५ आदमी मारे गये।

दूसरे आप सीमोल्लंघन को लें। हमारी पश्चिमी सीमा पर सन् १९५७ में १६ बार सीमा का उल्लंघन किया गया, लेकिन सन् १९५८ में यह १७१ बार हुआ। इन सब से क्या प्रकट होता है ?

अभी संडे टाइम्स ने छापा है कि पाकिस्तान में अमरीका के मिसाइल्स के बेसेज बन रहे हैं। अखबारों से मालूम होता है कि दो प्रकार के बेसेज बन रहे हैं। एक तो ऐसे हैं जिनका बेस लैंड पर है और दूसरे ऐसे जिनका सम्बन्ध एअर से है। मैं पहले आपको लैंड बेसेज की तरफ ले चलना चाहता हूं। यू० एस० ए० के जो लैंड बेस स्थापित हुए हैं वे मैडीटरेनियन में, नार्थ अफ्रीका में, वैस्ट एशिया में और पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहां ? कराची के पास। दूसरे नार्थ वैस्ट फ्रांटियर प्राविंस में और तीसरे हिन्दुस्तान की पंजाब की सीमा पर। नार्थ वैस्ट फ्रांटियर प्राविंस में बेस इसलिये बनाये गये हैं कि अगर काश्मीर पर हमला करने की आवश्यकता हो तो उस बेस से काश्मीर पर हमला किया जा सकता है। ईस्टर्न पंजाब के बार्डर पर बेस इसलिये बनाये गये हैं कि अगर हिन्दुस्तान पर हमला करना हुआ तो वह वहां से किया जा सकता है। वहां से बहुत जल्दी हिन्दुस्तान पर हमला किया जा सकता है। इससे जो खतरा पैदा हो रहा है उसकी विभीषिका आप पर प्रकट हो जायेगी।

एक बेस मिसाइल होते हैं आई० सी० बी० एम० अर्थात् इंटर कानटीनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इनका रेंज होता है ५००० मील। दूसरे प्रकार के मिसाइल होते हैं आई० आर० बी० एम० अर्थात्

इंटरमीजिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल । ये लैंड बेस्ड होते हैं । इनकी रेंज २००० मील होती है । इनके द्वारा आज लाहार से कलकत्ता बाम किया जा सकता है । आज कराची से इलाहाबाद को बाम किया जा सकता है । लेकिन आज हम अन्धकार में हैं । पाकिस्तान में जितने हवाई अड्डे हैं उनको यू० एस० ए० ने इक्विप किया है । कहने के लिये ये बेसेज पाकिस्तान के हाथ में हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि वे पाकिस्तान के हाथ में नहीं हैं बल्कि वहां पर यू० एस० ए० की फोज है ।

इसके अलावा मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संडे टाइम्स के अनुसार पाकिस्तान के एअर बेसेज का माडरनाइजेशन इस तरह किया जा रहा है कि उन पर लेटेस्ट किस्म के हवाई जहाज उतर सकते हैं । वहां पर उनकी रक्षा हो सकती है और वहां उनको फ्यूअल मिल सकता है ।

आज हमारे सामने चार प्रकार के थ्रेट्स हैं । मैं नहीं समझता कि उनसे हिन्दुस्तान ने अपने को कहां तक इक्विप किया है । लेकिन हम यह देखते हैं कि हमारा मिलिटरी बजट ऊपर जाने के बजाये कम होता जा रहा है । पाकिस्तान जितना ही अपने को आर्म करता जा रहा है उतना ही हिन्दुस्तान का सुरक्षा बजट कम होता जा रहा है । मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं । सन् १९५३–५४ में पूरे बजट का ४० परसेंट मिलिटरी पर खर्च किया गया, सन् १९५६–५७ में कुल बजट का ४३ परसेंट सुरक्षा पर खर्च किया गया, सन् १९५७–५८ में यह ४० परसेंट रह गया और सन् १९५९–६० के लिये वह कुल बजट का ३५ परसेंट होगा । फिर भी अपोजीशन के साहिबान कहते हैं कि डिफेंस पर हमारा बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है । आज आप देखें कि रेड बढ़ते जा रहे हैं, हिन्दुस्तान की दोनों सीमाओं पर बेसेज बनते जा रहे हैं, और हमारा डिफेंस बजट नीचे की तरफ चलता जा रहा है । अगर हिन्दुस्तान की सुरक्षा नहीं होगी तो भाखरा नंगल डैम, और दामोदर घाटी योजना, तथा अन्य बड़ी-बड़ी योजनाओं की रक्षा कौन करेगा । उनकी रक्षा के लिये यह आवश्यक है कि हमारा सुरक्षा बजट ज्यादा होना चाहिये, वह कुल बजट का कम से कम ५० प्रतिशत होना चाहिये ।

अब मैं आपका ध्यान नैवी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । सन् १९५७–५८ में नैवी के लिये १४ करोड़ रुपया दिया गया, सन् १९५८ में १६ करोड़ दिया गया और सन् १९५९–६० में १८ करोड़ दिया गया अर्थात् नैवी के लिये एक करोड़ ७४ लाख रुपया अधिक दिया गया है । आप जानते हैं कि आज के जमाने में नैवल वारफेअर चेंज हो गया है । लेकिन हिन्दुस्तान अभी ५० वर्ष पीछे है । जो सबसे बड़ा परिवर्तन नैवल वारफेअर में हुआ है वह यह है कि अब सबमैरिन्स का ज्यादा उपयोग होने लगा है । रूस के पास इस वक्त ४७५ सबमैरिन हैं । मैं अमरीका को छोड़े देता हूं । एक सबमैरिन के ऊपर करीब ३,७०,००० पाउण्ड खर्च होता है अर्थात् करीब ४० या ४५ लाख रुपया । हमारे देसाई सहाब ने जो रुपया नैवी को दिया है उससे तेल से चलने वाले सबमैरिन अगर हम बनावें तो तीन चार से ज्यादा सबमैरिन नहीं बना सकते । आज हिन्दुस्तान के पास एक भी सबमैरिन नहीं है जब कि रूस के पास ४७५ हैं जिनमें से कितने ही ऐटम से चलते हैं । करीब आधे ऐटम से चलने वाले हैं । अब मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि अमरीका में नैवी के वास्ते साढ़े दस करोड़ डालर रखे गये हैं केवल सबमैरिन के वास्ते, दूसरी चीजें आप छोड़िये । अमरीका के सुरक्षा बजट का ३० प्रतिशत केवल नैवी पर खर्च होता है । इसके मुकाबले में हिन्दुस्तान की अवस्था देखिये । हिन्दुस्तान में नैवी के ऊपर १९५३–५४ में ५ परसेंट १९५५–५६ में साढ़े पांच परसेंट, १९५७–५८ में ६ परसेंट और १९५८–५९ में साढ़े छः परसेंट खर्च किया गया और अब १९५९–६० में ७ परसेंट खर्च किया जायगा । इस से आप हमारी स्थिति समझ सकते हैं । दूसरी तरफ आप माडर्न वारफेयर (आधुनिक युद्ध प्रणाली) के सब से बड़े रेवोल्यूशन (क्रांति) को देखिये । वह यह है कि एक सबमैरिन ८०० घंटे तक जल में रह सकती है और १५०० मील का उस का रेंज है । अमरीका ने यह रिकार्ड स्थापित किया है । अगर मिसिल्ज गिराने के लिये सबमैरिन्स को यूज किया

[श्री रघुनाथ सिंह]

गया, तो फिर एयरक्राफ्ट कैरियर (विमान वाहक) की जरूरत नहीं है। सरकार की ओर से कहा गया है कि हम एक एयरक्राफ्ट-केरियर खरीदने वाले हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वह बिल्कुल बेकार है। आज हम को सबमैरिन्ज की जरूरत है, क्योंकि अमरीका ने वार के नये टैक्टिक्स निकाल कर साबित कर दिया है कि एयरक्राफ्ट-केरियर बिल्कुल यूजलैस (व्यर्थ) है।

अमरीका ने दो नये काम किये हैं, जिन का रूस ने भी अनुकरण किया है। एक तो उस ने पोलारिस सबमैरिन बनाई है, जो कि पानी के ऊपर भी चलती है और नीचे भी चलती है। इस के अलावा उस में सब से बड़ी तारीफ की बात यह है कि उस को २,००० मील तक आपरेट किया जा सकता है। उस ने दूसरी सबमैरिन नाटिलस बनाई है, जो कि एटामिक पावर से चलती है और बराबर पांच हजार मील तक चल सकती है। इन सब के मुकाबले में हमारे बजट में नैवी के लिये बड़ी मुश्किल से एक करोड़ रुपया रखा गया है। आज दुनिया के करीब ३५ मुल्कों में युनाइटिड स्टेट्स की दस लाख फोर्सिज हैं। यूनाइटिड स्टेट्स का डिफेन्स का बजट दो बिलियन (बीस अरब) डालर का है—और शायद इससे भी ज्यादा हो।

इस के बाद मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वैस्ट्रन कन्ट्रीज की एनसर्कलमेंट (घेरेबन्दी) की पालिसी बिलकुल पूरी हो चुकी है। यूनाइटिड स्टेट्स और यू० के० दोनों ने एनसर्कलमेंट किया है। इस वक्त अमरीका के बेसिज—एडमिटिड बेसिज—कोरिया, जापान, ताइवान, फिलिपाइन्ज, सियाम, ईस्ट पाकिस्तान, वैस्ट पाकिस्तान, इरान, एशिया माइनर और टर्की में हैं। आखिर ये बेस किस के खिलाफ हैं? जहां तक अंग्रेजों का ताल्लुक है, जब सिलोन में ट्रिन्कोमाली से अंग्रेजों का नैवल बेस हटा दिया गया, तो उन्होंने सोचा कि अगर हिन्दुस्तान हमारे खिलाफ हो जाये, तो उस को किस तरह पिन डाउन किया जाय और इस लिये उन्होंने इंडियन ओशन में आपरेट करने के लिये मलद्वीप में अपना बेस बनाने के लिये पिछले छः महीने से कोशिश की हुई है। वहां की जनता इस को रेसिस्ट कर रही है और उस का कहना है कि हम न तो हिन्दुस्तान के खिलाफ और न किसी और देश के खिलाफ अपने देश में बेस बनने देना चाहते हैं। इस के लिये हम उन को धन्यवाद देना चाहते हैं। अंग्रेजों ने हांगकांग, सिंगापुर, मलाया, ईस्ट अफ्रीका, अदन, माल्टा और जिबराल्टर में अपने बेस बना रखे हैं। जहां तक एशिया का सम्बन्ध है, उन की एनसर्कलमेंट की पालिसी करीब-करीब पूरी हो चुकी है, जिस का मतलब यह है कि अगर हिन्दुस्तान सीधे से वैस्ट्रन ब्लाक में न आये, तो टेढ़े से आयगा। कैसे? अगर आज दुनिया में युद्ध छिड़ गया, और हिन्दुस्तान किसी का साथ नहीं देता है, तो उस का ब्लाकेड आटोमैटिक है। मैं ने अभी बताया है कि युनाइटिड स्टेट्स और यू० के० ने हिन्दुस्तान के तीनों तरफ अपना जाल फैला दिया है, जिस का अर्थ यह है कि वार के समय में किसी भी दूसरे देश से हमारा सम्बन्ध न हो, क्योंकि हिन्दुस्तान का अगर किसी दूसरे देश से सम्बन्ध हो सकता है, तो केवल शिपिंग के जरिये से हो सकता है—नैवी के जरिये से हो सकता है। हमारे पास नैवी नहीं है, शिपिंग नहीं है। आज अगर पाकिस्तान हिन्दुस्तान पर आक्रमण कर दे, तो अगर रूस हमारी सहायता करना भी चाहे, तो वह कैसे कर सकता है? कोई भी मुल्क, जो वार के समय हमारी सहायता करना चाहेगा, कैसे कर सकेगा? उस वक्त हमारी हालत पोलैंड की तरह होगी। पोलैंड पर रूस ने और हिटलर ने भी हमला किया। लेकिन वह लैंड-लाक्ड कन्ट्री था। उस के पास नैवी नहीं थी। इस लिये वह कलप्स हो गया। यह ठीक है कि उस के पक्ष में वार डिक्लेयर कर दी गई और कहा गया कि हम पोलैंड की रक्षा करेंगे, लेकिन कोई भी उस की रक्षा नहीं कर सका। यह ठीक है कि हम न्यूटरल (तथस्ट) हैं, लेकिन न्यूटरल वह होता है, जो कि ताकतवर होता है, जिस के पैरों में और कमर में ताकत होती है। वही न्यूटरल रह सकता है और सिर ऊंचा कर के रह सकता है। जिस के परों में ताकत नहीं है, उस का सिर कैसे ऊंचा होगा?

उपाध्यक्ष महोदय : ताकत तो है ।

श्री घुरनाथ सिंह : लेकिन बजट में ताकत नहीं है । हमारा डिफेन्स का बजट सिर्फ ३५ परसेंट है ।

श्री मोरारजी देसाई : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सम्माननीय सभासद चाहते हैं कि हम डिफेंस पर २०० करोड़ रुपया और लगा दें ।

श्री रघुनाथ सिंह : निश्चय ही । आज हालत यह है कि बार्डर पर पाकिस्तान के लोगों द्वारा हमारे बच्चे मारे जाते हैं । हमारे बार्डर के गांवों को आग लगाई जाती है । आप बार्डर के अटैक्स को रोकने में असफल हो गये हैं । हमारी सीमा के उल्लंघन की १७१ घटनायें हुई हैं और आठ सीज फायर हुए हैं । काश्मीर में ९१ एक्सप्लोजन हुए हैं । इन घटनाओं में कितने ही आदमी मारे गये हैं ।

श्री मोरारजी देसाई : क्या माननीय सदस्य को मालूम नहीं है कि उन के कितने आदमी मरे हैं ?

श्री रघुनाथ सिंह : आप पाकिस्तान टाइम्ज पढ़िये । मैं ने आंकड़े देखे हैं । जितने हिन्दुस्तानी मरे हैं, उस के दस परसेंट भी पाकिस्तानी नहीं मरे हैं । आज हम देखते हैं कि नागाओं को बाहर से हथियार मिल रहे हैं, लेकिन आप के पास ताकत नहीं है कि आप रोक सकें । अगर आप आर्म्ड होते, तो पाकिस्तान की इतनी हिम्मत न होती ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मुझे मुखातिब करते रहें । उधर जोर न लगायें और फिनांस मिनिस्टर साहब की तरफ इतनी तवज्जह न दें ।

श्री रघुनाथ सिंह : इस लिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं . . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे यकीन है कि मेरी तरफ एड्रेस करेंगे, तो इतना जोर नहीं रहेगा ।

श्री रघुनाथ सिंह : . . . . . कि हमारा बजट, जहां तक सुरक्षा का सम्बन्ध है, बहुत नाकाफी है । इस लिये हम हिन्दुस्तान की सुरक्षा करने में असफल रहे हैं । हमारे देश की स्थिति को देखते हुए हमारा बजट ऊपर जाना चाहिये था, लेकिन हम देखते हैं कि उस की टेंडेंसी नीचे जाने की तरफ है । जो रुपया डिफेंस के लिये एलाट हुआ है, वह बहुत कम है और खासकर नैवी के लिये बहुत कम रुपया रखा गया है । उस के लिये कम से कम दस करोड़ रुपया इम्मीडियेटली (तत्काल) इस लिये लगाना चाहिये कि एक सबमैरिन पनडुब्बी की कीमत ४५ लाख रुपया होती है । आप के पास एक भी सबमैरिन नहीं है । कम से कम बीस सबमैरिन हिन्दुस्तान के पास होनी चाहियें ताकि अगर पाकिस्तान अचानक हमला करता है, तो हम हिन्दुस्तान की रक्षा कर सकें ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश): वर्तमान बजट के प्रस्तावों से यह ज्ञात होता है देश की आर्थिक आय में कमी हो रही है । सीमा शुल्क संघ उत्पादन शुल्क, तथा सम्पत्ति शुल्क इत्यादि से प्राप्त होने वाले शुल्क में कमी हो गई है । योजना में करोड़ों रुपये लगाने के पश्चात् इस प्रकार आय में कमी होना बड़े दुख की बात है ।

तथापि यदि हम बजट के आंकड़ों को ध्यान से देखें तो ज्ञात होगा कि राजस्व का अनुमान कम लगाया गया है । बजट में ८२ करोड़ रुपये घाटा होने का अनुमान है इसी की पूर्ति के लिये नये कर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरूचा]

लगाये गये हैं। लेकिन यदि ध्यान पूर्वक देखा जाये तो वास्तविक घाटा २७ करोड़ से अधिक नहीं है और उसकी पूर्ति के लिये नये कर लगाने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिये। उदाहरणार्थ योजना तथा औद्योगिक उपक्रमों के लिये कच्चे माल के आयात में रियायत करने के सम्बन्ध में घोषणा की जा चुकी है। इससे निःसन्देह २० करोड़ रुपये अधिक की आय होगी। औद्योगिक उत्पादन में यदि ५ प्रतिशत वृद्धि हुई तो भी इस मद की आय १५ करोड़ कम अनुमानित की गई है। इससे साथ-साथ जनता की आय में वृद्धि होने इत्यादि से तथा सम्पत्ति शुल्क, व्ययकर और दान कर इत्यादि वसूल करने की व्यवस्था सुचारू होने से भी इन करों से अधिक आय होगी इसी प्रकार नागरिक प्रशासन से होने वाली आय भी १० करोड़ रुपये कम दिखाई गई हैं।

दूसरी ओर खर्च को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया है। नागरिक प्रशासन का व्यय १९८ करोड़ से बढ़ाकर २२३ करोड़ रुपये, विविध व्यय ५८ करोड़ से बढ़ा कर ७१ करोड़ रुपये, दिखाया गया है। छोटे सिक्कों के परिचालन पर संचित लाभ की राशि ५० करोड़ रुपये है, जब कि इस मद में केवल १० करोड़ रुपये दिखाये गये हैं। प्रतिरक्षा के आधिक्य माल पर १५ करोड़ रुपयों के स्थान पर केवल ५ करोड़ रुपये दिखाये गये हैं। सरकार खाद्यान्नों का व्यापार स्वयं अपने हाथों में लेने वाली है लेकिन इस मद से होने वाली प्राप्ति को बजट में स्थान नहीं दिया गया है।

वस्तुतः प्रशासन में अभी मितव्ययिता करने की काफी गुंजायश है। प्रतिरक्षा व्यय में २४२ करोड़ रुपये की बचत दिखायी गयी है लेकिन यह बहुत कम है। हम प्रतिरक्षा व्यय में जितना व्यय करते हैं उस राशि का सही लाभ हमें प्राप्त नहीं होता है।

अब मैं नये करों को लेता हूं। डीजल तेल पर लगने वाले कर में १०० प्रतिशत वृद्धि की गई है। इसका मार्ग परिवहन पर ही बुरा प्रभाव नहीं होगा अपितु बिजली देने वाले कारखानों पर भी इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। फलस्वरूप उपभोक्ताओं को अधिक मंहगी बिजली मिलेगी।

लाभांश को समेकित करने की प्रथा से गड़बड़ी पैदा होगी। इससे विशेषतः सामान्य और मध्यम वर्ग के अंशधारियों पर प्रभाव पड़ेगा साथ ही इसका उद्योगों के सामान्य गठन पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा।

बजट में यह प्रस्ताव किया गया है कि २४५ करोड़ रुपये के घाटे की पूर्ति ट्रेजरी बिलों, राज हुंडियों में डाल दी जायेंगी। यह वस्तुतः एक प्रकार के घाटे की अर्थ व्यवस्था है। इस प्रकार हम पहिले ही २००० करोड़ रुपये की घाटे की अर्थव्यवस्था कर चुके हैं लेकिन इतने पर भी हम इसमें वृद्धि करते जा रहे हैं, जो नितांत अनुचित है। इसका परिणाम यह होगा कि तीसरी योजना के पूर्व ही हमें काफी दिक्कतें पैदा हो जायेंगी हमें बड़े ऋण चुकाने होंगे, आस्थगित भुगतान को चुकाना होगा, घाटे के अर्थव्यवस्था के लिये कोई गुंजायश नहीं रहेगी और मुद्रास्फीति हो जायेगी।

हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट कम्पनी को हम १२२ करोड़ रुपये का ऋण देने जा रहे हैं। पहिले ही इस कम्पनी के कार्य की प्राक्कलन समिति ने कटु आलोचना की है, लेकिन स्थिति में किसी प्रकार का सुधार होने के पूर्व हम उसे यह ऋण दे रहे हैं।

बजट का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ रही हैं। घाटे की अर्थ व्यवस्था का प्रभाव और मुद्रास्फीति दिखाई देने लगी है। विदेशी मुद्रा की स्थिति असंतोषजनक ही है। और बेकारी बढ़ रही है। इन सब बातों को देखते हुए यह कहना बहुत कठिन है कि हम तीसरी योजना के लिये आवश्यक व्यवस्था कर सकेंगे।

मेरे विचार से योजना आयोग इस सम्बन्ध में आशानुरूप कार्य नहीं कर सका है। अतः मेरा सुझाव है कि इस स्थिति पर निश्पक्षता से विचार करने के लिये देश के विचारकों की एक तालिका बनाई जाये। वे लोग राजनैतिक दृष्टिकोणों को पृथक रख कर इस स्थिति पर विचार करें।

श्री खादीवाला (इंदौर) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो वजट रक्खा है और उस में सूझ बूझ के साथ जो नये टैक्सेज़ लगाये हैं, मैं उनको उस के लिये धन्यवाद देता हूं। खास तौर से डीज़ल आयल और मोटर टायर्स पर जो उन्होंने टैक्स लगाया है वह उचित ही है क्योंकि हम देखते हैं कि बसों और ट्रकों की आमदरफ्त हमारे देश में दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और ट्रकों और बसों का धंधा हमारे देश में उत्तरोत्तर बढ़ता और तरक्की करता जा रहा है।

खंडसारी शुगर जिस पर कि उन्होंने टैक्स लगाया है वह भी उचित ही कहा जायेगा। हम देखते हैं कि गांवों के अधिकांश लोग जहां आज से १५, २० वर्ष पहले शक्कर का उपयोग बिल्कुल नहीं करते थे, उन में आज शक्कर का प्रयोग दिन प्रति दिन बढ़ता जाता है। गांव के लोग गुड़ बनाना कम करते चले जारहे हैं और इसलिये गांवों के हित के लिए शुगर को ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिले इस के लिये यह जो टैक्स लगाया है वह भी ठीक है।

आज हमारे देश के सामने जो सब से बड़ा सवाल है वह गल्ले का और फूड का है। मध्य प्रदेश जहां से कि मैं आता हूं वह ज्यादा से ज्यादा तादाद में अनाज पैदा करता है लेकिन पिछले वक्त हमने देखा कि जो प्रदेश इतना अधिक अनाज पैदा करता है वहां अनाज की उस साल इतनी कमी हुई कि ५, ५, सेर अनाज के लिये लोग रात के २, ३ बजे से दिन भर लम्बी क़तारें बांध अनाज के लिए खड़े रहते देखे गये। अनाज की कमी होने का खास कारण यह है कि मध्य प्रदेश को बम्बई से जोड़ दिया गया। बम्बई के लोगों की खरीदने की शक्ति इतनी ज्यादा है कि वह मध्य प्रदेश का अच्छे से अच्छा गेंहूं खरीद ले सकते हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के लोग गरीब हैं और वे महंगा अनाज नहीं खरीद सकते। सरकार ने केवल ७० दुकानें सस्ते अनाज की इन्दौर में खोली जिन में ३० मन अनाज प्रति दिन दिया जाता था साढ़े १४ रुपये के हिसाब से। लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं हुआ और अनाज के भाव दिन प्रति दिन बढ़ते चले गये। क्यों क्योंकि अनाज की कमी है। जिस तरह से पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती ज्यादा होने लगी है, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी मैं देखता हूं कि गन्ने की व तिलहन की खेती ज्यादा होने लगी है जिस के कारण अनाज का बोना कम हुआ है। अगर किसान को किसी फसल से ज्यादा रुपया मिलता है तो वह अनाज के बजाये उस फसल को बोने लगता है। तो अनाज के कम होने का एक कारण यह भी है। अनाज की कमी होने का एक कारण यह भी था कि पिछले दस पन्द्रह वर्षों में लोगों की क्रयशक्ति बढ़ी है और हर एक भर पेट खाना चाहता है। अनाज की कमी का एक कारण और भी है। वह यह कि हमारे देश में जो पहले उपवास की परम्परा थी वह अब कम होती चली जा रही है। जब अनाज की कमी होती थी तो महात्मा गांधी गाजर सब्जी आदि अधिक खाने का प्रयोग शुरू कर देते थे। और लोगों से भी वैसा करने को कहते थे तो लोग वैसा करते थे। आज इस तरह के भी कोई प्रचार नहीं हो रहा है, जिसके कारण भी अनाज की कमी है।

जो बजट हमारे सामने है उस में हम देखते हैं कि विदेशों से ज्यादा से ज्यादा रुपया भेज कर अनाज मंगाने की व्यवस्था है। हमें यह सोचना चाहिये कि हमारे देश में किस तरह से ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा हो। इस के लिए हमारा प्रयत्न होना चाहिये। सरकार ने अभी अनाज खरीदने की पालिसी अपनायी है। जिस में किसान भी जमा न रख सके और व्यापारी भी जमा न कर सके। हमारे यहां छत्तीसगढ़ में जहां चावल सस्ता हुआ है सरकार ने खरीद शुरू की है। साढ़े ६ रुपये मन

[श्री खाडीवाला]

धान का भाव बांधा और साढ़े १४ से १५ रुपये मन चावल का भाव बांधा । लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर जो सरकार के कार्यकर्ता और अधिकारी हैं उनको व्यापार का अनुभव नहीं है । वे अच्छे माल को बुरा और बुरे माल को अच्छा समझते हैं । इस से किसानों को बहुत तकलीफ होती है । इसके अलावा उनको समय पर रुपया नहीं मिलता । जो अनाज खरीदा जाता है उसके स्टाक करने के लिए जगह नहीं होती । बारदाना समय पर नहीं मिलता । इसलिए किसान को मजबूर हो कर व्यापारी के पास जाना पड़ता है, व्यापारी उस अनाज को खरीद कर फिर सरकार को दे देता है । यह अवस्था केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं है, और जगह भी है । अब मध्य प्रदेश में गेहूं की फसल अच्छी हुई है, लेकिन अभी तक वहां गेहूं की खरीदी सरकार द्वारा शुरू नहीं हुई है । अगर यही अवस्था रही तो जो दोष हमने छतीस गढ़ में चावल के मामले में देखे थे वे ही गेहूं के मामले में भी दिखायी देंगे ।

मैं मध्य प्रदेश से आता हूं । पहले कई स्टेटों को मिलाकर मध्य भारत बना फिर मध्य भारत, भोपाल, विन्ध्य प्रदेश और पुराने मध्य प्रदेश को मिलाकर अब नया मध्य प्रदेश बना है । यह नया मध्य प्रदेश बनने के बाद वहां कचहरियों का काम अंग्रेजी में होने लगा जो कि पहले हिन्दी में होता था । यहां पार्लियामेंट में भी हम देखते हैं कि बहुत सी कार्रवाई अंग्रेजी में होती है । इस कारण जो कि केवल हिन्दी जानने वाले हैं उनको वह कार्रवाई समझ में नहीं आती । सवालों के समय हम देखते हैं कि जो सवाल हिन्दी में आते हैं उनका तो तरजुमा अंग्रेजी में कर दिया जाता है लेकिन जो अंग्रेजी में सवाल आते हैं उनका तरजुमा हिन्दी में नहीं किया जाता । इसलिए हिन्दी वालों को पता नहीं चलता कि क्या सवाल है । मैं यह नहीं कहता कि अंग्रेजी में तरजुमा न हो । लेकिन जो सुविधा अंग्रेजी जानने वालों को दी जाती है वह हिन्दी जानने वालों को भी मिलनी चाहिए ।

पंचवर्षीय योजना के लिये केन्द्र द्वारा मध्य प्रदेश के लिए १४४ करोड़ रुपया बजट में रखा गया । और हर साल २८ करोड़ रुपया देने का नियम बनाया गया । मध्य प्रदेश को पांच वर्ष में अपने कोटे का ४७ करोड़ रुपया खर्च के लिए जुटाना है । वह अपने कोटे का दस करोड़ रुपया देता है लेकिन इस साल केन्द्र से मध्य प्रदेश को २२ करोड़ रुपया ही दिया गया है और जो भोपाल राजधानी है उसको भी उसी में जोड़ दिया गया है ।

जब मध्य प्रदेश बना था उस वक्त यह कहा गया था कि कि मध्य प्रदेश बहुत अच्छा बनेगा और मध्य प्रदेश के अन्दर सड़कें और रेलवे लाइन बनाकर उसको बहुत सुविधाजनक बनाया जायेगा लेकिन हम देखते हैं कि इस दिशा में जितना प्रयत्न होना चाहिए उतना नहीं होता है ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो पहले हवाई सरविस चलती थी उसको भी बन्द कर दिया गया क्यों कि उसमें घाटा होता था । लेकिन घाटा तो किस जगह नहीं होता है । मध्य प्रदेश में इन्दोर, ग्वालियर और जबल पुर बड़े बड़े व्यापारिक केन्द्र हैं, और यह इतना लम्बा चौड़ा प्रदेश है लेकिन वहां आमदरफ्त के साधन बहुत कम हैं । वहां जरूरत है कि यातायात की सुविधा बढ़ायी जाती । लेकिन हम देखते हैं कि पहले हवाई सरविस चलती थी उसको भी बंद कर दिया गया है । जब मध्य भारत था तो उस वक्त बम्बई से इन्दौर, इन्दौर से भोपाल और भोपाल से ग्वालियर को हवाई सरविस चलती थी । अब उसे बिल्कुल बन्द कर दिया गया है ।

इसके अलावा जो पहले स्टेटों में नौकर थे उनकी पेंशनों का सवाल आज बहुत समय से हल नहीं हो रहा है । अभी तक कई सालों से यह खोज हो रही है कि यह आदमी किस स्टेट में था,

कितने बरस से था आदि। कुछ लोग तो पेंशन मिलने से पहले मर जाते हैं और देरी होने के कारण पेंशन नहीं ले पाते। तो यह बहुत बड़ा सवाल हमारे यहां है। इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

लेंड सीलिंग और कोआपरेटिव की बात बहुत कही जा रही है। जहां तक लेंड सीलिंग का सम्बन्ध है लोगों ने जब से देखा कि राजाशाही गयी, जागीरदारी गयी, जमींदारी गयी, तब से जिनके पास अधिक जमीन है वे उसको अपने सम्बन्धियों के, अपने भाई बंधों को बांट रहे हैं और जो बेच सकते हैं वे बेच रहे हैं। इसलिए अपने आप लोगों के पास जमीन कम होती जा रही है। यही मकसद सरकार का सीलिंग लगाने से है। अगर इससे भी अच्छा उपाय कोई हो तो किया जाये, पर मेरे ख्याल से तो खुद कुदरती तौर से सीलिंग होती चली जा रही है। हम देखते हैं कि गांवों में काम करने के लिए जो ग्राम सेवक रखे जाते हैं, वे शहरों से आते हैं। शहरों के लोग गांवों की समस्याओं को नहीं जानते हैं। किसान की परेशानी, उस की तकलीफ कैसे दूर होगी, उस की खेती में कैसे वृद्धि होगी, इस का उन लोगों को बिल्कुल अनुभव नहीं होता है। जब गांव के लोग श्रम करते हैं, तो ये लोग पैंट के खीसे में हाथ डाल कर खड़े रहते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे लोगों को ग्राम सेवक रखा जाये, जो कि गांवों के हों। आज हम गांवों में देखते हैं कि हर एक नौजवान लड़का कहता है कि मैं ने मैट्रिक, एफ० ए० या बी० ए० पास कर लिया है, मुझे नौकरी दो। इस अवस्था में अनाज का, खेती में वृद्धि का सवाल कैसे हल होगा, जब कि हर एक किसान का नौजवान लड़का पढ़—लिख कर निकलता है और नौकरी ढूंढता है। एक मास्टर की जरूरत होती है और तीन, चार, पांच हजार तक अर्जियां आती हैं। अगर हम अपनी शिक्षा को उद्योग धंधों की तरफ़ नहीं ले जायेंगे, तो पढ़े—लिखे लोगों की बेकारी दिन प्रति दिन बढ़ती जायगी।

मुझे इन्दौर और मध्य प्रदेश का अनुभव है कि डेढ़ सौ एकड़ जमीन में रेशम की खेती होती है, लेकिन मैं देखता हूं कि किसानों को कोई कामयाबी नहीं मिली है। सब पैसा बेकार खर्च होता है। यह ठीक है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा गांवों में कुछ न कुछ काम हुआ है, काफ़ी जागृति हुई है। लोगों को शिकायत है कि मेरे यहां सड़क नहीं बनी है, कुंआ नहीं बना है, तालाब नहीं बना है। यह भी तथ्य यह है कि वे श्रम करते हैं और मीलों लम्बी सड़कें, कुंए और तालाब बनाते हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से उन को मदद देने में कुछ कमी होती है, जिस के कारण से श्रम करने के लिए वे किसान दूसरी मर्तबा आगे नहीं आते हैं।

लोग बेकारी की बात करते हैं। लेकिन काम बहुत हैं। हम इन्दौर में देखते हैं और अपने प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखते हैं कि जब मकान बनाने के लिए राज या पेंटर की जरूरत होती है, तो वे कहते हैं कि सात रुपए लेंगे। अगर उन से कहा जाता है कि छः रुपए ले लो, तो वे कहते हैं कि पढ़े लिखे बी० ए० को ले लो, हम नहीं आयेंगे। आम मजदूर को तीन चार रुपए और कारीगर को छः सात रुपए मजदूरी मिल जाती है। अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदला गया, तो पढ़े-लिखे बेकार नौजवानों की इतनी बड़ी फ़ौज हो जायेगी कि वह रोज़ इधर उधर ऊधम मचाया करेंगे। आजकल की शिक्षा का जो ढांचा है, उस में रटने पर बड़ा ज़ोर दिया जाता है। जो हिन्दी पढ़ता है, उस के साथ वह अंग्रेज़ी भी पढ़ता है और दूसरे कई विषय भी पढ़ता है। मैं अपने घर में लड़कियों को देखता हूं। परीक्षा से पहले महीनों तक रात दिन हर एक विषय को घोटा जाता है, लेकिन परीक्षा में क्या रिज़ल्ट निकलता है ? इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर बेकारी की तरफ़ ध्यान नहीं दिया गया और उद्योग धंधों के कालिज नहीं खोले गए, तो हमारी पंचवर्षीय योजना में आगे जा कर काफ़ी कठिनाईयां उपस्थित हो सकती हैं।

श्री नरदेव स्नातक (अलीगढ़–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने १९५९–६० का बजट प्रस्तुत कर दिया है। उस के प्रस्तुत करने पर देश में दो प्रकार की प्रतिक्रियायें हुई हैं—कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में बहुत से अर्थ शास्त्र के विशेषज्ञों और व्यापारी वर्ग ने वित्त मंत्री को बहुत धन्यवाद दिया है और यदि वास्तव में देखा जाये, तो मौजूदा बजट प्रशंसा के योग्य है भी। वित्त मंत्री महोदय ने, जो कि कांग्रेसी हैं और गांधीवादी विचारधारा के कांक्षी हैं, एक व्यावहारिक दृष्टकोण से यह बजट प्रस्तुत किया है। आप जानते हैं कि आय और व्यय को संतुलित करने के लिए, जिस से कि आय और व्यय में कोई बहुत अन्तर न पड़े और अपने देश का बजट संतुलित रहे, उन्होंने यह बजट बनाया है। बजट में ७५७.५१ करोड़ का राजस्व और ८३९.१८ करोड़ का व्यय रखा गया है, जिस का अर्थ यह है कि लगभग ८२ करोड़ का घाटा दिखाया गया है। नए कर–प्रस्तावों से २२, २३ करोड़ रुपए की आमदनी का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार से हमारे बजट में घाटा करीब ५८, ५९ करोड़ का है। वित्त मंत्री महोदय ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के द्वारा यह कोशिश की है–और साल भर कोशिश करेंगे कि आय और व्यय के बैलेंस को ठीक रखा जा सके। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार के कर लगते हैं। प्रत्यक्ष कर सम्पन्न और धनिक वर्ग पर आता है, जिस में आय कर, उत्तराधिकार कर, व्यय कर और इसी प्रकार के दूसरे कर हैं। यद्यपि धनिक वर्ग थोड़ी संख्या होती है, और उस से पैसा राशि में जरूर ज्यादा मिल जाता है, परन्तु नाकाफी होता है। हमारे देश में रहने वाले करोड़ों लोगों की जेब से रेल और बस के भाड़े, डाक तार की दरों आदि के रूप में जो एक एक नया पैसा निकलता है, उस से करोड़ों की तादाद में रुपए सरकार को मिल जाते हैं। इस तरह से वित्त मंत्री महोदय ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को लगा कर कोशिश की है कि बजट को संतुलित किया जाये। परन्तु मैं एक बात वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं और वह यह है कि उन्होंने बीड़ी,तम्बाकू, वनस्पति, डीजल आयल, नकली रेशम और खंडसारी पर कर लगाए हैं, उस की प्रतिक्रिया हमारे देश में बहुत हुई है — खासकर खंडसारी के विषय में। तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट और वनस्पति पर कर लगाना अनुचित नहीं है, यद्यपि ये निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों के साधन हैं और उन के ऊपर इस का असर होगा और वह जरूर इस से परेशान होंगे, परन्तु यदि इन नशीली चीजों पर कर लगाया जाये, तो आपत्ति की कोई बात नहीं है। परन्तु खंडसारी पर कर लगाने से हमारे देश के इस कुटीर उद्योग पर बड़ा आघात हुआ है। उत्तर प्रदेश में तीस लाख व्यक्ति इस रोजगार को कर रहे हैं। वित्त मंत्री महोदय ने जो ५.६० रुपए की बेसिक ड्यूटी और ७० नये पैसे की जो एडीशनल ड्यूटी उस पर लगाई है, वह वास्तव में अनुचित है। यह ग्रामोद्योग लाखों व्यक्तियों की जीविका का साधन है। यह प्रकट है कि खंडसारी पर कर लगाने से चीनी मिलों को प्रोत्साहन मिला है। इसी तरह पहले ९ कर्घाओं की पैदावार पर छूट दी गई थी, उस को घटा कर चार कर्घाओं की पैदावार पर छूट दी गई है। इस से मिलों के वस्त्रों को प्रोत्साहन मिलेगा। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कहा है—और यह ठीक भी है—कि जहां हम मिलों और कल-कारखानों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, वहां हम कुटीर उद्योगों और ग्रामोद्योगों और खादी उद्योग को भी प्रोत्साहन देना चाहते हैं। परन्तु वित्त मंत्री महोदय के सामने बड़ी दुविधा है। वह प्रयत्नशील हैं और मैं आशा करता हूं कि वह खंडसारी और कर्घा आदि उद्योग को कुछ राहत देंगे।

देखा जाये, तो डीजल आयल और मोटर टायरों पर जो टैक्स लगाया गया है, उस का सीधा असर सर्वसाधारण निम्नवर्ग की जनता, जो कि ग्रामों में रहती है, पर पड़ेगा। रेलवे मंत्री ने अपने भाषण में यह कहा कि सड़क परिवहन के कारण रेलों की आमदनी में काफ़ी कमी हो गई है। यदि डीजल आयल और मोटर टायरों पर टैक्स बढ़ा दिया जाये, तो रेलों के भाड़े में काफ़ी वृद्धि

होगी। इस का अर्थ यह है कि एक विभाग को खुश करने के लिए दूसरे विभाग पर बोझा डाला गया है और वह बोझा भी केवल बड़े लोगों पर ही नहीं, बल्कि निम्नवर्ग की जनता पर पड़ता है और वह बोझा भी कुछ ज्यादा ही है। फिर भी वित्त मंत्री महोदय ने यह कोशिश की है कि जो भी कर लगाये गये हैं वे ऐसे नहीं हों जो कि नाजायज हों। यद्यपि इन करों का जनता से सीधा सम्बन्ध तो नहीं है फिर भी किसी न किसी रूप में ये कर आम जनता पर पड़ते ही हैं। आज के इस संकट के समय में जब कि हम अपनी विकास योजनाओं को पूरा करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी योजनायें सफल हों और हमारा देश तरक्की करे, इस तरह के टैक्स लगाया जाना जरूरी दिखाई देते हैं। यद्यपि पिछले वित्त मंत्रियों ने अपने बजट भाषणों में यह भी कहा था, अर्थात् दो साल पहले हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने सुझाव रखा था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर जो भी खर्च कर रहे हैं तो उसे हम इसी वर्ष पूरा कर लें और उसी के अनुसार जो टैक्स लगाना चाहते हैं लगाकर अधिक से अधिक धन-प्राप्ति कर लें और उसमें वे सफल भी हुए थे। हालांकि बहुत गुंजाइश तो नहीं थी कि किसी प्रकार के नये कर और लगाये जायें। देश की प्रान्तीय सरकारों ने भी जो अपने बजट प्रस्तुत किये हैं उन में उन्होंने बहुत अधिक टैक्सेज नहीं लगाये हैं, परन्तु फिर भी जो टैक्स लगाये गये हैं वे कुछ ज्यादा जरूर हैं। मेरा अपने वित्त मंत्री से निवेदन यह है कि वे इस पर कुछ ध्यान दें।

कुछ लोगों ने कहा कि वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह पूंजीपतियों का बजट है क्योंकि इस में कम्पनियों के ऊपर जो उत्पादन कर या अतिरिक्त लाभांश कर लगता था उस में कुछ छूट दी है। मेरा उन लोगों से निवेदन है कि इस प्रकार से कम्पनियों पर जो उत्पादन कर या अतिरिक्त लाभांश कर में छूट दी गई है वह इसलिये है कि जो विदेशी लोग हैं जो कि व्यापार करना चाहते हैं या उद्योग धंधे करना चाहते हैं उन को भी कुछ सन्तोष हो, इस प्रकार से वे किसी तरह की आनाकानी नहीं करेंगे और अपना पैसा यहां लगायेंगे जिससे हमारे देश का कुछ न कुछ लाभ ही होगा। इसलिये वित्त मंत्री महोदय ने कम्पनियों के सम्बन्ध में जो छूट दी है वह उचित ही है।

एक बात के लिये हमारे वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं और वह है सैनिक व्यय पर कम खर्च करने के सम्बन्ध में। हमारे मंत्री जी और हमारी सरकार पंचशील को मानने वाली है, महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धान्त को मानते हुए लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहते हैं। यद्यपि हमारे कुछ माननीय सदस्यों का विचार है कि जो भी हमारा बजट बनता है उस का आधे से ज्यादा डिफेन्स पर खर्च किया जाना चाहिये, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने जो कुछ किया है वह उचित ही किया है और प्रतिरक्षा व्यय में करोड़ों रुपयों की बचत कर ली है। परन्तु इस के साथ ही एक बात मुझे यह कहनी है कि असैनिक व्यय के लिये जो रुपया रखा गया है वह कुछ ज्यादा है और एक तरह से अनुचित ही है। ऐसे समय में जब कि हमारे देश के अन्दर खाद्यान्न के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता नहीं है—राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि पिछले ११ महीनों में हम ने २७ लाख, ४० हजार टन अनाज बाहर से मंगवाया जिस पर हमें अरबों रुपये खर्च करने पड़े—मेरी राय है कि जो असैनिक व्यय का बोझ हमारी सरकार ने जनता पर डाला है, जिस से कि हमारा आगे का संतुलन नहीं बन रहा है, उस पर वित्त मंत्री जी ध्यान देंगे और असैनिक व्यय को कुछ कम करने का प्रयत्न करेंगे जिस से कि करोड़ों रुपयों की बचत हो सकेगी।

इस वक्त हमारे देश के अन्दर कोआपरेटिव फार्मिंग अर्थात् संयुक्त खेती के सम्बन्ध में बहुत जोर से तैयारी करने पर बल दिया जा रहा है। नागपुर सेशन में इस के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भी पास किया गया और हमारे देश की जितनी भी राज्य सरकारें हैं वे भी प्रयत्नशील हैं कि

[श्री नरदेव स्नातक]

संयुक्त खेती प्रणाली से अधिक से अधिक अन्न देश में उत्पन्न किया जाये जिस से कि हमारा देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो सके । प्राचीन समय में भी हमारे देश के अन्दर संयुक्त खेती की प्रणाली प्रचलित थी । गांव के अन्दर जहां बीसों, पच्चीसों व्यक्ति रहते थे, एक परिवार के समान खेती में जुट जाते थे, वे सब पहले एक खेत में मिलकर काम करते थे, जैसे जोताई, बोवाई, गोड़ाई, सिंचाई आदि करते थे । जहां उस का काम पूरा हो गया वे सब के सब दूसरे खेत में पहुंच जाते थे और इस तरह से सहयोग कर के खेती की उन्नति करते थे जिस से कि ज्यादा से ज्यादा अन्न उत्पन्न होता था । लेकिन मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में जो आज सरकार की योजना है वह इस की सफलता में कठिनाई हो जायेगी । वह यह है कि आज गांवों के अन्दर रहने वाले लोगों में एकता नहीं है, संगठन नहीं है, प्रेम नहीं है । जब उन में एकता, संगठन और प्रेम नहीं है तो आप जिस काम को मिल कर करना चाहेंगे उस में जरूर कठिनाई पैदा होगी । अगर सरकार इस के लिये कुछ करना चाहती है तो उन किसानों को जो अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहते हैं, सस्ता और अच्छा बीज दे, उन को सिंचाई के लिये समय पर पानी दे । साथ ही साथ खाद भी दे जो अच्छी हो और पर्याप्त मात्रा में हो । जानवरों का भी प्रबन्ध करे, जिस से अन्न का उत्पादन अधिक हो सके । आज जो अन्न उत्पादन करने का ढंग है, उस के साथ अनेकों कठिनाइयां पैदा होने लगी हैं । जैसे जंगली जानवर, बन्दर, नील गायें आदि हमारे अन्न को नष्ट कर देती हैं । सरकार का ध्यान इन जंगली जानवरों को नियंत्रण में करने और समाप्त करने की ओर भी जाना चाहिये जिस से कि हम अधिक से अधिक अन्न पैदा कर सकें और हम अपने देश को इस सम्बन्ध में आत्मनिर्भर बना सकें। साथ ही आज जो करोड़ों क्या अरबों रुपये विदेशों को जाते हैं उन से भी हम कुछ राहत पा सकें और जो हमारे घाटे के बजट चलते रहते हैं वह बैलेंस में आ जायें । इस तरह से यदि किया जायेगा तो मेरा अनुमान है कि वित्त मंत्री जी को कोई कठिनाई नहीं होगी और हमारा देश अन्न के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर बन जायेगा ।

एक और बात कह कर मैं अपने भाषण को समाप्त कर देना चाहता हूं, और वह यह कि वित्त मंत्री ने सिनेमा सम्बन्धी रा मैटीरियल (कच्चे माल) पर जो टैक्स लगाया है वह बहुत अच्छा कार्य किया है । वित्त मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आज सिनेमा के द्वारा हमारे बच्चों में और विद्यार्थियों में एक अनुशासनहीनता आती जा रही है जो कि सरकार के लिये और देश के लिये एक सिरदर्द बन गई है । उस सिरदर्द को भी दूर किया जा सकता है और वह इस तरह से कि आज जो सिनेमाओं के तीन और चार शो हुआ करते हैं उन को बन्द कर दिया जाये, कम से कम पढ़ाई के समय में यानी १० बजे से ले कर ४ बजे सायंकाल तक कोई शो न हो । चौबिस घंटों में केवल एक शो हुआ करे । इस तरह से मां बाप की गाढ़ी कमाई का पैसा भी बचेगा और बच्चों में जो अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है उस के ऊपर भी नियंत्रण होगा । उन पर अधिक से अधिक टैक्स लगाया जाय तो कोई हानि नहीं होगी ।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं क्योंकि वे एक गांधीवादी व्यक्ति हैं । उन्होंने इस बजट को बड़े व्यवहारिक रूप में रखा है जिस से देश के सभी वर्गों के लोग प्रसन्न हैं और यह आशा करते हैं कि भविष्य में भी हमारी सरकार इसी तरह के बजट प्रस्तुत करेगी जिससे सीधे आम जनता के ऊपर करों का बोझ न पड़े ।

श्री राम कृष्ण गुप्त (महेन्द्रगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे जनरल बजट पर बोलने का मौका दिया । मौजूदा साल का बजट घाटे का बजट है और उस के अन्दर तकरीबन ८१ करोड़, ६७ लाख रु० का घाटा दिखलाया गया है, जब कि सिर्फ रेवेन्यू एकाउन्ट (राजस्व लेखे) पर ही इस घाटे को टैक्सेज के जरिये कुछ कम करने की कोशिश की है ।

लेकिन इस के बावजूद भी ५८ करोड़, ३२ लाख रु० का घाटा रह जाता है । माननीय मंत्री जी ने अपनी स्पीच में उन कारणों का जिक्र किया है जिन से यह घाटा हुआ । मुख्य कारण यह है कि पिछले साल की आमदनी का जो अन्दाजा था वह उस अन्दाजे के मुताबिक नहीं हुई । वह आमदनी तकरीबन ३१ करोड़, ९३ लाख रु० कम हुई । उन्होंने यह भी बताया कि जो टैक्सेज लगाये गये थे, गिफ्ट टैक्स, एक्स्पेंडिचर टैक्स, एस्टेट ड्यूटी टैक्स या दूसरे टैक्स, उन से जो आमदनी होनी चाहिये थी वह नहीं हुई, इसलिये घाटा हुआ । इन बातों को तसलीम करते हुए भी मेरी अपनी यह राय है कि इस घाटे के और भी कई कारण हैं । मैं यह समझता हूं कि महकमों के अन्दर काफी से ज्यादा वेस्टेज हो रहा है । अगर उस को ही अच्छी तरह से रोक दिया जाता तो इतना नुक्सान न होता । इस के साथ ही जो ठेकेदारों से कंट्रैक्ट वगैरह होते हैं उन के अन्दर भी इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता है कि गवर्नमेंट को ज्यादा फायदा हो । बल्कि बहुत सी ऐसी मिसालें मिलेंगी जिन के अन्दर गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा नुक्सान हुआ । इसके लिये मैं दो, चार मिसालें भी हाउस के सामने पेश करना चाहता हूं । मेरा मक़सद इन बातों को हाउस के सामने रखने से यह है ताकि हमारा वेस्टेज न हो और आयन्दा हमारे जो ठेकेदारों के साथ ठेके हों उनमें इस बात का ख्याल रखे कि गवर्नमेंट का फ़ायदा हो ।

पिछले साल एक रिपोर्ट पेश की गई थी । उसके अन्दर बहुत सी बातों का जिक्र है । आनरेबुल मेम्बरान ने भी इस रिपोर्ट को ग़ौर से पढ़ा होगा । सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट एंड आडिट रिपोर्ट सन् १९५८ के अन्दर एक जगह इस बात का ज़िक्र किया गया है कि चार फ़र्मों को चीनी खरीदने का ठेका दिया गया । उनसे २ करोड़ की शुगर खरीदनी थी और यह तय हुआ था कि अगर वह टाइम के अन्दर शुगर सप्लाई नहीं करेंगे तो उनसे जितने रुपये की शुगर खरीदनी है, उसका ३ फ़ीसदी बतौर डैमेज के वसूल किया जायगा और उस डैमेज़ की तादाद तक़रीबन साढ़े १७ लाख के क़रीब होती थी । हालांकि उन फर्मों ने वक्त के अन्दर चीनी सप्लाई नहीं की लेकिन उनके खिलाफ़ कोई ऐक्शन नहीं लिया गया । बल्कि डैमेज जो उनसे वसूल किया जाना था उसकी तादाद १ लाख के क़रीब कर दी गई और उस १ लाख को भी पूरी तरह वसूल करने की कोई कोशिश नहीं की गई । यही नहीं इसके बाद जब दुबारा चीनी खरीदी गई तो उन ४ फ़र्मों में से दो फर्मों को चीनी का ठेका दे दिया गया और जब कि उनमें से एक फर्म का पेड अप कैपिटल केवल १० हज़ार रुपये था । अब आप ही बतलाइये कि एक ठेकेदार जिसका कि पेड अप कैपिटल १०,००० हो और उससे आप २ करोड़ रुपये की चीनी का फ़ैसला करते हैं तो आप इस बात से खुद अन्दाज़ लगा सकते हैं कि उससे गवर्नमेंट को कितना नुक़सान हुआ होगा । अगर इस तमाम रिपोर्ट को ग़ौर से पढ़ा जाय तो मेरी तरह आप भी इस नतीजे पर ज़रूर पहुंचगे कि मामूली से मामूली बात के अन्दर भी इस बात का बिलकुल भी ख्याल नहीं रखा गया कि गवर्नमेंट का फ़ायदा किस बात में है और मामूली सी अक़्ल का भी इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया गया ।

इस रिपोर्ट में एक जगह यह भी ज़िक्र है कि कोई एक इंस्पैक्टर था उसको रखा गया । वह तक़रीबन २२ महीने ४ रोज़ तक काम करता रहा और उस २२ महीने ४ रोज़ के अन्दर २० महीने लगातार छुट्टी ली लेकिन तनख्वाह उसने २२ महीने ४ रोज़ की वसूल की और यही नहीं कि वह २२ महीने ४ रोज़ के बाद रिटायर हो गया । इसलिये मैं ज़रूर अपील करूंगा कि हमें इन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिये जिससे कि हमारा कम से कम नुक़सान हो और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हमने ऐसा किया होता तो आज हमें यह डैफ़िसिट बजट पेश न करना पड़ता और आज हमें नये टैक्सेज़ न लगाने पड़ते ।

जहां तक नये टैक्सेज़ का सवाल है यह तो ठीक है कि देश में योजनाओं को पूरा करने के लिए टैक्स ज़रूर लगने चाहियें लेकिन टैक्स लगाने में हमारी पालिसी यह होनी चाहिये जिससे कि आमदनी

[श्री राम कृष्ण गुप्त]

और वेल्थ का जो डिफ्रेंस है वह कम हो और जो इनकम और वेल्थ के अन्दर डिस्पैरिटीज़ हैं उनको कम किया जाय । लेकिन एक दो टैक्स जो लगाये गये हैं वह इस उसूल के मुताबिक़ नहीं लगाये गये हैं। इसलिये मैं अपील करूंगा कि वह इस बात पर ज़रूर गौर करें और उनको कम करने की कोशिश करें ।

इसके अलावा मैं इस बात पर ज़ोर दूंगा कि बजाय इसके कि हम इस बात पर ज्यादा जोर दें कि नये टैक्सज लगायें, हमारी सबसे बड़ी कोशिश यह होनी चाहिये कि जो ऐरियर्स हैं उनको हम वसूल करें। आपको यह जान कर हैरानी होगी कि पिछले दस साल से ऐरियर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। यह जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें भी इस बात का ज़िक्र है । सन् १६४८-४६ में कुल ऐरियर्स ६ करोड़ ६४ लाख थे लेकिन आज उसकी तादाद २८७ करोड़ ३२ लाख है । मैंने इस सिलसिले में एक क्वैश्चन भी किया था और मैंने उसके ज़रिए यह मालूम करने की कोशिश की कि यह जो २८७ करोड़ के क़रीब ऐरियर है तो क्या यह इनकम टैक्स का रुपया छोटे छोटे ग़रीब लोगों की तरफ बक़ाया है या उन लोगों की तरफ़ बक़ाया है जो कि बड़े बड़े पूंजीपति हैं और जिनके कि बड़े बड़े कारखाने चलते हैं और जिनके कि बारे में हम यह भी नहीं मालूम कर सकते कि वे कौन हैं क्योंकि आजकल का क़ानून भी ऐसा है। सैक्शन ५४ के तहत इस क़िस्म की इनफ़ारमेशन भी हमें नहीं मिल सकती । मेरा क्वैश्चन यह था कि यह जो टैक्स हमें लेना है इसके अन्दर ऐसे आदमियों की तादाद कितनी है जिन्हें कि एक लाख से ज्यादा रुपया देना है और उस के साथ साथ उनकी तरफ़ कुल कितना रुपया है तो आपको यह जान कर हैरानी होगी कि जिन एसैसीज़ से यह ऐरियर्स वसूल करने हैं उनमें २७७६ ऐसे हैं जिनसे कि एक लाख से ज्यादा रुपया वसूल करना है और उस तमाम रुपये की तादाद १५४ करोड़ से भी ज्यादा है । इसलिए मैं इस बात पर खास तौर पर ज़ोर दूंगा कि हमें इस रुपये को वसूल करने की कोशिश करनी चाहिये और कानून में जो भी कमी हो उसको भी हमें दूर करना चाहिये ताकि यह रुपया आसानी से और जल्दी से वसूल हो सके ।

मैंने एक क्वैश्चन और भी किया था कि यह जो रुपया आप इंस्टालमेंट के ज़रिये लेते हैं तो आप इस पर सूद वग़ैरह वसूल करते हैं या नहीं तो जवाब मिला कि सूद का कोई तरीक़ा नहीं है । मुझे यह जानकर बड़ी हैरानी हुई । मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं । मान लीजिये कि एक एसैसी की तरफ़ १ लाख रुपया है । आप उससे २० साल के लिए इस्टालमेंट कर लेते हैं । ५००० रुपया वह आपको देगा । अगर वह १ लाख रुपया आप सूद पर दे दें तो २० साल के अन्दर आपको १ लाख २० हज़ार रुपया वसूल हो जाता और असली रक़म आपकी उसी तरीक़े से क़ायम रहती । इसलिए मेरी अपील है कि हमें इस क़ानून को इस ढंग पर तबदील करना चाहिये ताकि एरियर्स के साथ साथ हम सूद वग़ैरह भी वसूल कर सकें और उनसे सख्ती से जिस तरीक़े से भी हो उस रुपये को वसूल कर सकें । इसके लिए मैं दो साधन भी हाउस के सामने रखना चाहता हूं । सबसे पहिले तो हमें यह मालूम करना पड़ेगा कि इस तरीक़े से जो टैक्स चोरी किया जाता है और आमदनी सही नहीं बतलाई जाती वह आमदनी कहां रक्खी जाती है ? अब इस सम्बन्ध में मैंने इनकमटैक्स कमिशन की रिपोर्ट को भी ग़ौर से पढ़ा और उस कमिशन की भी यही राय है कि पूंजीपतियों के पास इसके लिए दो तरीक़े हैं । एक तो वह रुपया बड़े बड़े बैंकों में रखते हैं क्योंकि वही लोग जिनसे कि इनकमटैक्स का रुपया लेना होता है बदक़िस्मती हमारी यह है कि वही बैंकों के डाइरेक्टर्स वग़ैरह भी होते हैं । दूसरे वह यह करते हैं कि बड़े बड़े ट्रस्ट बना देते हैं । अभी ट्रस्ट्स का ज़िक्र इस हाउस में भी आया था । मेरा यह ख्याल है कि जितने बड़े बड़े सेठ और पूंजीपति लोग हैं सब एक एक बड़ा ट्रस्ट बनाये हुए हैं और मैं यह कहने के लिए

तैयार हूं कि इसकी जांच की जाय तो यह बात सही साबित होगी कि यह जो ट्रस्ट धर्म की आड़ लेकर बनाये जाते हैं उनके पीछे सबसे बड़ा मक़सद यह है कि आमदनी जो होती है उसको छिपा कर बचा लिया जाय बल्कि वह कारखाने को ट्रस्ट के सिपुर्द कर देते हैं और उससे होने वाली आमदनी को बचा कर इस तरीक़े से वे गोलमाल करते हैं। तो मैं अपील करूंगा कि हमें सबसे पहले इन दोनों चीज़ों पर कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिये।

बैंक्स के बारे में मेरी ही राय नहीं बल्कि जो आपने इनवैस्टिगेशन कमिशन मुक़र्रर किया था उसने जो एक रिपोर्ट पेश की थी उसकी भी यह राय है कि कुछ बैंक तो ऐसे लोगों के नियंत्रण मे हैं जिनके कार्यों पर सरकार संदिग्ध दृष्टि रखती है। अत: सरकार को बैंकों से इस प्रकार का सहयोग प्राप्त करने के लिये कुछ उपाय करने पड़ें।

मैं यह भी कहने के लिए तैयार हूं कि आपको यह कोआपरेशन मिल नहीं सकता जब तक कि आप बैंक्स को नेशनलाइज़ नहीं करेंगे। उससे आपको दो फ़ायदे होंगे। एक तो जो इनकम छिपी हुई है उस पर आपको पूरा अधिकार हो जायगा और उसके साथ ही साथ उस आमदनी को आप देश की तरक्क़ी के लिए इस्तेमाल भी कर सकेंगे। तीसरे यह बात इसलिए भी ज़रूरी है कि आज हमको अपनी सैकिंड फाइव इअर प्लान को कामयाब बनाना है, उसके बाद थर्ड फाइव इअर प्लान बनानी है। आज बार बार यह कहा जाता है कि लोगों को प्लान माइंडेड बनाना चाहिए। लोग प्लान माइंडेड नहीं बन सकते जब तक कि उनके दिलों में यह अहसास पैदा न हो जाये कि प्लान से जो भी फायदा होगा वह तमाम लोगों की भलाई के लिए होगा। आज आम आदमी यह महसूस करता है कि जो फायदा होता है, ख्वाह वह कारखाने में हो ख्वाह वह बड़ी कम्पनी में हो, वह बड़े बड़े बिजनैसमैन की जेबों में जाता है। इसलिए वह दिल से काम नहीं करना चाहता। लेकिन जब आप इन बड़े बड़े साधनों पर कंट्रोल करेंगे और जो लोग कर अपवंचन करते हैं उनको सजायें देंगे तो लोगों के अन्दर विश्वास पैदा होगा।

आज बहुत सी एन्क्वायरीज़ होती हैं। आपके सामने मूंदड़ा की मिसाल है। दो साल के करीब अरसा हो गया, पर हमारा कानून कुछ ऐसा कमजोर है कि जिन अफसरों ने उनके साथ मिलकर एल० आई० सी० के फंड को एंबेजिल करने की कोशिश की थी उनको आज तक सजा नहीं मिली। इस मामले में मैं सिर्फ इतनी ही अपील करूंगा कि हमें अपने कानून को बदलना चाहिए। मैं यह नहीं चाहता कि किसी बेगुनाह शख्स को सजा मिले लेकिन मैं यह ज़रूर चाहता हूं कि उसका फैसला दो तीन महीने के अन्दर होना चाहिए। पहले जस्टिस छागला ने एन्क्वायरी की, फिर बोस कमीशन बैठाया गया, अब वह मामला पब्लिक सर्विस कमीशन के पास गया है, फिर कैबिनेट के पास जायेगा, और इतने लम्बे अरसे के बाद एन्क्वायरी का जो मकसद था यह भी खत्म हो जायेगा। इसका क्या असर पड़ेगा? इससे बड़े बड़े लोगों के हौसले बढ़ेंगे। उनको आप काबू में नहीं कर सकेंगे। और इसलिए जो छोटे लोग हैं वह आपको पूरा सहयोग नहीं देंगे। छोटे लोग समझते हैं कि जो लोग गुनाह करते हैं उनको सजा नहीं मिलती और हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है।

इसके साथ साथ मैं यह भी अपील करूंगा कि हमें ट्रस्टों के रुपये पर भी काबू करना चाहिए। मेरा यह ख्याल है कि करीब ४०० करोड़ या इससे भी ज्यादा रुपया बड़े बड़े बिजनेसमैन ने ट्रस्ट क्रियेट करके रखा हुआ है। हम उस रुपये को नेशनल डेवेलपमेंट के लिए काम में ला सकते हैं। उसके लिए हमें अपने कानून को काफी बदलना होगा। इस किस्म का सवाल इस हाउस में भी उठा था उस वक्त भी जो माननीय विधि मंत्री जी थे उन्होंने कहा था कि हम इस किस्म का क़ानून बनाने वाले हैं। इस मामले में मैं यह अपील करूंगा कि आज इस किस्म के कानून की सबसे ज्यादा ज़रूरत है। अगर हम इस ४०० करोड़ या इससे ज्यादा रुपये पर काबू पा सकें तो उसको हम

[श्री राम कृष्ण गुप्त]

सैकिंड फाइव इअर प्लान को कामयाब बनाने में खर्च कर सकते हैं और थर्ड फाइव इअर प्लान को कामयाब बनाने के लिए भी इस्तैमाल कर सकते हैं।

मैं खासतौर पर ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि आज हम यह कोशिश नहीं करते कि हम अपने इंटरनल रिसोर्सेज को खास मज़बूत करें। आज देश के अन्दर जो हमारे इंटरनल रिसोर्सेज़ हैं उनके ऊपर बड़ा जबरदस्त क्राइसिस आया हुआ है। हम दूसरे मुल्कों से मदद लेने की भी कोशिश करते हैं। मैं दूसरे मुल्कों से मदद लेने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हमारी ज्यादा से ज्यादा कोशिश यह होनी चाहिए कि हम अपने इंटरनल रिसोर्सेज़ से काम निकाल सकें क्योंकि आप जानते हैं कि जो मुल्क मदद करता है उसका कोई न कोई सियासी मकसद भी ज़रूर होता है। इसके लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं। आप पाकिस्तान को ले लीजिये। मुझे यह पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान के अन्दर जो मौजूदा इनकलाब आया उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि वहां जो अमरीकी फोर्सेज थीं उन्होंने यह महसूस किया कि अगर वहां इलेक्शन हुआ तो वह ताकत पावर में आयेगी जो एंटी अमरीकन होगी, जो मज़दूरों और किसानों के हक में होगी। इसलिए वह चाहते थे कि अपनी ताकत की मदद से बड़े बड़े लोगों को उभार कर ऐसे हालात पैदा कर दिये जायें ताकि चुनाव वगैरह का मसला ही हमेशा के लिए खत्म हो जाये। उनको यह मौका क्यों मिला? इसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान अपनी तरक्की के लिए अमरीका पर बहुत ज्यादा दारोमदार रखता था। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमें आज सबसे ज्यादा अपने पांवों पर खड़ा होना चाहिए। हमें बैरूनी रिसोर्सेज़ पर ज्यादा दारोमदार नहीं रखना चाहिए। यह बात इसलिए भी जरूरी है कि आज हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां डिमाक्रेसी कायम है और हम तमाम दुनिया के अन्दर डिमाक्रेसी का झंडा बुलन्द किये हुए हैं। इसलिए भी ज़रूरी है कि हम अपने पांवों पर खड़े हों और अपने रिसोर्सेज़ को मजबूत करें ताकि हमें दूसरे मुल्कों से मदद कम लेनी पड़े। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हमने बैंक्स को नेशनलाइज किया और ट्रस्टों पर काबू किया तो हमारे रिसोर्सेज काफी हो जायेंगे और हमारी सैकिंड फाइव इअर प्लान ही नहीं बल्कि थर्ड फाइव इअर प्लान भी कामयाब हो जायेगी।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : यह बजट इस प्रकार का है कि उस पर विभिन्न प्रकार की आलोचनायें संभव हैं। परन्तु मैं इसे अपने निर्वाचन क्षेत्र की दृष्टि से देखूंगा। मेरा क्षेत्र सीमान्त का इलाका है जो खाद्यान्न की दृष्टि से आधिक्य क्षेत्र है। अत: यदि उस क्षेत्र को और अधिक सहायता दी जायेगी तो वे और अधिक अन्न का उत्पादन करने में समर्थ होंगे। मेरे विचार से हमें बजट को केवल बारह महीनों के आय व्यय का ब्योरा न मान कर इस पर व्यापक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये। वस्तुत: बजट हमारी योजनाओं में एक कड़ी के सदृश्य है अत: हमें इसे अपने देश की योजनाओं के दृष्टिकोण से देखना चाहिये। ये योजनायें एक प्रकार का समझौता हैं जो जनता का जीवन स्तर उठाने की दृष्टि से किया जाता है। हमें देखना चाहिये कि हम इस उद्देश्य में सफल हुए हैं या नहीं और वर्तमान बजट उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कहां तक योगदान देता है। इस दृष्टि से देखने पर यह ज्ञात होगा कि १९५८ का वर्ष संकट का वर्ष रहा है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें। सभा अब कल साढ़े ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा, मंगलवार १० मार्च, १९५९/१९ फाल्गुन, १८८० (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

[दैनिक संक्षेपिका]

सोमवार, ९ मार्च, १९५९

---

१८ फाल्गुण, १८८० (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२५४७–७१
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०१३	लाख का उत्पादन	२५४७–४९
१०१४	अनाजों के भाव	२५५०–५३
१०१५	रेलवे स्लीपर	२५५३–५४
१०१६	हुबली—कारवाड़ रेलवे लाइन	२५५५
१०१८	रेलवे दुर्घटनाओं के लिये मुआवजा	२५५५–५७
१०२०	केन्द्रीय नक्षत्र वेधशाला	२५५७–५८
१०२२	अनाजों का लाया—ले जाया जाना	२५५८–६२
१०२३	डाक तथा तार वर्दी समिति	२५६२–६३
१०२४	गन्ना उत्पादक संघ	२५६३–६६
१०२५	नई दिल्ली की सड़कों का पुनः नामकरण	२५६६–६७
१०२६	हिमाचल प्रदेश में न्याय पंचायतें	२५६७–६९
१०२८	रेलगाड़ियों में रेडियो कार्यक्रमों का प्रसारण	२५६९–७०
१०२९	चीनी	२५७०–७१
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२५७१–२६१९
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०१९	विमान यातायात परिषद्	२५७१
१०२१	नजफगढ़, दिल्ली, में नालियों की व्यवस्था	२५७१–७२
१०२७	केन्द्रीय कुष्ठ संस्था, चिंगलपुट	२५७२
१०३०	परिवार नियोजन	२५७२–७३
१०३२	दक्षिण दिल्ली में त्रिलोकी कोलोनी	२५७३
१०३३	अरहर तथा अरहर की दाल	२५७३–७४
१०३४	दालों के मूल्य	२५७४
१०३५	गुड़ के वहन के लिये वैगनों का संभरण	२५७४–७५
१०३६	जबलपुर ढलाई कारखाना परियोजना	२५७५

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१०३७	पश्चिमी जर्मनी का कृषि प्रतिनिधि मंडल	२५७५–७६
१०३८	हिमाचल प्रदेश में लकड़ी के बारे में सर्वेक्षण	२५७६
१०३९	अमरीकी 'लिबर्टी' पोत	२५७६
१०४०	दिल्ली में मिलावटी आटे तथा गेहूं की बिक्री	२५७६–७७
१०४१	सामुदायिक विकास आन्दोलनों का पुनर्नवीकरण	२५७७–७८
१०४२	रूरकेला-बरसुआ रेलवे लाइन	२५७८
१०४३	कलकत्ता टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित बनाने की परियोजना	२५७८–७९
१०४४	दिल्ली में तपेदिक	२५७९
१०४५	'डकोटा'	२५७९
१०४६	रेल की पटरी पर खाली गोला	२५७९

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१५४६	इंजन	२५८०
१५४७	जयपुर स्टेशन का नये नमूने का बनाया जाना	२५८०
१५४८	पंजाब में डाक तथा तार घर	२५८१
१५४९	गेहूं का उत्पादन	२५८१
१५५०	पटसन का उत्पादन	२५८१
१५५१	मराठवाड़ा के डाक घरों में चैक पद्धति	२५८१
१५५२	बम्बई राज्य में पुलों का निर्माण	२५८२
१५५३	हजारी बाग में रेलवे साईडिंग	२५८२
१५५४	नंगल बांध स्टेशन पर यात्रियों का आवागमन	२५८२–८३
१५५५	केसिंगा स्टेशन पर ऊपरी पुल	२५८३
१५५६	अकबरपुर-टांडा लाइन	२५८३
१५५७	रेलवे पदाधिकारी	२५८३
१५५८	फीरोज़पुर डिवीज़न में टेलीफोन सम्बन्धी सुविधायें	२५८४–८५
१५५९	पंजाब में टेलीफोन के कनैक्शन	२५८५
१५६०	पंजाब में राष्ट्रीय राज पथों का निर्माण	२५८५–८६
१५६१	हिमाचल प्रदेश में छोटी सिंचाई योजनायें	२५८६
१५६२	खाद्यान्नों के अधिकतम मूल्य	२५८६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतरांकित
प्रश्न संख्या

१५६३ खाद्यान्नों के एक समान मूल्य २५८६
१५६४ दक्षिण रेलवे पर पोडानूर में वर्कशाप . २५८७
१५६५ कृषि योग्य खाली भूमि का उपयोग २५८७
१५६६ तपेदिक के रोगी . . . २५८७–८८
१५६७ हैजा और प्लेग सम्बन्धी गवेषणा कार्य २५८८–८९
१५६८ रेलवे की भूमि . . २५९०
१५६९ देहरादून में उचित मूल्य वाली दूकानें २५९०
१५७० केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन कर्मचारी . २५९०–९१
१५७१ डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये कल्याण बोर्ड २५९१
१५७२ नागार्जुनसागर परियोजना . २५९१
१५७३ गाड़ियों का लेट चलना . २५९१–९२
१५७४ दिल्ली में मुर्गी पालन फार्म २५९२
१५७५ दिल्ली में बीज के फार्म . . . २५९२–९३
१५७६ भटनी जंक्शन स्टेशन पर विक्रेताओं को लाइसेन्स २५९३
१५७७ गाड़ियों के पायदानों पर सफर करना २५९३
१५७८ केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना २५९३–९४
१५७९ उड़ीसा में फल परिरक्षण एकक २५९४
१५८० दिल्ली में महामारी के रोग २५९४–९५
१५८१ बोलपुर रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण . २५९५
१५८२ चीनी कारखानों को लाइसेंस दिया जाना २५९५–९६
१५८३ चितरंजन का रेलवे इंजन कारखाना . . २५९६
१५८४ स्थानशुल्क और विलम्ब शुल्क २५९६
१५८५ दिल्ली में फेरी वाले . . . २५९६–९७
१५८६ डाक तथा तार विभाग की फाइलों का खोया जाना २५९७
१५८७ त्रिपुरा नगरपालिका अधिनियम . . २५९७
१५८८ हिमाचल प्रदेश में सहकारी ऋण समितियां २५९७–९८
१५८९ सिंचाई परियोजनाएं . . २५९८
१५९० बोलपुर स्टेशन पर रेलवे सैलून २५८८
१५९१ गोबर २५९८–९९
१५९२ गेहूं का आयात २५९९

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)	
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१५९३	पूर्वोत्तर रेलवे के विरुद्ध दावे	२६००
१५९४	पूर्वोत्तर रेलवे के विरुद्ध दावे	२६००—०१
१५९५	सहकारी समितियों के सचिवों का प्रशिक्षण	२६०१
१५९६	चम्बल परियोजना	२६०१
१५९७	रेलवे कर्मचारियों का नौकरी से निकाला जाना	२६०२
१५९८	छोटे स्टेशनों के कर्मचारियों के लिये सुरक्षा व्यवस्था	२६०२
१५९९	राष्ट्रीय राजपथ संख्या २६ पर पुल	२६०३
१६००	उत्तर प्रदेश को खाद्यान्नों का संभरण	२६०३
१६०१	दामोदर घाटी निगम नहर	२६०३—०४
१६०२	पंजाब में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा	२६०४
१६०३	रेलवे कुली सहयोग समिति	२६०४—०५
१६०४	पिथौरगढ़ में डाक व तार की इमारत	२६०५
१६०५	पांडू-गारो पहाड़ी रेलवे लाइन	२६०५
१६०६	रेलवे लाइन का हटाना	२६०५—०६
१६०७	बहु-प्रयोजनीय सिंचाई परियोजना	२६०६
१६०८	वाशिंगटन जाने वाला रेलवे प्रतिनिधि-मण्डल	२६०६
१६०९	कृषि विश्वविद्यालय	२६०६—०७
१६१०	काश्मीर में बाढ़ नियन्त्रण की वृहत्तर योजना	२६०७
१६११	पहिये व धुरियां	२६०७—०८
१६१२	इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन	२६०८
१६१३	कृषक सम्मेलन	२६०८
१६१४	बक्सर-आरा रेलवे लाइन का बढ़ाया जाना	२६०९
१६१५	अराजपत्रित कर्मचारियों की पदोन्नति	२६०९
१६१६	भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३७९ के अधीन पंजीबद्ध मामले	२६०९
१६१७	निवृत्त रेलवे कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति	२६१०
१६१८	वातानुकूलित गाड़ियां	२६१०—११
१६१९	रेलवे में हिन्दी का प्रयोग	२६११
१६२०	जमुना नदी का मार्ग बदलना	२६११
१६२१	अरिण्डा-मोगा तथा हरि के रेलवे लाइन	२६११
१६२२	मालगाड़ियों का पटरी से उतर जाना	२६१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१६२३	वैकल्पिक आसाम रेल सम्पर्क	२६१३
१६२४	पंजाब से चावल का समाहार	२६१३
१६२५	रेलवे के अस्पतालों में नर्सें	२६१३-१४
१६२६	पंजाब में जल संसाधनों का विदोहन	२६१४
१६२७	रेलवे स्टेशनों पर मूलभूत सुविधायें	२६१४
१६२८	स्टेशनों पर बिजली लगाना	२६१५
१६२९	उत्तर रेलवे पर भोजन प्रबन्ध के ठेके	२६१५
१६३०	माल-डिब्बों और पुर्जों के निर्माण के लिये ठेके	२६१५
१६३१	टूंडला कालेज, उत्तर रेलवे	२६१५-१६
१६३२	अम्बियापुर और झींझक स्टेशनों के बीच रेल दुर्घटना	२६१६
१६३३	उत्तर तथा पश्चिम रेलवे के कैश कान्ट्रेक्टर के भूतपूर्व कर्मचारियों को उपदान	२६१६
१६३४	ट्रैक्टर और लाइट इंजन में टक्कर	२६१७
१६३५	करिहार नहर पर ऊपरी पुल	२६१७
१६३६	रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	२६१८
१६३७	गाजियाबाद में हड़ताल	२६१८
१६३८	दियासलाई उद्योग के लिये मुनायम लकड़ी	२६१८-१९
स्थगन प्रस्ताव		२६१९

उपाध्यक्ष महोदय ने पंजाब सरकार द्वारा सुधार शुल्क लगाये जाने से उत्पन्न होने वाली कथित स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २६१९-२०

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये:—

(१) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ४४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत वर्ष १९५९-६० के लिये दामोदर घाटी निगम के आय-व्ययक प्राक्कलनों की एक प्रति।

(२) मोटर गाड़ी अधिनियम १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत मनीपुर के लिये मोटर गाड़ी नियम १९५१ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १७ फरवरी, १९५९ की

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

विषय — पृष्ठ

अधिसूचना संख्या बी-एच पी/६७/५४-५६/एस (एच) ए ए (एल) की एक प्रति, जो मनीपुर गजट में प्रकाशित हुई थी। — २६२१-२२

विधेयक पुरःस्थापित

(१) विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९५९ ।

(२) भारतीय प्रकाश-स्तम्भ (संशोधन) विधेयक, १९५९ ।

विधेयक पारित — २६२२

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) ने विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९५९ पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और खण्डवार विचार के पश्चात् विधेयक पारित किया गया।

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा — २६२२–६४

सामान्य आय-व्ययक, १९५९-६० पर सामान्य चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

मंगलवार, १० मार्च १९५९/१९ फाल्गुन, १८८० (शक) के लिये कार्यावलि—

सामान्य, आय व्ययक १९५९-६० पर और आगे चर्चा।